राजस्थान विधान सभा

२४ वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक—२० मई, सन् १९५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ५ बजकर १० मिनट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्नकर्ता, श्री कस्तूर चन्द ।

आनन्द जिनिंग फैक्ट्री कोटड़ी की प्रारम्भिक स्वीकृति

प्रश्न संख्या ७६७

श्री कस्तूरचन्द—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) आनन्द जिनिंग फैक्ट्री कोटड़ी की प्रारम्भिक स्वीकृति कब और किसको दी गई ?

(ख) वहाँ पर फैक्ट्री किसके नाम पर है और इस नाम के परिवर्तिन के क्या कारण थे ?

(ग) क्या यह सही है कि प्रारम्भिक स्वीकृति वाले व्यक्ति को इस परिवर्तन से पहले नोटिस नहीं दिया गया ?

(घ) क्या यह सही है कि लीगल रिमेम्ब्रेन्सर की इस परिवर्तन में कोई राय नहीं माँगी गई और केवल डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ही यह नाम परिवर्तन करा दिया ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि नाम परिवर्तन के बाद भी असली मालिक को डिपार्टमेंट ने साल भर तक कोई सूचना नहीं दी ?

(च) क्या यह सही है कि जब असली मालिक को इस परिवर्तन की सूचना मिली और उन्होंने आपत्ति की तो अब लीगल रिमेम्ब्रेन्सर की राय माँगी गई, जो असली मालिक के फेवर में है; फिर इस मामले में देरी क्यों की जा रही है ?

Page No.2

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) आनन्द जिनिंग फैक्ट्री की प्रारम्भिक स्वीकृति श्री दौलतसिंह, दाबरिया बनेड़ा के निवासी के नाम पर भूतपूर्व राजस्थान सरकार के समय सन् १९४९ में हुई थी।

(ख) यह फैक्ट्री अब श्री रामनिवास माळूर के नाम पर है। श्री दौलतसिंह दाबरिया का उनके साथ जो एग्रीमेन्ट हुआ उसका पालन पूर्णतया नहीं किया और फैक्ट्री का दूसरा एग्रीमेन्ट सरकार की बिना स्वीकृति के कर लिया; यही परिवर्तन का कारण है।

(ग), (घ), (ङ) तथा (च) किसी सरकारी मामले में किसी विशेष अधिकारी या किसी विभाग की राय ली जावे, इसका निश्चय करना सरकार का काम है और उसकी जानकारी विधान सभा में देना उचित प्रतीत नहीं होता।

परन्तु कानूनी दृष्टि से इस मामले में गलती हुई प्रतीत होती है, जिसकी जाँच की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किसी भी एग्रीमेन्ट करने के पहले क्या सरकार आम सूचना के जरिये लोगों को इत्तला करना ठीक समझती है?

श्री जयनारायण व्यास—किस प्रकार का एग्रीमेन्ट, मेरी समझ में नहीं आया!

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिस प्रकार के एग्रीमेंट इस फैक्ट्री के सिलसिले में किया गया। उससे पहले दूसरे आदमी को देने के पहले जनता को इत्तला दी जाती है क्या?

श्री जयनारायण व्यास—कोई एग्रीमेंट यहाँ नहीं किया गया। मैंने जिस एग्रीमेंट का जिक्र किया वह पुराने राजस्थान के जमाने का था। उस एग्रीमेंट की शर्तें थी। साथ-साथ यह एग्रीमेंट दोनों फैक्ट्री के मालिकों में था, पुराने और नये ठेकेदारों के बीच के एग्रीमेंट का ताल्लुक है। उस एग्रीमेंट के सिलसिले में दोनों तरफ से गलती हुई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस सिलसिले में सरकार ने क्या कार्यवाही की थी?

श्री जयनारायण व्यास—इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस बारे में किस-किस को कन्सल्ट किया गया और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई?

श्री जयनारायण व्यास—इसकी जांच कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, गलती का अलग-अलग क्या प्रोपोर्शन है और कानूनी तौर पर हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इससे यह समझा जाय कि जाँच की कार्यवाही की शुरूआत नहीं हुई है?

श्री जयनारायण व्यास--यह प्रश्न के उत्तर द्वारा समझ लेना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह बात सरकार के ध्यान में किस समय आई कि इस प्रकार की गलती की जा रही है ?

श्री जयनारायण व्यास--यह बात उस समय (ध्यान में) आई जब एक दफा दोनों में एग्रीमेंट हो गया, उसकी तामील हो रही थी; उसके बाद में दूसरे व्यक्ति ने यह बात सरकार के ध्यान में लाई। तारीख याद नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--करीब कितने महीने का अरसा इसमें गुज़रा है ?

श्री जयनारायण व्यास--यह प्रश्न अलग से पूछिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि काफी समय गुजर जाने के बाद भी सरकार कोई कदम उठा नहीं पाई है ?

श्री जयनारायण व्यास--इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही नहीं है कि जिन साहबान ने यह फैक्ट्री खरीदी है वे इस बात की बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं और कार्यवाही को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री जयनारायण व्यास--यह गलत बात है।

प्रश्न सं० ७६८

श्री अध्यक्ष--श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न सं० ७६९

श्री अध्यक्ष--धर्मचन्द।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७७०

कटसूरा [तहसील अराई] के तालाब का जीर्णोद्धार

श्री चाँदमल मेहता--क्या सिचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

[श्री चाँदमल मेहता]

(क) कटसूरा (तहसील अराई) के तालाब कितने वर्षों से टूटे हुए हैं और अब तक तैयार नहीं कराने की क्या वजह है ?

(ख) क्या मन्त्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि उक्त तालाब को ५२-५३ में तैयार कराने के लिए सिचाई मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) कटसुरा में दो तालाब हैं (१) भवानी सागरः कभी टूटा ही नहीं।

(२) गणेश सागरः यह १६५२ में ओगाल से ऊपर टूट गया था मगर अर्दन रिंगबाल बनाकर इसी साल मरम्मत करा दी गई।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री चाँदमल मेहता—यह मरम्मत कब कराई गई ?

श्री चन्दनमल वैद—बांध टूटा उसी साल।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार को यह पता है कि उसकी पक्की दीवार टूट गई थी ?

श्री चन्दनमल वैद—उसकी मरम्मत करा दी गई।

(विराम)

उसकी अर्दन वाल बनाकर मरम्मत कर दी गई।

श्री चान्दमल मेहता—वहाँ जो मिट्टी डाल दी गई उससे क्या आप तालाब की मरम्मत को काफी मानते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—इसको मानने, न मानने का कोई प्रश्न नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री के ध्यान में है कि मिट्टी डालने से वहाँ के पानी की केपेसिटी कम हो गई है ?

श्री चन्दनमल वैद—ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या इस सम्बन्ध में किसी एक्सपर्ट ने जाँच की थी ? राजस्थान के करीब-करीब सभी मन्त्रीगण इसको देख चुके हैं और उनको पता चला कि पानी की केपेसिटी कम हुई है।

श्री चन्दनमल वैद--कम से कम मैं तो देखकर नहीं आया।

श्री चाँदमल मेहता--आप उप-मन्त्री हैं, मैंने मन्त्रियों का नाम लिया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या अब पक्की रिपेयर कराने के बारे में सरकार का विचार है ?

श्री चन्दमल वैद--ऐसा कोई विचार नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या इससे यह समझा जाय इस सिलसिले में कि इसकी पक्की रिपेयर कराने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद--हाँ, यही बात है।

श्री चाँदमल मेहता--माननीय उप मन्त्री के यह जानकारी में है कि जितने भी मिनिस्टर साहबान ने उसको देखा है सबने यह माना है कि इसकी पक्की रिपेयर होनी चाहिये: तो क्या इस विषय में सरकार कुछ सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७७१

तहसील जमवा रामगढ़ के पटवारी के विरुद्ध फरजी परवाना जारी करने सम्बन्धी शिकायत

श्री नारायण चतुर्वेदी--क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील जमवा रामगढ़ के किसी पटवारी के विरुद्ध क्या ऐसी शिकायत तहसील में आई थी कि उसने फर्जी परवाना जारी करके एक नागरिक को परेशान किया, गिरफ्तार किया तथा मारपीट की ?

(ख). क्या उक्त कान्ड के सिलसिले में कलेक्टर जयपुर की ओर से कोई जांच की गई ?

(ग) यह जांच कब हुई और दोषियों को क्या सजा दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)--(क) जी हां।

(ख) इस प्रकार की शिकायत कलेक्टरी जयपुर में पेश होने पर तहसील में जांच के लिये भेजी गई है।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ग) इस मामले में अभी जांच हो रही है।

श्री नारायण चतुर्वेदी—यह जांच कब शुरू हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या--२२-१०-५३ को।

श्री नारायण चतुर्वेदी—यह जांच कब खत्म होगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बहुत जल्दी।

प्रश्न संख्या ७७२.

राजस्थान में भूमिहीन किसानों की संख्या तथा उन्हें भूमि-वितरण

श्री जयचन्द मोहिल—क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान भर में भूमिहीन किसानों की कुल संख्या क्या है और इस समय वे किस किस स्थिति में हैं ?

(ख) भूमिहीन किसानों के लिये भूमि वितरण की क्या योजना बनाई जा रही है और वह कब कार्यान्वित की जायगी ?

(ग) अब तक कितने भूमिहीन किसानों को सरकार की ओर से काश्त हेतु भूमि दी गई और प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—(क) इस प्रकार के आँकड़े प्राप्त नहीं हैं. क्योंकि ऐसी गणना कभी नहीं की गई।

(ख) सरकार ने जो भूमि-वितरण के नियम बनाये हैं उनमें भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता दी गई है।

कुछ जिलों के आँकड़े इस प्रकार हैं :

जिले का नाम	बीघा	भूमिहीन किसान
भीलवाड़ा	१३११७	१४१६
चूरू	८३६१	२५५
डूंगरपुर	२४०८	७१५

Page No.7

[श्री भोगीलाल पंड्या]

जिले का नाम	बीघा	भूमिहीन किसान
बून्दी	२००	६
चित्तौड़गढ़	६७२ एकड़	१७६
उदयपुर	१०५३१	–
गंगानगर	–	३४५०
जोधपुर डिवीजन	४,०००	–
जयपुर डिवीजन पिछले वर्ष	२५००	२००

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस प्रकार के स्टेटिस्टिक्स जमा करने का विचार कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अभी तो मालूम हुआ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार, राजस्थान में भूमिहीन किसान कितने हैं, इस बारे में स्टेटिस्टिक्स इकट्ठा करने के बारे में सोच रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हाँ, ऐसा सोचा जा रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस बारे में कोई कदम उठाने के विषय में सोच रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने कहा, सोचा जा रहा है।

प्रश्न संख्या ७७३.

सरदार शहर में अकाल सहायतार्थ अनाज की सस्ती दुकान

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Civil Supplies be pleased to answer :—

(a) Was any authorised cheap grain shop opened in Sardarshahar for famine relief ?

(b) Was the local 'Vitran Committee' authorised by the Civil Supplies Commissioner to sell Barley to the people ?

(c) If so, at what rate was Barley supplied to the 'Vitran Committee' and at what rate did they sell it to the public ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(d) Is the Government aware that the committee sold Barley at Rs. 14/- a maund ?

(e) Will the Government order an enquiry to find out to what extent has profiteering been done in this case ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(१) सरदार शहर में सस्ते अनाज की दो दुकानें अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये खोली गई थीं।

(२) हां, वहां की वितरण कमेटी को पब्लिक को जौ बेचने के लिये अधिकार दिया गया था।

(३) जौ एफ. ओ. आर. गोदाम साढ़े ग्यारह रुपये प्रतिमन के हिसाब से दिया गया और कमेटी को ३) रु० प्रति मन साफ करवाई और अन्य खर्च के जोड़ने का भी अधिकार दे दिया गया।

(४) प्रश्न संख्या (३) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए जौ का १४) रु० प्रतिमन बेचा जाना कोई आपत्तिजनक नहीं है।

(५) उपरोक्त उत्तरों को ध्यान में रखते हुए इस विषय में किसी इन्क्वायरी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार जब दूसरे लोगों को इस प्रकार धान सप्लाई करती है तो उसमें बेचने के लिए और सफाई के लिये जो खर्चा किया जाता है उसमें मार्जिन कितना रहता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार ने उनको छिलका उतार कर वितरण की इजाजत दी थी। उन्होंने कोई मुनाफा नहीं लिया। उन्होंने ११।।) रु० प्रतिमन खरीदा था। तीन रुपये प्रति मन छिलका उतराई तथा घट के स्वीकार किए थे। इस तरह १४।।) रुपये प्रतिमन के बदले १४) रु० प्रतिमन बेचा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार से दूसरी एजेन्सियों को जो सप्लाई की जाती है तो उनको कितना मारजिन आफ प्रोफिट (margin of profit) या खर्चा सरकार मन्जूर करती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं बता चुका हूँ कि जो मार्जिनल प्रोफिट देते हैं वह सिर्फ छिलका उतारने का खर्चा होता है और यही चार्ज किया है। इसमें कोई मुनाफा नहीं किया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह है कि दूसरे लोगों को आप जौ सप्लाई करते हैं तब खरीदने और बेचने की कीमत में कितना अन्तर रखते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं पहले बता चुका हूँ कि जो मुनाफा जब कमाना चाहते हैं तो टेन्डर मांगे जाते हैं और आठ आना, बारह आना मन पर का अन्तर होता है और तब अनाज बेचने को दिया जाता है। पर यह सवाल दूसरी तरह का है। यहां पर मन में करीब-करीब तीस सेर जौ रह जाते हैं तो इसमें कोई प्रोफिट ऑफ मार्जिन का सवाल नहीं होता। उन्होंने सेवा के तौर पर यह काम लिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि छिलका उतार कर नहीं, बल्कि वैसा का वैसा ही बेचा गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो आपकी तरफ से पहली बार सुन रहा हूँ। मेरे पास तो यह सूचना बराबर आती रही है कि छिलका उतार कर बेचा गया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७७४

चालू वर्ष में सरवाड़ तथा अराई तहसीलों में तालाबों के जीर्णोद्धार पर व्यय

श्री चाँदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में सरवाड़ और अराई तहसील में तालाबों की मरम्मत पर कितने-कितने रुपये खर्च किये गये ?

(ख) उक्त तहसील के तालाबों का काम ठेके में कराया गया या अमानी में ?

(ग) यदि ठेके में कराया गया तो ठेके की शरायत के मुआफिक काम होने की क्या जांच करा ली गई है ?

श्री चन्दनमल वैद—(क) चालू वर्ष में सरवाड़ तहसील में लगभग १,४५,०००) रु० और अराई तहसील में लगभग ३२,०००) रु० तालाबों की मरम्मत पर खर्चा हुआ।

(ख) उक्त तहसीलों का कार्य ठेके में कराया गया है।

(ग) हां, जांच हो रही है।

श्री चाँदमल मेहता—जांच कितने अरसे बाद होनी शुरू हुई ?

श्री चन्दनमल वैद्—यह काम गतवर्ष में समाप्त हुआ और अब उसकी जांच चल रही है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय के बयान से यह समझा जाय कि जांच होनी अभी समाप्त नहीं हुई है ?

श्री चन्दनमल वैद्—अभी समाप्त होने में देर है।

श्री चाँदमल मेहता—यह कार्य कब समाप्त हुआ और समाप्त होने के बाद कितने अरसे में जांच होना आवश्यक है ?

श्री चन्दनमल वैद्—मैंने कहा कि पिछले साल काम हुआ और अब जांच चल रही है।

श्री चाँदमल मेहता—छः महीने हुए या आठ महीने हुए या ३१ मार्च को एक साल हुआ, निश्चित समय बताइये ? तालाब का काम कब समाप्त हुआ ?

श्री चन्दनमल वैद्—पिछले साल में।

श्री चाँदमल मेहता—पिछले साल में कौनसे महीने में ?

श्री चन्दनमल वैद्—यह फिर बता सकता हूँ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार के यह जानकारी में है कि जिन ठेकेदारों को यह काम दिया गया उन ठेकेदारों ने लोकल ठेकेदारों को आधी रेट पर काम करने के लिए मौका दिया ?

श्री चन्दनमल वैद्—नहीं, ऐसी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—तो क्या माननीय मन्त्री महोदय इसकी भी जांच करेंगे कि अगर यह काम लोकल ठेकेदारों से कराया जाता तो कितनी कम कीमत में यह काम होता ?

श्री चन्दनमल वैद्—इसकी भी जांच कर ली जावेगी।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इस तरह की जांच किसी गैर सरकारी आदमी के जिम्मे सरकार करेगी या उन्हीं को दे देगी जो सरकारी अधिकारी हैं ?

श्री चन्दनमल वैद्—जरा साफ कहें, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री चाँदमल मेहता—मेरा प्रश्न यह है कि आपका कोई डिपार्टमेंट का आदमी जांच करेगा तो वह अपने डिपार्टमेंट की गड़बड़ी को छिपाने की कोशिश करेगा, इसलिए क्या इसके बदले में माननीय मन्त्री महोदय किसी गैर सरकारी आदमी को मुकर्रर करेगी ?

Page No.11

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—यह कभी कल्पना नहीं करनी चाहिये कि कोई अफसर अपने मातहत अधिकारी की गड़बड़ी को छिपाने की कोशिश करेगा। वह बराबर जांच करेगा और जिसकी गलती होगी उसको सजा देगा।

श्री चाँदमल मेहता—मैं यह निवेदन करूँगा कि सदन में प्रश्नों के जवाब तक गलत दिये जाते हैं।

(जोर से करतलध्वनि)

श्री जयनारायण व्यास—यह बिलकुल गलत बात है और सिर्फ ऑपोजीशन को खुश करने के लिए ही है।

श्री चाँदमल मेहता—मैं ऑपोजीशन का नहीं हूँ और न किसी पक्ष को खुश करने की मेरी इच्छा है। मैं तो वास्तव में यह कहता हूँ कि जो कुछ भी काम किया गया है, उसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं वे आगे के लिए ठीक कर दी जावें।

(पुनः जोर से करतलध्वनि)

श्री जयनारायण व्यास—इनको ठीक करने के लिए सीधा तरीका यह है कि ऊँचे जो अधिकारी हैं उनको काम बराबर सौंपा जावे और अगर ऊँचे अधिकारी गलती करें तो मिनिस्टर सक्षम हैं कि उनको भी सजा दें और ठीक करें।

श्री चाँदमल मेहता—जो कुछ निवेदन किया गया है उसमें यही था कि कई दिन होने के बाद भी कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई। अब यह जांच कब समाप्त हो जावेगी? क्या दो-तीन महीने में जांच हो जावेगी?

श्री चन्दनमल वैद—काम पूरा होने पर ही मुकम्मिल जांच होती है। अब क्योंकि काम समाप्त हो चुका है इसलिए जांच कराई जा रही है वहां।

श्री चाँदमल मेहता—काम समाप्त होने के बाद जांच कराने की क्या कोई अवधि होती है कि किस मुकर्रर अवधि में जांच हो जानी चाहिये?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ठेकेदार को पेमेंट कर दिया गया है?

श्री चन्दनमल वैद—बीस प्रतिशत बाकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उस ठेकेदार को सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया गया कि मुकम्मिल काम हो गया?

श्री चन्दनमल वैद--हां, जितना काम हो गया उतने के लिए सर्टिफिकेट इश्यू किया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या मुकम्मिल काम के लिए सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ ?

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही नहीं है कि जिस काम का सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया गया उसके बारे में जांच पर पता लग रहा है कि वह काम मुकम्मिल नहीं हुआ ?

श्री चन्दनमल वैद—इसकी कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स बताइये तो पता चले। यों ही जनरल बात कहने से पता नहीं लगता।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही नहीं है कि जो २० प्रतिशत पेमेन्ट की रकम रोकी गई है, वह अमुक-अमुक काम पूरा नहीं होने की वजह से रोकी गई है।

श्री चन्दनमल वैद—अमुक-अमुक काम पूरा नहीं हुआ इस आधार पर यह पेमेन्ट नहीं रोका गया पर यह आम तौर पर रोका गया है। मुकम्मिल जांच के बाद २० प्रतिशत उसे मिलेगा ऐसा नियम है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७७५

किशनगढ़ में करकेड़ी तक की सड़क पंच-वर्षीय योजना में

श्री चाँदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या किशनगढ़ से करकेड़ी तक की सड़क पंच-वर्षीय योजना में रक्खी गई है ?

श्री चन्दनमल वैद--नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इसका कारण भी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद--प्रायोरिटी के आधार पर यह इसमें नहीं आ सकी, इसलिए।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री तेजपाल।

प्रश्न संख्या ७७६

भरतपुर जिले में कुम्हेर गौशाला को चरागाह के वास्ते रकबा सालाना पट्टे पर

श्री तेजपाल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) भरतपुर जिले में कुम्हेर गौशाला को चरागाह के वास्ते कितना रकबा तहसील की ओर से सालाना पट्टे पर दिया जाता है ?

(ख) पट्टे की रकम गौशाला तहसील को कितनी अदा करती है ?

[ग] क्या इसके अलावा गौशाला के पास और भी रकबा है ?

[घ] यदि है तो सरकार फिर इतना रकबा गौशाला को क्यों देती है ?

[ङ] जिस रकबे का पट्टा तहसील के जिम्मे होता है क्या गौशाला की ओर से शहर की मवेशी पुच्छी पर छोड़ी जाती है ?

(च) यदि छोड़ी जाती है तो पुच्छी द्वारा गौशाला को क्या आय होती है ?

(छ) यह रकबा जो गौशाला को दिया जाता है तो क्या गौशाला इससे मुनाफा हासिल करती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) कुल १४६३ बीघा १२ बिस्वा है।

(ख) ४३६ रुपये ६ आने ६ पाई।

(ग) १६६२ बीघा ७ बिस्वा मिल्कियत, व हैसियत गैर मौरूसी में १५४ बीघा १२ बिस्वा है जिसमें ८० बीघा मजरूआ है।

(घ) इस रकबे का पट्टा भरतपुर गवर्नमेंट के समय से ही गौशाला को होता आया है और इस अमल के अनुसार अब भी दिया जाता है।

(ङ) कस्बा कुम्हेर व शमूल दीगर देहात २५८२ मवेशी चाराई पर गौशाला की तरफ से पुच्छी पर छोड़ी जाती है।

(च) ४४२२ रुपया ८ आने आय पुच्छी द्वारा होती है।

(छ) २६०० बीघा में पुच्छी छोड़ी जाती है।

(ज) देहात जिनकी मवेशियाँ इस रकबे में चरती हैं उनमें चारागाह कतई नहीं है, इसलिए इस रकबे को काश्त पर उठाना वाजिब नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चाँदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ७७७

लगान वसूली के साथ-साथ राजस्थान में और भी लागें तथा किशनगढ़ के कुछ गाँवों से सैस वसूली

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) लगान वसूली के साथ-साथ राजस्थान में कौन-कौन-सी लागें और लगी हुई हैं ?

(ख) क्या किशनगढ़ सब डिवीजन के बोराडा ग्राम से मलवा, पायणा, बटा, गिनती, सेस वसूल की जा रही है ?

(ग) क्या यह सही है कि इन लागों के वसूल करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं होने के कारण यह रकम अमानत में जमा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) डिवीजन वाइज़ लाग-बागों की सूची सदन के समक्ष पेश की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

[ख] जी नहीं।

[ग] किशनगढ़ सब डिवीजन में सब लाग-बाग की वसूली रोक दी गई थी।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि तहसीलवार सेस अब भी वसूल की जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अभी आपको बताया कि सभी लाग-बागें रोक दी गई हैं और अगर आपको मालूम हुआ हो कि ऐसी कोई लाग अभी ली जा रही है तो बताइये उचित कार्यवाही उस पर की जावेगी।

श्री चाँदमल मेहता—तो क्या इससे मैं यह मान लूँ कि यह वसूली अब नहीं होगी।

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो प्रचलित लाग-बागें यदि हों तो उनके बारे में छान-बीन करके अपनी राय देगी और उस पर सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री चाँदमल मेहता—लाग-बाग बन्द कर दी गई है तो मैं यह जान लेना चाहता हूँ कि सभी लागों के साथ सेस की लाग भी बन्द कर दी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सभी लागें बन्द करने का ऑर्डर निकल चुका है। सेस को माफ करने की जाँच होगी।

श्री चांदमल मेहता—यह अलग तरह की लाग क्यों बाकी रही है ?

श्री भोगीलाल पंडया—मैं कहता हूँ कि यह लाग नहीं है, एक तरह का टैक्स है जो म्युनिसिपैलिटी लेती है और जाँच के बाद इसके बारे में भी उचित समझा गया कि नहीं लिया जाना, तो सरकार इस पर भी विचार करेगी।

श्री चाँदमल मेहता—म्युनीसिपेलिटी का टैक्स म्युनीसिपैलिटी ही वसूल करती है, क्या सरकार वसूल नहीं करती ?

श्री भोगीलाल पंड्या—गवर्नमेंट ने तो कतई बन्द कर दी है, पर कहीं-कहीं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सरकार भी वसूल करके देती है।

श्री चाँदमल महता—कई जगह सरकार ऐसा करती है, तो क्या इससे यह समझा जावे कि जिस जगह डि० बोर्ड नहीं है वहाँ पर भी वसूल करके सरकारी देती है; यह मान लिया जावे ?

श्री भोगीलाल पंडया—यह बता चुका हूँ मैं आपको कि पहली बार मुझे इस बारे में आप से सूचना मिली है। अगर आप बतावेंगे तो जाँच करके उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय मन्त्रीजी को पूरी जानकारी नहीं है। इस बारे में इस सम्बन्ध में कट मोशन्स आ चुके हैं और कई बार सदन में बहस हो चुकी है, सवाल-जवाब हो चुके है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे तो अच्छी तरह से मालूम है यह सब ? मेरे पास सप्लीमेंटरी के लिए मसाला तैयार है। आपको गलतफहमी हो गई होगी। अगर इसकी जाँच करने का प्रयत्न करेंगे तो मालूम हो सकेगा।

प्रश्न संख्या ७७८

राजस्थान में आदिवासी बालिका छात्रावास

श्रीमती यशोदा देवी—क्या आदिवास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में कितने आदिवास बालिका छात्रावास हैं ?

(ख) यदि नहीं हैं, तो क्या सरकार खोलने का इरादा करती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मन्त्री)—

(क) एक सरकारी व तीन सार्वजनिक।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ७७६

किशनगढ़ पावर हाउस में चालू दशा में इन्जिन एवं वहाँ की मासिक आय

श्री चाँदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) किशनगढ़ पॉवर हाउस में कितने इंजिन लगे हुए हैं, जिनमें कितने वर्किंग आर्डर में है ?

(ख) किशनगढ़ पॉवर हाउस की मासिक आय कितनी है और खर्चा प्रति मास कितना होता है ?

(ग) पुराने इन्जनों की मरम्मत पर चालू वर्ष में कितना रुपया खर्चा किया गया ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) किशनगढ़ पॉवर हाउस में इस समय पाँच इन्जिन है, जिनमें से चार चालू हालत में हैं।

(ख) इस पावर हाउस की मासिक आय ३००० रु० है और मासिक खर्च ५५००) रुपया है।

(ग) पुराने इन्जनों की मरम्मत पर चालू वर्ष में १५०००) रुपये खर्च किये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—१५०००) रु० कितने इन्जिनों पर खर्च किये गये हैं और वे कितने होर्स पावर के इन्जिन थे ?

श्री चंदनमल वैद—इनमें २ सेट थे।

श्री चाँदमल मेहता—कितने होर्स पॉवर के थे, कितने किलोवाट्स के थे ?

श्री चन्दनमल वैद—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री चाँदमल मेहता—वह कितने होर्स पावर के इन्जिन थे ?

(अल्प-विराम)

क्या यह सही है कि इन इन्जिनों की मरम्मत में इन्जिनों की कीमत का तीन चौथाई खर्च कर दिया गया है ? वह जिस-जिस काम में खर्च हुए हैं वह पूरी तरह से क्या आप बतला सकते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने कहा कि इनकी मरम्मत में १५०००) रुपया खर्च हुए हैं।

Page No.17

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार इन इंजिनों पर उनकी कीमत का तीन चौथाई खर्च करना ज्यादा अच्छा मानती है बजाय इसके कि नये इंजिनों पर खर्च किया जाय ? मैं आपकी राय पूछता हूँ। वह कितने हॉर्स पावर का है और उसकी नये की कीमत कितनी है ?

श्री चंदनमल वैद—कोटेशन नहीं माँगे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने इस बात की जाँच करके कि रिपेयरिंग प्रोफिटेबल है या रिप्लेसमेंट ज्यादा ठीक होगा, तब जाकर आपने निर्णय लिया रिपेयरिंग के बारे में ?

श्री चन्दनमल वैद—रिपेयरिंग प्रोफिटेबल था तभी तो रिपेयरिंग कराया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि रिपेयरिंग की कोस्ट ओरीजिनल कोस्ट की $\frac{3}{4}$ है ?

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि जो ओरीजिनल कोस्ट है उसके मुताबिक जितनी रिपेयर्स की कोस्ट है वह ७५ प्रतिशत हो गई है ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने कहा कि फीगर्स इस समय मेरे पास मौजूद नहीं हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मौजूदा इन्जिन कितनी कीमत का होगा ?

श्री चन्दनमल वैद—Notice required.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Then why the Member has come here ?

श्री चन्दनमल वैद—It is not relevant.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—The question is not relevant. Mr. Speaker, Sir, I appeal to you that the question is under consideration and that this very engine is under discussion. When the price of the engine is asked the Hon'ble Member says that this is irrelevant.

श्री चाँदमल मेहता—पॉवर हाउस में नुकसान हो रहा है तो इंजिन वगैरह के बारे में सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष—Approximate cost they want.

श्री चन्दनमल वैद—पुराने इन्जिन होने के कारण व्यय अधिक हो रहा है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार खराब इन्जिन के सिलसिले में जाँच करायेगी ?

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या यह सही है कि जिन इंजिनों की मरम्मत की जा रही है वह सेकन्ड हैन्ड लगाये गये थे।

(हँसी)

श्री चाँदमल मेहता—यह बिल्कुल सही है कि माननीय मन्त्री जब इन इंजिनों की मरम्मत की गई है तो वह जरूर सेकन्ड हैन्ड होंगे। यह मानकर ही सरकार ने उनकी मरम्मत पर ३।४ उनकी कीमत से ज्यादा खर्च किया है।

श्री जयनारायण व्यास—माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताता हूँ कि यह पॉवर हाउस एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास गया है और फिर गवर्नमेंट के पास आया है। पॉवर हाउस के इन्जिनों का ३-४ हाथों में रद्दोबदल हुआ है। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं कि वे सेकन्ड हैन्ड हैं या थर्ड हैन्ड या फोर्थ हैन्ड। यह बताना तो उस वक्त के जमाने में सम्भव हो सकता था जिस वक्त कि पॉवर हाउस खरीदा गया था।

श्री वेदपाल त्यागी—कहीं तो पता होना चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिए अगर आप नोटिस दें तो उसका उत्तर दिया जा सकता है; क्योंकि इस पॉवर हाउस में बहुत सारे मिक्श्चर हैं। अलवर से भी इस पॉवर हउास में इन्जिन आया हुआ है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—That is a different matter but to say that the question is irrelevant is very serious.

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न केवल यह है कि रिपेयरिंग की मजदूरी देते समय कहीं यह भी सोचा गया है या नहीं कि अगर कोस्ट ज्यादा है तो रिपेयर्स करांना ज्यादा ठीक रहेगा और अगर कोस्ट कम है तो रिप्लेस करना। इसके बारे में किसी ने माइंडड एप्लाई किया है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह टेक्निकल क्वेश्चन है; माइन्ड एप्लाई करके ही किया गया है। ऐसे क्वेश्चन तो करना चाहिए, लेकिन कम से कम उसकी कोस्ट की कल्पना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.19

प्रश्न संख्या ७८०

अराई तथा सरवाड़ तहसीलों में आबपाशी के तालाबों का जीर्णोद्धार

श्री चाँदमल मेहता—क्या सिचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) अराई और सरवाड़ तहसील: में आबपाशी के तालाबों की संख्या कितनी है ?

(२) उक्त तालाबों की मरम्मत का इन्चार्ज कौन है ?

(३) उक्त तालाबों के पानी के वितरण की व्यवस्था किसके हाथ में है और उनका हैड-क्वार्टर कहाँ कहाँ है ?

श्री चन्दनमल नैद (उप मन्त्री)—(१) अराई में २७ व सरवाड़ में ४६; इस प्रकार कुल ७३ तालाब हैं।

(२) सरवाड़ में ओवरसियर सरवाड़ है।

(३) सरवाड़ का जिलेदार जयपुर में और अराई का जिलेदार मोजमाबाद के हाथों में। जिलेदार जयपुर का हैडक्वार्टर जयपुर में है और जिलेदार मौजमाबाद का मौजमाबाद है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय की जानकारी है कि इतने ज्यादा तालाब एक जगह होने पर भी उनके हैडक्वार्टर इतनी दूर हैं कि तालाबों का पानी सूख जाता है और वह वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं ?

श्री चन्दनमल नैद—अब आपने शिकायत की है तो उसका इलाज किया जायगा।

श्री चाँदमल मेहता—इसके पहले माननीय मन्त्रीजी के पास कोई शिकायत नहीं हुई है क्या ? यह एकाध बार पहले भी कहा गया था।

श्री चन्दनमल नैद—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—इसी प्रकार की एक शिकायत दूसरा प्रश्न करते हुए भी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि तालाबों में पानी नहीं है।

श्री चन्दनमल नैद—मेरे खयाल में वह जानकारी नहीं है

श्री चाँदमल मेहता—अगर आपकी जानकारी में वह नहीं है तो फिर उसकी जाँच की जायगी ?

Page No.20

[श्री चाँदमल मेहता]

क्या मन्त्री महोदय जनता की सुविधा की दृष्टि से पानी का वितरण ग्राम पंचायतों के हाथ में देने का निर्णय कर सकती है ?

श्री चन्दनमल वैद—यह पॉलिसी का सवाल है जिसको कि प्रश्न के उत्तर में नहीं कहा जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ऐसा माना जाय कि जब तक विधान सभा में कोई शिकायत नहीं करे तब तक सरकार कोई भी कदम नहीं उठाये ?

(घण्टी)

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Next, Shri Shridas Gool.

एक माननीय सदस्य—प्रश्न संख्या ७८१ रह गया है।

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri Bhairo Singh.

प्रश्न संख्या ७८१

राजस्थान में खरड़ा लाग को उठाना

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६) क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान में अब भी खरड़ा लाग ली जा रही है ?

(ख) खरड़ा लाग शीघ्र ही हटाने का जो आश्वासन इस सदन में मन्त्री की ओर से दिया गया था उसका क्या हुआ ?

(ग) अब खरड़ा लाग के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) जोधपुर डिवीजन में जैसलमेर और सिरोही के जिलों को छोड़कर खरड़ा लाग वसूल होती है।

(ख) लाग-बाग के सारे मामलों की एक कमेटी द्वारा जाँच की जा रही है।

(ग) उसकी रिपोर्ट पेश होने पर उस पर तुरन्त कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—इस कमेटी की नियुक्ति की गई, उसको कितना अरसा हो गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तारीख तो ठीक मुझे मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा ही समय हुआ है।

Page No.21

श्री भैरूँसिंह—क्या इस सम्बन्ध की कमेटी को नियुक्त किये हुए २ साल से ज्यादा अरसा हो गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे तारीख तो मालूम नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो तारीख मालूम करके आपको जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—Besides the date, is there any other supplementary ?

श्री भैरूँसिंह—क्या यह सही समझा जाय कि इस कमेटी को अब शीघ्र ही एक माह के अन्त तक का समय दिया जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं आश्वासन तो नहीं दे सकता हूँ लेकिन कार्यवाही ऐसी जरूर की जायगी कि वह जल्दी आपके सामने आये।

श्री भैरूँसिंह—क्या ऐसा ही आश्वासन इसी सदन में माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने दिया था कि इसको हटा दिया जायगा ? क्या उसी तरह का आश्वासन आप नहीं दे सकते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन प्रयत्न यह किया जा रहा है कि उसमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाय।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६) सरकार को ऐसा आश्वासन देने में कौनसी बाधा आ गई है।

श्री भोगीलाल पंड्या—कभी हो सके कि एकाध दिन की देरी हो जाय, तो वचन-भंग हो जाता है।

(हँसी)

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६) क्या सरकार इस प्रकार की लाग-बाग को आवश्यक समझती है ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है......

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री जयनारायण व्यास—खरड़ा की लाग के बारे में अलग-अलग जगहों में अलग-अलग अर्थ लगाये जाते हैं। जहाँ तक जोधपुर डिवीजन का ताल्लुक है एक मुकद्दमें के फैसले में यह कहा गया है कि "Kharda lag is a village tax"; वह वाजिब इसलिए समझा गया है। लेकिन हमने उस चीज़ को वाजिब या गैरवाजिब करार नहीं दिया है। इसकी जाँच हो रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बातें हैं कि जहाँ म्युनिसिपल बोर्ड कायम हो चुके हैं उस शहर के कुछ हिस्सों में खरड़ा लाग आज तक चालू है।

श्री भोगीलाल पंड्या—हो सकता है, लेकिन यह तो मैंने बताया कि एक कमेटी बनाई गई है। उसकी रिपोर्ट आने में देर हो जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जहाँ म्युनिसिपल बोर्ड एक्ट के मातहत म्युनिसिपल टेक्स लगाये जाते हैं तो कम से कम खरड़ा लाग, जहाँ वह टेक्स चालू है, वहां नहीं लगाई जाय ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

प्रश्न संख्या ७८२

तहसील खंडार के ग्राम व चरागाह में राजस्थान सरकार के राजस्व तथा वन विभाग द्वारा दोहरी चराई वसूली

श्री श्रीदास गोयल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील खंडार में ऐसे कौन-कौन से चरागाह हैं जहाँ सरकार के राजस्व विभाग व जंगलात विभाग दोनों दोहरी चराई वसूल करते हैं ?

(ख) क्या सरकार एक ही मवेशी पर इस दोहरी चराई को बन्द करने के लिए अति-शीघ्र कार्यवाही कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) तहसील खंडार में ऐसे ग्राम व चरागाह नहीं हैं कि जहाँ पर एक ही रकबे की चराई मवेशियान महकमा जंगलात तहसील के चक द्वारा वसूल होती है।

(ख) जिन गाँवों में जंगलात के भी बीड़ हैं, वहाँ पर जंगलात द्वारा अपने बीड़ पर और तहसील द्वारा सिवाय चक की जमीन से चराई अलग-अलग वसूल की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार यह उचित समझती है कि एक ही मवेशी पर दो जगह चराई वसूल की जाय।

Page No.23

श्री भोगीलाल पंड्या—अलग-अलग स्थान पर वे बीड़ हैं तो जो जंगलात के बीड़ हैं तो उन पर जंगलात वाले ले सकते हैं और दूसरे जो बीड़ हैं उन पर सरकार के दूसरे विभाग ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि स्वयं राज्य कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में सरकार से लिखा-पढ़ी की है कि वास्तव में यह डबल चराई होती है इसलिये यह जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन ।

प्रश्न संख्या ७८३

बानसी (बड़ी सादड़ी) में आदिवासी छात्रावास की स्थापना

श्री जगतसिंह झाला—क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार इस वर्ष बड़ी सादड़ी तथा डगला तहसीलों के आदिवासी क्षेत्र में शैक्षणिक उत्थान के लिये बड़ी सादड़ी तहसील के बानसी ग्राम में जहाँ सरकारी माध्यमिक शाला है एक आदिवासी छात्रावास (बोर्डिङ्ग हाउस) स्थापित करेगी ?

(ख) यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मन्त्री)—(क) नहीं ।

(ख) सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बानसी में छात्रावास खोलना संभव नहीं है ।

प्रश्न संख्या ७८४

सन १९५१ से १९५४ तक के लिए नहरें खोदने का तखमीना

श्री मोतीराम—क्या सिंचाई विभाग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान में नहरें खोदने का तखमीना सन् १९५१–५२, १९५२–५३ व १९५३–५४ के लिये बनाया गया था ?

(ख) काम का क्या प्रोग्राम था और रकम जो अलॉट हुई उसमें से रकम किस कदर खर्च हुई ?

(ग) सालवार रकम खर्च न करने और उससे निश्चित कार्य न होने की जिम्मेदारी किसकी है ?

(घ) सालवार कर्मचारियों के वेतन पर व दीगर कामों पर कितना खर्च हुआ ?

Page No.24

[श्री मोतीराम]

(ङ) क्या कर्मचारियों के वेतन का व्यय निश्चित प्रतिशत से अधिक है ? यदि है, तो क्यों ?

(च) नहरों की तामीर में वाटर अलाउन्स के रूप में कितनी रकम व्यय हुई ? क्या कोई योजना पंजाब की नहरों से पानी प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी और उस योजना का क्या हुआ ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—ऐसा अनुमान किया जाता है कि जो सूचना माँगी गई है वह भाकड़ा योजना के अन्तगत जो नहरें राजस्थान में खोदी जावेंगी, उनके लिए है।

१ (क) एक तखमीना ६०४.४५ लाख रुपये का राजस्थान में भाकड़ा योजना की नहरों को बनाने के लिये बनाया गया इस रकम में १२१ लाख रुपया जो कि स्थानीय मंडियों व सड़कों की उन्नति के लिए रक्खा गया था, शामिल है।

कार्य का प्रोग्रम इस प्रकार था :

(ख) प्रोग्राम	अलॉटमेंट	खर्च	बचत
१९५२-५३. ४५ लाख	४५ लाख	४४०८ लाख	०९२ लाख
५३-५४ १०६ लाख	६१ लाख	५९.२५,५८३	१,७४,४१७

जिस भाग में नहरें खोदी जा रही हैं वहाँ सड़कें आदि नहीं हैं एवम् यातायात भी दुश्कर है, जल की कोई व्यवस्था नहीं है; ऐसी परिस्थिति में वह प्राकृतिक कारणों से ही उत्पन्न हुई है, किसी की जिम्मेदारी नहीं समझी जा सकती।

(क) सालवार खर्च	कर्मचारियों पर	अन्य विषयों पर
१९५१।५२।	२,४६,१८० रुपये	६,०२६,८२ रु०
१९५२।५३।	४,२८,२६४ रु०	३९,७६,७३३ रु०
१९५३।५४।	५,६२,६०८ रु०	५४,६२,६७५ रु०

(ख) कर्मचारियों के वेतन का व्यय निश्चित प्रतिशत से इस समय अधिक नहीं है। प्रारम्भ में सरवे (suvery) आदि में प्रायः व्यय अधिक ही होता है जो काम की प्रगति होने पर निश्चित प्रतिशत के अन्तर्गत हो जाता है। सं० १९५१।५२ में खर्च इसी कारण अधिक था।

नं० ३ कुछ नहीं हुई। पंजाब की लाम्बी रजवाह से पानी की एक योजना सं० १९५१-५२ में स्वीकार हुई योजना पर ७५ हजार रु० व्यय होने का अनुमान था।

Page No.25

श्री मोतीराम—इस साल पानी कितना आयगा और हिसाब से कितना आना चाहिये ?

श्री चन्दनमल वैद—कितना पानी आना चाहिये, यह अलग प्रश्न है और कितना आयगा, इसका उत्तर देने के लिये नोटिस चाहिये।

श्री मोतीराम—क्या यह सरकार के ध्यान में है कि कर्मचारियों पर खर्चा अधिक आता है और जो काम होना चाहिये उस पर कम ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने अभी आपको सूचना दी और तीन साल में कर्मचारियों पर जो खर्चा हुआ वह बतलाया। मैं और बतला देना चाहता हूँ कि जितना खर्चा कर्मचारियों पर आना चाहिये उतना ही पर्सेन्टेज खर्चा उन पर आया।

श्री मोतीराम—क्या आपके ध्यान में है कि कितना जायज खर्चा हुआ है और कितना नाजायज ?

श्री चन्दनमल वैद—सारा खर्च जायज ही हुआ है।

श्री मोतीराम—क्या आप जाँच करवाने को तैयार हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—जब कोई शिकायत होगी तभी तो जाँच करवाई जायगी।

श्री मोतीराम चौधरी—जितने पैसे जन-हित के लिये खर्च होने चाहिये थे उतने जन-हित में खर्च नहीं हुए इसलिये जाँच की आवश्यकता है।

श्री चन्दनमल वैद—आप ऐसी माँग करेंगे तो उसकी जाँच करवाई जायगी।

श्री धर्मचन्द—क्या यह सही नहीं है कि ठीक ढंग से काम नहीं हो पाया ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने बताया था कि काम ठीक ढंग से हो रहा है। पानी खुलेगा, उससे पहले काम हो जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जहाँ रेलवे लाइन है वहाँ पुल बनाये गये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ जरूर बनाये गये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितने पुल बनाये गये और कितने और बनाये जावेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सत्य नहीं है कि एक भी पुल नहीं बना ?

श्री चन्दनमल वैद—यह सत्य नहीं है।

श्री धर्मचन्द--मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस साल कितना पानी लिया जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद—प्रोग्राम के अनुसार ले सकेंगे।

श्री मोतीराम--क्या जमीन की सिंचाई के लिये पूरा पानी ले सकेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद—जितना प्रोग्राम है उतना ले सकेंगे।

श्री मोतीराम—प्रोग्राम ७०० का है तो आप २०० लेते हैं
श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७८५

बांसवाड़ा जिले के लिए सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय विकास योजना प्रारम्भ करना

श्री धूलजी भाई भावसार—क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. क्या बाँसवाड़ा जिले के लिये सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत कोई राष्ट्रीय विकास योजना चालू करने की माँग पेश हुई है ?

२. यदि हाँ, तो सरकार ने क्या विचार किया है ?

३. क्या सरकार अगले आर्थिक वर्ष में बाँसवड़ा जिले में विकास-योजना चालू करने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—हाँ, सरकार ने इस साल बाँसवाड़ा जिले में गढ़ी नामक स्थान में एक विकास खंड खोलने का निश्चय किया है।

श्रीधूलजी भाई भावसार—क्या इस एक' खंड से सारा काम चल जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद—समझ में नहीं आया कि आपने क्या फरमाया है ?

श्री धूलजीभाई भावसार--क्या इस एक खंड से ही सारे जिले का काम चल जायगा या और भी खोला जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद—अभी तो गढ़ी में खोलने का निश्चय किया गया है।

श्री भूलजीभाई भावसार—क्या इससे भील एरिया वगैरह सबको लाभ हो सकेगा ?

श्री चन्दनमल वैद—अभी तो खोला जायगा, फिर यदि और जरूरत पड़ी तो एक्स-टेन्शन किया जायगा।

प्रश्न संख्या ७८६

नीमराना (अलवर जिला) क्षेत्र में भू-राजस्व तथा लगान दर-अत्यधिक

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Revenue Minister be pleased to answer:—

(a) Is the Government aware that the land revenue and rent rates in the Nimrana area (now in Alwar Dist.) are very high ?

(b) Is it a fact that these rent rates are three times higher than those prevailing in the adjoining area of Behrod Tehsil ?

(c) Will the Government take immediate steps to order such an ad-interim reduction and fixing the rent rate in that area on par with the rates prevailing in the adjoining area ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(ए) जी हाँ, लगान की दरें ऊंची हैं।

(बी) जी हाँ, बहरोड तहसील से लगान की दरें बढ़ी हुई हैं।

(सी) इस इलाके में रिविजन सेटलमेन्ट शीघ्र ही शुरू किया जायगा और तब इस बात की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(सी) का उत्तर नहीं आया जिसमें 'एड इन्टेरिम (ad interim)' के बारे में पूछा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने सुना नहीं, आपने क्या फरमाया ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने यह पूछा है कि मुकम्मिल जाँच करके आस-पास के एरिया के बराबर वहाँ भी दरें मुकर्रर की हैं या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं जवाब दे चुका हूँ कि रिविजन सेटलमेंन्ट होगा तब यह काम होगा।

Page No.28

श्री छोटूसिंह—यह रिविजन सेटलमेन्ट कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा ?

श्री भोगीलाल पंडया—उसका समय होते ही शुरू होगा।

श्री छोटूसिंह—कितने समय में, कितने महीनों, कितने दिनों और कितने वर्षों में होगा ?

श्री भोगीलाल पंडया—इसके लिये समय चाहिये।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या केतु और राहु शामिल होंगे तब होगा ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि दूसरे एरियाज़ में "एड इन्टेरिम" का सरकार ने हुक्म दे दिया है ?

श्री भोगीलाल पंडया—मेरे ध्यान में यह बात नहीं है, मालूम करके बताऊंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि दूसरे एरियाज़ में ऐसे हुक्म दिये हैं।

श्री अध्यक्ष—No hypothetical question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir, orders have been issued in some caees.

श्री अध्यक्ष—But for this he has already said that they are not going to do it. In this particulax case he has refused.

श्री हरिकृष्ण व्यास—He did not answer the particular case. He said that unless revision takes place no reduction could be made; I said in other areas it has been done.

श्री अध्यक्ष—He has already said that ad-interim reduction is not going to be made.

प्रश्न संख्या ७८७

लक्ष्मणगढ़ के तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार का कार्य काल इत्यादि

श्री हरिकृष्ण व्यास— Will the Minister (Revenue) be pleased to answer :—

(a) Since when has the present Tehsildar, Laxmangarh, been posted in this Tehsil ?

(b) Since when has the Naib Tehsildar, Kathumber (Tehsil Laxmangarh, Distt. Alwar) been posted in that station ?

(c) Since when has the present reader to the Tehsildar, Laxmangarh been posted in that Tehsil ?

Page No.29

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(d) Have any of them been ever ordered to be transferred ?

(e) Is it a fact that even after they were ordered to be transferred such orders were later on cancelled ?

(f) Is there any special reason why these persons are sticking at the same place for so long ?

(g) Has the Government received any complaints and repre-sentation against the Naib Tehsildar from the people af the area ?

(h) What action was taken on such complaints ?

श्री भोगीलाल पंडया (रसद मन्त्री)—(ए) श्री कालीचरण किशोर, तहसीलदार लक्ष्मनगढ़, २६-४-१९४६ से इस जगह पर काम कर रहा है।

(बी) श्री श्रीनारायण, नायब तहसीलदार कठुम्बर में १५-१०-४७ से काम कर रहा है।

(सी) तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ का रीडर मौजूदा जगह पर १-६-५३ से काम कर रहा है।

(डी) श्री कालीचरण किशोर तहसीलदार के तबादले के हुक्म हुए थे।

(ई) इस तबादले का हुक्म बाद में मन्सूख कर दिया गया।

(एफ) नहीं।

(जी) जी हाँ।

(एच) कलेक्टर अलवर द्वारा इस मामले में जाँच की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार कितने पीरियड को वाजिब समझती है ट्रान्सफर का हुक्म निकालने के लिए ?

श्री अध्यक्ष—वाजिब नावाजिब का सवाल नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार ने कितना पीरियड नोमली (normally) ट्रान्सफर के लिए मुकर्रर किया है ?

श्री भोगीलाल पंडया—जब आवश्यकता समझी जाती है तभी ट्रान्सफर कर दी जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ढाई या तीन वर्ष के बाद ट्रान्सफर्स कर दी जाती हैं ?

श्री भोगीलाल पंडया—इसके लिए कोई हार्ड एन्ड फास्ट रूल्स (hard and fast rules) बने हुए नहीं हैं। जब आवश्यकता समझी जाती है तभी ट्रान्सफर्स कर दिये जाते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस बारे में कि नोर्मली कितने अरसे के बाद ट्रान्सफर्स करने चाहिये; क्या सरकार ने कोई ऐसी आज्ञा जारी नहीं की है ?

श्री भोगीलाल पंडया—मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि इस सम्बन्ध में सर्कुलर जारी किये गये हैं ?

श्री भोगीलाल पंडया—यदि कोई ऐसा सर्कुलर निकला है तो अपोइन्टमेंट्स विभाग से मालूम करके आपको बताऊँगा।

प्रश्न संख्या ७८८

जिला टोंक व जयपुर में सवर्ण लोगों का हरिजनों पर मृतक-पशु उठाने सम्बन्धी दबाव

श्री लालूराम—क्या दलितवर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सत्य है कि जिला टोंक व जयपुर में सवर्ण लोग हरिजनों के साथ मृतक-पशु उठाने के बारे में जबरदस्ती करते हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंडया (दलित वर्ग उत्थान मन्त्री)—

(क) हाँ, इस तरह की कुछ शिकायतें आई थीं।

(ख) ठेके देने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री लालूराम—आयन्दा यह शिकायत न आए, इसके लिए क्या व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री भोगीलाल पंडया—ठेके देने की व्यवस्था कर दी है।

श्री लालूराम—ठेके किसके द्वारा होंगे ?

श्री भोगीलाल पंडया—तहसीलदार, ग्राम पंचायतों से मिल कर तय करेंगे।

श्री लालूराम—ठेके कहाँ कहाँ होंगे ?

श्री भोगीलाल पंडया—जहाँ कहीं हरिजन इन्कार करेंगे वहाँ ठेके दे दिये जायेंगे।

श्री रोशनलाल—ठेके हरिजनों को दिये जायेंगे या और किसी को ?

श्री भोगीलाल पंडया—प्राथमिकता हरिजनों को दी जायगी।

Page No.31

प्रश्न संख्या ७८६

जयपुर से टोंक जाने वाली सड़क पर बनास नदी पर के पुल को पार करने का टोल टैक्स

श्री रामरतन टिक्कीवाल—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि जयपुर से टोंक जाने वाली रोड पर टोंक के पास बनास नदी पर जो पुल बना हुआ है उस पर होकर जाने वाली टैक्सी गाड़ियां, बसों, ट्रकों, साइकिलों, बैलगाड़ियों, घोड़ा, ऊँट, भेड़, बकरी आदि मवेशियों से टौल टैक्स वसूल किया जाता है और केवल प्राइवेट कार ही इस टैक्स से मुस्तस्ना है ?

(ख) रोड टैक्स देने के उपरान्त टौल टैक्स किस नियम के अन्तर्गत वसूल किया जाता है ?

(ग) क्या प्राइवेट बैलगाड़ी, साइकिल, ऊँट, बैल, बकरी, पाडा आदि से भी यह टैक्स वसूल किया जाता है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(घ) क्या सरकार इस टैक्स को बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) और (ख) बनास नदी टोंक पर जो टोल टैक्स लिया जाता है वह भूतपूर्व टोंक गवर्नमेंट के समय से प्रचलित है और कानूनी रूप से इस टैक्स के लिए जाने में कोई बाधा नहीं है। इस मामले में कानून विभाग की भी राय ले ली गई है।

(ग) हाँ। इस टैक्स को रेशनेलाइज (Rationalise) करने के प्रस्ताव पर गवर्नमेंट विचार कर रही है।

(घ) गवर्नमेंट का इस टैक्स को बन्द करने का विचार नहीं है।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—यह टैक्स किस कानून के अन्तर्गत लिया जा रहा है।

श्री चन्दनमल वैद—मैंने कहा कि टोंक गवर्नमेंट के समय से प्रचलित है।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—आपने समय का निर्धारण किया, पर कानून का निर्धारण नहीं किया।

श्री चन्दनमल वैद—वसूल करने में कानूनी बाधा नहीं है।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—कौन से कानून के अन्तर्गत वसूल किया जाता है ?

श्री चंदनमल वैद—मैं उत्तर दे चुका हूँ कि इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है।

Page No.32

श्री रामरतन टिक्कीवाल--मैं अपना प्रश्न फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि यह टैक्स किस कानून के अन्तर्गत वसूल किया जा रहा है ?

श्री चंदनमल वैद--टोंक गवर्नमेंट के समय की ऐसी प्रेक्टिस थी उसी के मातहत यह टैक्स लिया जा रहा है।

रामरतन टिक्कीवाल--क्या यह मान लिया जाय कि टोंक सरकार के समय में, जो गैर जिम्मेवाराना तौर से जो कार्यवाही की जा रही थी और जो उत्तराधिकार में राजस्थान सरकार को मिली उसे सरकार जारी रखेगी ?

श्री चन्दनमल वैद--जब कोई कानूनी बाधा इसके वसूल करने में नहीं है तो कैसे कहा जा सकता है कि यह गैर कानूनी है। इसके वसूल करने में कोई कानूनी रोक नहीं है।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—क्या सरकार ने इस बारे में कानूनी मशविरा लिया है ?

श्री चन्दनमल वैद—लिया है।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—कितने अर्से से इस टैक्स को वसूल किया जा रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद—टोंक गवर्नमेंट के समय से।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—राजस्थान सरकार इस टैक्स को कब से वसूल कर रही है ?

श्री चन्दनमल वैद—जब से टोंक का शासन राजस्थान सरकार के हाथों में आया है।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—मेरा प्रश्न यह है कि यह टैक्स किस समय से वसूल किया जा रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद--जब से पुल बना तब से।

श्री कँवरलाल जेलिया—सालाना इस टैक्स से राजस्थान सरकार को कितनी आमदनी होती है ?

श्री चंदनमल वैद—Notice required.

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या सरकार को यह मालूम है कि इस पुल पर लगी हुई लागत से कई गुना अधिक रुपया इस टैक्स से वसूल किया जा चुका है ?

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member should not reply to the question unless the Member putting it sits down,

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री चन्दनमल वैद—आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, माननीय सदस्य अपना प्रश्न दोहरायें।

श्री अध्यक्ष—Next. Shri H. K. Vyas.

प्रश्न संख्या ७६१

सरदार शहर में ग्रामीणों को बिना मूल्य कपड़ा-वितरण का आदेश

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Famine be pleased to answer:—

(a) Did the Government sanction any amout for distribution of free cloth to the villagers in Sardarshahar Tehsil ?

(b) If so, what was the amount so sanctioned ?

(c) Was a Committee constituted to supervise such distribution ?

(d) On what basis was the Committe constituded ?

(e) Has the Committee submitted its account ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(अ) गत अकाल में तहसील सरदारशहर के अभाव ग्रसित क्षेत्र की जनता को निर्मूल्य वस्त्र वितरणार्थ ५,०००) रुपया स्वीकृत किये गये थे।

(ब) इसका उत्तर (अ) में दिया जा चुका है।

(स) दो गैर सरकारी व्यक्तियों की सहायता से ये वस्त्र तहसीलदार सरदार शहर के द्वारा बांटे गये थे।

(ड) भाग (स) के उत्तर के कारण इस भाग के उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती है।

(ई) हिसाब प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये सलाहकार किस आधार से नियुक्त किये गये थे।

श्री भोगीलाल पंड्या—वहाँ पर एक वितरण कमेटी बनाई गई थी और इसी तरह उन्हें नियुक्त किया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वितरण कमेटी को किसने बनाया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—फेमीन रिलीफ कमेटी बनी थी तो तहसीलदार ने उन व्यक्तियों को मुकर्रर किया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे सलाहकार किस आधार पर मुकर्रर किये गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वे अच्छे सेवा भावी थे इसलिए उन्हें मुकर्रर किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हिसाब कब पेश हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—थोड़ा समय हुआ, हिसाब आ चुका है।

प्रश्न संख्या ७६२

चित्तौड़ जिले में कूए खोदने की मशीनें

श्री सुगनचन्द जैन—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) चित्तौड़ जिले में कूए खोदने की कितनी मशीनें हैं और कब से हैं ?

(ख) इस साल कितने कूए खोदे गए हैं और कौन-सी तहसील में कितने-कितने ?

(ग) क्या मशीन का पूरा सामान व साधन उनके साथ मौजूद हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) चित्तौड़ जिले में कूए खोदने की एक कम्प्रेशर मशीन है। यह कम्प्रेशर मशीन चित्तौड़ जिले के लिए जून, १९५३ में भेजी गई थी।

(ख) जुलाई, १९५३ में केवल २ कुए कपासिन तहसील में खोदे गये। वर्षा हो जाने के कारण और कार्य नहीं चल सका लेकिन, इस वर्ष में २० कूए खोदे गये और अभी तक काम चल रहा है।

(ग) मशीन का पूरा सामान व साधन मशीन के साथ मौजूद है।

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ७६३

प्याउओं पर से नालियाँ हटाने सम्बन्धी

श्री लालूराम—क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) अब तक राजस्थान में प्याऊओं पर से नालियाँ क्यों नहीं हटाई जा रही हैं ?

(ख) सरकार नालियां को कब तक हटा देगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मन्त्री)—(क) कुछ प्याउओं पर से नालियाँ हटाई जा चुकी हैं तथा और प्रयत्न जारी हैं, किन्तु वैधानिक कठिनाइयों के कारण पूरी सफलता नहीं हो सकी है ।

(ख) यथा-सम्भव जल्दी ही।

एक सदस्य—वैधानिक कठिनाई क्या है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कुछ म्युनिसिपैलिटियों के बाई लॉज़ (bye laws) ऐसे बने हुए हैं कि उनसे इसमें कठिनाई आती है ।

श्री कँवरलाल जेलिया—यह वैधानिक संकट कब दूर होगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब बाई लॉज़ बदल जायेंगे तो यह वैधानिक संकट दूर हो जायगा ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—वैधानिक संकट दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पिछड़ी जाति कल्याण की ओर से म्युनिसिपैलिटियों को लिखा है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही यह वैधानिक कठिनाई दूर हो जायगी ।

श्री कँवरलाल जेलिया—प्याउओं के लिये जगह देने के लिये क्या सरकार शर्त नहीं रख सकती कि यदि प्याउओं पर से नालियाँ नहीं हटाई गई तो प्याऊ बन्द करनी पड़ेगी । यदि प्याउओं पर नालियाँ हैं तो राजस्थान सरकार उनको बन्द क्यों नहीं करती ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बताया कि वैधानिक कठिनाई है, फिर भी जिन प्याउओं को सरकारी सहायता मिलती है उनके लिये म्युनिसिपैलिटियों और ग्राम पंचायतों को हिदायत की गई है कि यदि उन प्याउओं पर से नालियाँ नहीं हटायेंगे तो सरकारी सहायता बन्द कर दी जावेगी ।

प्रश्न संख्या ७६४ तथा ७६५

श्री अध्यक्ष——श्री गुरुदयालसिंह संधु ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७६६

कपासन (जिला चित्तौड़) के कृषि विभाग में चद्दरें व सीमेंट की आमद व वितरण

श्री सुगनचन्द जैन—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री सुगनचन्द जैन]

(क) चित्तौड़ जिले में कपासन में एग्रीकल्चर का ऑफिस है उसमें सन् ५३-५४ में कितनी चद्दरें व सीमेंट आए ?

(ख) क्या ये चद्दरें व सीमेंट तहसीलवाइज़ दी गई हैं ? यदि हाँ, तो कोन-कोन-सी तहसील को और कितनी-कितनी तादाद में दी गई हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) आमद चद्दरें व सीमेंट सन् १६५३ व १६५४ :

	सन् १६५३		सन् १६५४	
नाम स्थान	तादाद चद्दरें	तादाद सीमेंट	तादाद सीमेन्ट	तादाद चद्दरें
कपासन	२० टन	१० टन	२१ टन	२० टन
चित्तौड़गढ़				४० ,,
योग	२० टन	१० टन	२१ टन	६० टन

(ख) हां, वितरण का विवरण निम्न प्रकार है ।

	सन् १६५३		सन् १६५४	
नाम स्थान	तादाद चद्दरें	तादाद सीमेंट	तादाद चद्दरें	तादाद सीमेन्ट
कपासन	१० टन	८ टन	२० टन	१६ टन
राश्मी	४ ,,	१।२ ,,	४ ,,	१½ ,,
बेंगू	२ ,,		७½ ,,	
गंगरार	१ ,,	१।२ ,,	१.१।४ ,,	
चित्तौड़गढ़	१ ,,	१।२ ,,	१३.१।२ ,,	
प्रतापगढ़	१ ,,		१ ,,	
निम्बाहेड़ा	१ ,,	४ ,,	१।२ ,,	१।२ टन
मदेसर		१।२ ,,	२ ,,	
बड़ी सादड़ी			२.१।२ ,,	
कनेरा			१.३।४ ,,	
छोटी सादड़ी			२.१।२ ,,	
योग	२० टन	१० टन	६० टन	२१ टन

[श्री भोगीलाल पंड्या]

उपर्युक्त वर्षों में जो तिमाही कोटा चित्तौड़गढ़ जिले के लिये दिया गया है वह निम्न प्रकार है।

सन् १९५३	लोहा । नालीदार चद्दरें	सीमेन्ट
पहली तिमाही	२० टन	२० टन
दूसरी तिमाही	२० ,,	२० ,,
तीसरी तिमाही	२० ,,	२० ,,
चौथी तिमाही	२० ,,	२० ,,
सन् १९५४		
पहली तिमाही		२० ,,
योग	८० टन	१०० टन

प्रश्न संख्या ७९७

पूर्व राजस्थान में जागीरों की लगान वसूली के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण

श्री शम्भूसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) फोर्मर राजस्थान में जागीरों के लगान वसूली का अधिकार लेने बाद सरकार ने अब तक प्रतिवर्ष कितने-कितने रुपये वसूल किये जिनमें से कितने रुपये तो जागीरदारों को लौटा दिये और कितने रुपये बाकी हैं, सालवार हिसाब बतलाने की कृपा करें ?

(ख) बाकी रहे हुए रुपये मय व्याज सरकार जागीरदारों को कब तक लौटा देगी ?

(ग) रुपये लौटाने में इतनी देरी करने के क्या कारण हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—(क) फोर्मर राजस्थान में जागीरी के लगान वसूली का अधिकार तारीख १-२-४९ से लिया गया उसका हिसाब निम्न प्रकार है :

सन्	आय	ट्रिब्यूट सरकार में वसूल हुआ	रेवेन्यू कलेक्शन चार्जेज़ सरकार में वसूल हुआ	जागीरदार को रकम चुकाई गई
४९-५०	६४४२८५३	७,७२२४९	१३११९७२	४३५८६३२
५०-५१	६७२११९९	७,७५५६०	१३३५९१५	४६०९६९१
५१-५२	५६३२८०९	७,४६२०४	१०२७५७१	३८५९०३४
५२-५३	६४१४२२७	७,११६८९	१२२५१५३	४४७७३८५

Page No.38

[श्री भोगीलाल पंड्या]

सन् ५३-५४ का हिसाब अभी तैयार हो रहा है।

(ख) रकम बाकी नहीं रखी जाती।

(ग) रकम चुकाने में कोई देरी नहीं की जाती। प्रत्येक फसल की आय निश्चित समय पर ही चुका दी जाती है।

श्री शम्भूसिंह—माननीय मंत्री महोदय क्या बतलाने की कृपा करेंगे कि जितना अधिक रुपया वसूल किया गया और जो अभी तक जागीरदारों को नहीं चुकाया गया वह उन्हें कब तक चुका दिया जावेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने यह नहीं कहा कि जागीरदारों को कम रुपया चुकाया गया।

श्री शम्भूसिंह—जागीरदारों ने जिस ऑर्डिनेन्स की तहत में कलेक्शन पॉवर दिये, उस ऑर्डिनेन्स को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और हाईकोर्ट ने अवैधानिक करार दिया उसके बाद जागीरदारों से कलेक्शन चार्जेज़ क्यों लिये जाने चाहिये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो एक वैधानिक बात है, वैधानिक कार्यवाही जैसी होनी चाहिये की जावेगी।

श्री शम्भूसिंह—जागीरदारों को कलेक्शन चार्जेज़ सरकार कब तक लौटा देगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो एक वैधानिक बात है।

श्री तनसिंह—वैधानिक बात क्या है, वह हमें समझा दी जावे।

श्री भोगीलाल पंड्या—आप तो खुद कानून जानते हैं, इसलिये आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं।

प्रश्न संख्या ७६८.

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिह संधु

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७६९.

रेनवाल (जयपुर) से सीकर तक कस्बा दांता रामगढ़ होते हुए सड़क का निर्माण

श्री भैरूँसिंह (१६)—क्या निर्माण व योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री भैरूँसिंह]

(क) क्या यह सही है कि रैनवाल, जिला जयपुर से सीकर तक कस्बा दांता रामगढ़ होती हुई एक सड़क बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि हां, तो यह विचार कब तक कार्यरूप में परिणात होगा ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री)—(क) नहीं, परन्तु मारोठ से दांता रामगढ़ होती हुई सीकर तक सड़क बनाने की योजना अवश्य है ।

(ख) सब सड़कें एक साथ बनाना सम्भव नहीं ।

प्रश्न संख्या ८००.

राजस्थान के विभिन्न डिविजनों में पृथक् भू-राजस्व

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के पांचों डिविजनों की भूमि कर (लेंड रेवेन्यू) अलग-अलग डिविजनों की कितनी-कितनी है ?

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने भूमि-कर व पैदावार की दृष्टि से डिविजनों की अलग-अलग श्रेणियां बना रखी हैं ?

(ग) यदि हां, तो किस भांति ? इस दृष्टि से प्राथमिकता किस डिविजन की आती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (राजस्व मन्त्री)—(क) राजस्थान में पांचों डिविजनों की लेन्ड रेवेन्यू डिमान्ड्स इस प्रकार हैं :

१.	बीकानेर	३५,६८,०००
२.	कोटा	६०,००,०००
३.	उदयपुर	३६,५४,०७४
४.	जयपुर	१,४२,४६,०००
५.	जोधपुर	३६,६५,३२५

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ख) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ८०१.

सीकर के पॉवर हाउस अव्यवस्थित रूप में चलने के कारण जनता को कष्ट

श्री भैरूँसिंह (१६)—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सीकर के वर्तमान पॉवर हाउस के अव्यवस्थित रूप में चलने के कारण वहां की जनता को पानी एवं बिजली के लिये काफी कष्ट उठाना पड़ रहा है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार जनता के इन कष्टों के निवारण के लिये क्या विचार कर रही है ?

श्री चन्दनमल वैद—(क) हां।

(ख) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरूँसिंह—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री चन्दनमल वैद—यह प्रश्न अप्रैल से सरकार के विचाराधीन है और एक-दो महीने तो लगेंगे ही।

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ८०२

पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के लिये अधिक राशि व कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव करने वाली समिति के सदस्य

श्री तनसिंह—क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के लिए अधिक राशि व कार्य का प्रस्ताव करने वाली समिति की ता० ३१ मई से १ जून ५२ की बैठकों में किन-किन सज्जनों को उक्त समिति में भाग लेने के लिये निमंत्रित किया गया था ?

[श्री तनसिंह]

(ख) उनमें कौन-कौन उपस्थित थे ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)--(क) उक्त मीटिंग के लिये निमंत्रित सदस्यों की सूची जो कि परिशिष्ट 'अ' में दी गई है, मेज पर रख दी गई है।

(ख) उक्त मीटिंग में जो सज्जन उपस्थित थे उनकी सूची जो कि परिशिष्ट 'ब' में दी गई है मेज पर रख दी गई है।

[कृपया परिशिष्ट ३ देखिये]

श्री अध्यक्ष--Next.

प्रश्न संख्या ८०३

राजस्थान राजस्व मन्डल की बैठकें जयपुर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी

श्री कँवरलाल जेलिया--क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[क] क्या राजस्थान रेवेन्यु बोर्ड की बैठकें राजस्थान की राजधानी के अलावा डिवीजन हैड क्वार्टर्स पर भी होती हैं ? यदि हाँ, तो किन-किन डिवीजनों के हैड क्वार्टर्स पर होती हैं ?

[ख] पिछले वर्ष रेवेन्यु बोर्ड में माल-सम्बन्धी मामलों की कुल संख्या किस डिवीजन की कितनी-कितनी आई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या [रसद मन्त्री]--[क] हाँ, ये बैठकें राजधानी के अलावा बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में होती हैं।

[ख] इस विषय का स्टेटमेंट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

[कृपया परिशिष्ट ४ देखिये]

श्री कँवरलाल जेलिया--रेवेन्यू बोर्ड की बैठकें कोटे में भी शुरू करने की बात पर सरकार विचार करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या--जहाँ आवश्यक समझेगी वहाँ पर बैठकें करेगी।

श्री अध्यक्ष--Next.

प्रश्न संख्या ८०४

बांसवाड़ा से तेजपुर तक की सड़क में आने वाली भूमि का अधिग्रहण

श्रीमती यशोदा देवी—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क] बांसवाड़ा से तेजपुर तक जो सड़क बन रही है उस सड़क में आने वाली भूमि क्या राजस्थान भूमि ग्रहण अधिनियम सं० १६ के अन्तर्गत प्राप्त कर ली गई है ? यदि कर ली गई है तो कब ?

[ख] उन भूमि के मालिकों को क्या मुआवजा दिया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद [उप मन्त्री]—[क] इस सड़क में जो जमीन ली गई है वह सम्बन्धित व्यक्तियों की जबानी सम्मति से ली गई है। भूमि अधिनियमों के अनुसार कार्यवाही जारी है।

[ख] भूमि अधिनियमों के अनुसार जो मावजा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा कायम किया जायगा वह भूमि के मालिकों को दे दिया जायगा।

प्रश्न संख्या ८०५

बाँसवाड़ा तहसील में बनने वाली सड़कों से खड़ी खेती नष्ट

श्रीमती यशोदा देवी—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) बाँसवाड़ा तहसील में बनने वाली सड़कों के लिये कितने खेतों की खड़ी फसलें नष्ट की गईं ?

[ख] क्या खड़ी फसलों के नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया गया ?

(ग) यदि दिया गया, तो कितना ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों नहीं ?

श्री चंदनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) बाँसवाड़ा तहसील में ऐसी भूमि नहीं ली गई जिससे कि काश्तकारों की खड़ी फसलें नष्ट हुई हों।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास किसी की शिकायतें आई है ?

श्री चन्दनमल वैद—ऐसी कोई शिकायत की जानकारी मुझे नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—Next.

Page No.43

प्रश्न संख्या ८०६

पाइलेट योजना से जनता को लाभ

श्री घासीराम—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) पाइलेट स्कीम से क्या मुराद है ?

(ख) यह स्कीम राजस्थान की किन-किन तहसीलों में पहली बार जारी की गई है ?

(ग) इस स्कीम से जनता को क्या लाभ हुआ है ?

[घ] इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिये इन्चार्ज अधिकारियों को कोई केश (Cash) रकम दी गई थी या नहीं ? दी गई तो कितनी-कितनी और वे रकमें किन-किन कार्यों में खर्च हुई ?

[ङ] तहसील तिजारा, जिला अलवर में इस स्कीम से क्या सुधार हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—[क] पाइलेट स्कीम तहसीलों और जिलों में चढ़े हुये काम को निपटाने के लिए शुरू की गई है। इस प्रयास के अन्तर्गत कुछ तहसीलें छाँटी गई हैं । इसमें अधिकारियों का चढ़े हुये काम की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है और काम को समय-समय पर निरीक्षण द्वारा शीघ्रता से पूर्ण किया जाता है ।

[ख] ४२ तहसीलों में यह स्कीम लागू की गई है।

[ग] इस स्कीम ने कार्य-क्षमता बढ़ाने में सहायता की है और समय-समय पर कार्य हो जाने से जनता का लाभ ही है।

[घ] जी नहीं ।

(ङ) इस तहसील का कमिश्नर, जयपुर द्वारा हाल ही में निरीक्षण किया गया है जिससे यह प्रतीत हुआ है कि वहाँ कार्य सन्तोषजनक हो रहा है। तीन हल्कों के अलावा सारे पटवार कागजातों में पूरे इन्द्राज होकर जमा करा दिये गये हैं। अधिकारियों द्वारा निरीक्षण समय-समय पर हुआ है। पैंडिंग मुकदमों की संख्या कम है।

प्रश्न संख्या ८०७

गोवटा (जिला भीलवाड़ा) के तालाब का निर्माण तथा उससे लाभ

श्री **चुनीलाल बिड़ला**—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री चुन्नीलाल बिड़ला]

(क) गोवटा का तालाब (जिला भीलवाड़ा) क्या बन चुका है या अभी बन रहा है और क्या काम बाकी है ?

(ख) कितना फीट पानी इसमें इस साल भर गया है और उससे सिंचाई होने पर कितनी एकड़ जमीन पीवल हो सकेगी व कितनी आमदनी सरकार की होगी ?

(ग) क्या यह सही है कि इस साल सिंचाई पूरी तरह हो सकी है ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री **चन्दनमल वैद** (उप मन्त्री)—(क) गोवटा का तालाब अभी बन रहा है और नहर बनाना व उसका पक्का काम बाकी है।

[ख] इसमें पानी इस साल ७० की लेवल यानी करीब २० फीट भरा था और उसमें सिंचाई होने पर ६०० एकड़ जमीन पीवल हो सकेगी और उससे सिंचाई होने पर आमदनी करीबन ६०००) रु० सालाना हो सकेगी।

[ग] इसमें सिंचाई, जब से यह बना है, अभी तक नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि इसमें मोरियाँ व नहर नहीं थी जिनको इस साल बनाने की मन्जूरी मार्च ५३ में प्राप्त हुई और काम बरसात में भी जारी रखा और अब तक भी जारी है।

[घ] इस तालाब को इसी साल पानी रोक कर पिलाई करने के लिए ऊँचा किया है और आशा है कि नहरों से अगले वर्ष में पिलाई हो सकेगी।

श्री **सन्तोषसिंह**—अभी माननीय उप मन्त्रीजी ने, ७० की लेवल और २० फीट भरा था, बतलाया। इसका फरक ५० फीट का है, यह क्या बात है ?

श्री **चन्दनमल वैद**—७० की लेवल है और वहाँ तक पानी जा सकता है। २० फीट पानी आया और ५० फीट खाली है।

श्री **अध्यक्ष**—Next.

प्रश्न संख्या ८०८

श्री **अध्यक्ष**—श्री रघुराजसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.45

प्रश्न संख्या ८०६

उनियारा से भूतपूर्व जयपुर सरकार द्वारा रकम वसूली

श्री रामरतन टिक्कीवाल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) उनियारा से जो भूतपूर्व जयपुर सरकार सूबे की रकम वसूल किया करती थी वह कब तक की वसूल हो चुकी है और यदि बाकी है, तो किस सन् से बाकी है और अब तक क्यों नहीं वसूल हो सकी है ?

[ख] ठिकाना उनियारा किस कदर सूबे की रकम जमा कराया करता था ?

[ग] क्या ठिकाना उनियारा के जिम्मे जयपुर सरकार का कर्जा बाकी है ?

(घ) यदि है तो अब तक उसमें से कितना वसूल हो चुका है, कितना अभी बाकी है और क्यों ? जो बाकी है उसको वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भोगीलाल पंडया—(क) संवत २००३ तक की। संवत २००४ से २००६ तक की रकम बाकी है। संवत २०१० की उन्हालू के २०४२० रुपये ७ आने वसूल हो चुके हैं।

[ख] ठिकाना उनियारा ४०,८४० रु० १४ आने सालाना सूबे के जमा कराया करता है।

[ग] इस बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होने पर सदन की मेज पर पेश कर दी जायगी।

श्री जसवन्तसिंह—सुना नहीं गया इसलिए इसको फिर से दोहरा दीजिये।

श्री भोगीलाल पंडया—इस बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होने पर सदन की मेज पर पेश कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष—Do not get alarmed,

कु० श्री जसवन्तसिंह—I do not get alarmed. I want to know whether the Governnent is right or not.

श्री अध्यक्ष—This is alarm.

श्री कु० जसवन्तसिंह—Because we had to take the Covernment's statement as a pinch of salt.

प्रश्न संख्या ८१०

कपासन या बड़ी सादड़ी तहसीलों में राष्ट्रीय विकास खण्ड

श्री जगतसिंह झाला—क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार इस वर्ष नये खुलने वाले राष्ट्रीय विकास खण्डों में से एक चित्तौड़ जिले की कपासन या बड़ी सादड़ी तहसीलों में से किसी एक में अवश्य रखने का विचार करेगी?

[ख] यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री चंदनमल वैद [उप मन्त्री]—(क) इस वर्ष नये खुलने वाले विकास खण्डों में से निम्नलिखित दो विकास खण्ड चित्तौड़ में रखे गये हैं।

बेगूँ और प्रतापगढ़

दोनों खण्ड बेगूँ तहसील व प्रतापगढ़ तहसील में होंगे।

[ख] चूँकि इस वर्ष खुलने वाले विकास खण्डों का निर्णय हो चुका है, कपासन व बड़ी सादड़ी तहसीलों में विकास खण्ड खोलने के प्रश्न पर अगले वर्ष विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८११

कस्बा निवाई (जिला टोंक) के समीप जोधपुरिया नामक बाँध बाँधने की योजना

श्री लालूराम—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या कस्बा निवाई (जिला टोंक) के पास जोधपुरिया नामक एक बाँध बाँधने की योजना है?

(ख) अगर है, तो क्या इसके सर्वे आदि का काम हो चुका है?

(ग) अगर हो चुका है, तो अब तक सरकार का इस सम्बन्ध में कितना खर्चा हो चुका है?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८१२

विसाऊ (झुंझुनू) कस्बे से सन् १६५२-५३ में एक पटवारी द्वारा रकम लेकर भागना

श्री महादेव प्रसाद—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सच है कि बिसाऊ कस्बे (झुंझुनू) से एक पटवारी रकम लेकर सन् ५२-५३ में भाग गया था ?

(ख) यदि हाँ, तो कितनी रकम लेकर भागा था ?

[ग] सरकार ने उक्त पटवारी के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—[क] जी हाँ।

[ख] ७१६|||≡]

[ग] उसकी चल और अचल सम्पत्ति में से उक्त रकम वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री महादेव प्रसाद—क्या यह सही है कि इससे अधिक रकम वह लेकर भाग गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार को जहाँ तक मालूम हुआ है वह ७१६|||≡) लेकर भाग गया है। यदि आपको इससे भी अधिक रकम लेकर भागने की जानकारी हो तो कृपया बतावें ताकि उसकी जाँच कराई जा सके।

श्री महादेव प्रसाद—क्या यह भी सही है कि जब सवाल पूछा गया था उस वक्त तक पटवारी का पता नहीं था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पटवारी के भाग जाने का पता था तब तो रकम का पता लगा ही है। उसकी चल और अचल सम्पत्ति से उक्त रकम वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री महादेव प्रसाद—क्या सरकार दुबारा जाँच कराने की कृपा करेगी कि वह अधिक रकम लेकर भाग गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अर्ज किया कि अगर आपको इससे अधिक रकम लेकर उसके भाग जाने का पता है तो कृपया बता दीजिए कि कितनी रकम लेकर भाग गया था। सरकार की जानकारी में तो इतनी ही रकम ले भागने की सूचना आई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८१३

जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट न होने के कारण न्यायालयों को कठिनाइयाँ

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Will the Minister for Law please inform:—

(i) Is the Government aware of the legal difficulties and complications arising every day in the Courts of Justice of this State because of the absence of the General Clauses Act on the Statue Book ?

(ii) Does the Government intend to introduce a Bill on the subject during this Session ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(i) Yes.

(ii) The Bill has already been introduced.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—What are the reasons for the delay so far ?

श्री चन्दनमल वैद—No delay was committed.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Is four years time not deemed to be delay for the Government at all.

कुँ० श्री जसवन्तसिह—No.

श्री चन्दनमल वैद—I told the fact. The Bill has already been introduced.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—I want to know the reasons for the delay please.

श्री अध्यक्ष—The Government is to give information here.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—That is what I want.

श्री अध्यक्ष (जारी रखते हुए)—And not account for the delay.

एक माननीय सदस्य—They are not responsible for the delay.

प्रश्न संख्या ८१४

कोट कासिम सब तहसील (जिला अलवर) तक जाने के लिए सड़क निर्माण

श्री घासीराम—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[क] कोटा कासिम सब तहसील [जिला अलवर] तक जाने के लिए क्या कोई सड़क है ? अगर है तो कहाँ हो कर है और नहीं है तो क्या सरकार सड़क बनवाने को तैयार है, तथा वह कहाँ होकर जायेगी ?

[ख] यह सड़क सरकार कौन-सी स्कीम के अन्तर्गत बनवाना चाहती है ?

श्री चन्दनमल बैद [उप मन्त्री]—[क] एक कच्ची सड़क है जो खेरथल तिजारा सड़क की मील १३ वीं से शाहबाद और लाड़पुर होकर जाती है।

[ख] प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८१५

रतनशहर स्टेशन से बगड़ कस्बे (जिला झुंझुनू) तक सड़क निर्माण

श्री महादेव प्रसाद—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) रतनशहर स्टेशन से बगड़ कस्बे (जिला झुंझुनू) तक सड़क किसने बनवाई थी।

(क) इस सड़क के बनवाने में कितने रुपये खर्च किये गये ?

(ग) क्या सरकार के पास इस सड़क पर डामर (तारकोल) डालने के हेतु कुछ रकम जमा है ?

श्री चन्दनमल बैद (उप मन्त्री)—[क] यह सड़क पी. डब्ल्यु डी. के डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जयपुर द्वारा बनवाई गई थी। सरकार को इस पर लगने वाले अनुमानित व्यय का ६० प्रतिशत एक सेठ गंगाधर मखेरिया द्वारा दिया गया था।

[श्री चन्दनमल वैद]

(ख) इस सड़क पर वास्तविक लागत ४४,५६६) रु० है ।

[ग] इस समय डामर डालने के लिए कोई रुपया अलग जमा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८१६

श्री अध्यक्ष--श्री रघुराजसिंह ।

[प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये]

श्री अध्यक्ष—The question hour is now over.

सदन की बैठकों का समय निश्चित करने सम्बन्धी वाद-विवाद

आज नोन ऑफिशियल डे है । पहले प्रस्ताव लिये जावेंगे । पहला प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण व्यास का है जिसको वे प्रस्तुत करेंगे ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—आज की कार्यवाही शुरू होने से पहले इस सदन की बैठक के समय के लिये तय होना चाहिए । ऑफ्टरनून का सेशन सदन के नेता से......

श्री अध्यक्ष—ये बातें प्रोसिडिंग्ज में क्यों ली जाँय । आप आपस में बातें कर लीजिये और तय कर लीजिये ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—बात कर ली है किन्तु किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं । इस वक्त बैठक कार काम करना इम्पोसिब्ल [असम्भव] है । लेजिस्लेटर्स को ही नहीं अन्य दूसरे लोग विज़ीटर्स आदि को भी असुविधा है । फिर भी सरकार की ऐसी ही मर्जी है तो हम जरूर काम करेंगे, किन्तु इस तरह से काम करने में न मजा रहेगा और न दिलचस्पी ही।

श्री संतोषसिंह—७ से ११ सुबह रख लिया जाय ।

श्री जयनारायण व्यास [मुख्य मन्त्री]—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा......

श्री अध्यक्ष—Let this question be decided by me in the Chamber instead of discussing it here. I will call you after I retire.

Page No.51

श्री जयनारायण व्यास—अगर सुविधायें नहीं हुईं तो हम सुबह का स्वीकार कर लेंगे। हम सारी सुविधा देने के लिए तैयार हैं। मजा नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं होगी, मजा जरूर रहेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब तक सुविधायें न हों, तीन-चार दिन के लिए सुबह का सेशन कर दिया जाय।

श्री जयनारायण व्यास—कल एक दिन की बात है, बाद में सुविधायें हो जावेंगी।

श्री सन्तोषसिंह—(क) खर्चा बहुत पड़ेगा।

राज्य में फैली हुई बेकारी को दूर करने सम्बन्धी संकल्प

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय सदस्य, मैं सदन के सामने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :

"In the opinion of this House the Rajasthan Government should take immediate measures to provide work or unemployment relief to the unemployment in the State, and to prevent further unemployment, and that with this end in view it should :

[a] CREATE a fund, to which it should contribute at least one crore of rupees annually, for granting relief to the unemployed and for starting and stimulating small scale industries; by drastically reducing expenditure on administration including ministers themselves;

[b] PROHIBIT all retrenchment from State-owned or Private Industries under takings or callings.

[c] ORDER that all Government Departmental or Semi-governmental needs for blankets, other woolen goods and all leather goods SHALL be met out of local manufacture, and with this assured market and by further securing orders from other States, Institutions and GHO. stimulate and develop our wool and leather Industry.

[d] SECURE from the Government of India freight concessions and with a bold, imaginative policy stimulate and develop our Mining Industry.

[e] TRY through the Government of India to get profitable and assured market for our Mica by negotiations with countries like China, Rumania etc,; and

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

[f] TAME similar other concrete and practical steps to meet this all growing problem on an emergency basis."

(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल, सभापति, पदासीन)

माननीय चेयरमैन, मैंने जो प्रस्ताव अनएम्लॉयमेंट की समस्या को दूर करने के लिए सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके अन्दर क्या चीजें हैं, उस पर दो शब्द कहना चाहूँगा। सबसे पहले हमें यह मानकर चलना पड़ेगा कि हम ऐसे प्रश्न पर आज विचार कर रहे हैं जो शायद जितनी भी समस्यायें हमारे इस राज्य के सामने हैं उनमें से अगर मुकाबला करें तो यह समस्या सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है अथवा सबसे गम्भीर समस्या के रूप में यह सामने आती है। कुछ दिनों पहले जोधपुर में वहाँ के रेलवे वर्क शॉप में करीब सौ आदमियों के लिए स्थान रिक्त हुए और माननीय चेयरमैन, जब अर्जियाँ माँगी गईं तो इन सौ स्थानों की पूर्ति के लिए पाँच हजार से भी ज्यादा लोगों की अर्जियाँ पहुँची जिनमें बी० ए० तक के और एम० ए० तक के लोग थे तथा और भी कई लोग थे। तो, सौ स्थानों के लिए पाँच हजार आदमियों ने अपनी अर्जियाँ वहाँ प्रस्तुत कीं। पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में लगभग अलवर में भी जब कोई १५० शिक्षकों की नियुक्ति का प्रश्न आया तो समाचार पत्रों में जिस प्रकार के समाचार छपे उसके आधार पर पाँच, साढ़े पाँच हजार लोग इन नियुक्तियों के लिए अपनी अर्जियाँ लेकर पहुँचे।

मेरा खयाल है कि यह बात शासन के ध्यान में भी आई है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज सारे देश में और विशेषकर अपने इस राज्य में रोजगार, अपनी आजीविका कमाने का मौका लगातार लोगों को कम होता जा रहा है और लाखों की संख्या में हमारे राज्य में और करोड़ों की संख्या में हमारे देश में लोग बेकार बैठे हैं। पहले अगर हम इस आधार को माने भी तो हम सही कदम उठा पायेंगे, इस समस्या के हल करने में। आज बहुत विकट समस्या हमारे पाले पड़ी है।

दूसरा आधार माननीय चेयरमैन, मेरा यह है कि चूंकि इस समस्या ने इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया है इसलिए इस समस्या का हल इमरजेन्सी बेसिस पर (emergency basis) पर किया जाना चाहिये। यह ठीक है कि कुछ योजनायें इस प्रकार की चालू करते हैं जिससे आने वाले पाँच या दस वर्षों में यह समस्या कम हो जायगी। किन्तु लाखों लोग, आज जो इस देश में बेकार हैं और हमारे राज्य में बेकार हैं उनका इन योजनाओं से पेट नहीं भर सकता। इनको जब आजीविका नहीं मिलेगी अथवा जब तक उसके जिन्दा रहने की जिम्मेदारी सरकार निभाना शुरू नहीं करेगी अगले कई वर्षों तक उनके ठहरने की आशा नहीं रहेगी, बल्कि बहुत से लोगों को स्वर्ग सिधारना पड़ जाय। आज ऐसी गम्भीर परिस्थिति पैदा हो रही है हमारे राज्य में। इसलिये मेरे प्रस्ताव का यह दूसरा आधार है। इस प्रश्न का हल इमरजेन्सी बेसिस के आधार पर किया जाना चाहिये और अगर हम इसका इमरजेन्सी बेसिस पर हल नहीं सोचते हैं तो कल जाकर हमारे इस राज्य में बहुत सी पेचीदी समस्याएँ खड़ी हो जावेंगी और जिनका हल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। आज हमारे इस राज्य की क्या हालत है, माननीय चेयरमैन, मैं आपकी आज्ञा से इसको कुछ तफसील

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में वर्णन करना चाहता हूँ। आप किसी भी उद्योग की मिसाल ले लीजिये। हमारे इस राज्य में, खास कर जोधपुर डिविजन में कमठे (भवन-निर्माण) का काम, जिसे मकान बनाने का उद्योग कहते हैं चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम हो, पत्थर की खान में काम करने का हो, चाहे मकान बनाने का काम हो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देने का आधार था और हकीकत यह है कि एक-एक वर्ष में २४-२४ लाख बल्कि यहाँ तक मेरे पास सूचना है कि सन् १६४६ में ४० लाख रुपये तक का कन्स्ट्रक्शन का काम हुआ है, इसी एक इलाके में। अकेले एक शहर जोधपुर में ८० हजार लोगों को इससे आजीविका मिलती है और इस रोजगार में काम करते हैं। आज यह हाल है, माननीय चेयरमैन, इस बारे में सरकार जाँच कर सकती है कि आज इन ८० हजार लोगों में से करीब ३०-४० हजार लोग शहर छोड़कर चले गये हैं अहमदाबाद; वे दिल्ली चले गये हैं। आज दिल्ली में जितने मकान बनाने के काम में जो लोग काम करते हैं, जितने मजदूर हैं उनमें आदमी हों या औरतें, उनमें १० से १५ प्रतिशत राजस्थान के रहने वाले लोग हैं और जितने लोग वहाँ गये हैं उनमें से पाँच प्रतिशत को भी रोजगार नहीं मिलता। उनके लिए महीने में चार-पाँच रोज भी काम नहीं होता। आज क्या हालत हो रही है हमारे इस राजस्थान के निवासियों के उस तबके की, यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है।

दूसरे उद्योग-धन्धों को भी लीजिये। भीलवाड़ा में माइका का बहुत बड़ा उद्योग है। इसको उद्योग तो नहीं कहना चाहिये किन्तु लोगों की आजीविका चलाने के रूप में यह माइका का उद्योग भीलवाड़े में है और वहाँ जो ३०० लोग, ३०० पार्टीज़ काम करती हैं उनमें से १० को छोड़कर बाकी सब ने काम करना बन्द कर दिया है। मैं आज उनके कारणों में जाना नहीं चाहता कि किस वजह से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है, लेकिन यह हकीकत है कि वहाँ ८० प्रतिशत लोग जो महज इन्डस्ट्रीज़ में काम करते हैं, बेकार हैं। वहाँ जो मजदूर कार्य करते हैं उनकी तनख्वाह का बकाया रुपया पाँच लाख के करीब है। जो कार्य कर चुके, जो महनत कर चुके उनकी तनख्वाह तक उन लोगों को नहीं मिली; ऐसी तनख्वाह के रुपये पाँच लाख तक पहुँचते हैं।

बुनकर चर्मकार आदि इस प्रकार का कार्य करने वाले जो लोग थे आज उनका भी कार्य चौपट हो गया है। छोटे-मोटे सामान जो हाथ से बनाने वाले थे आज उनकी भी यही हालत है। उनके माल की बाजार में खपत न होने से आज वे लोग बड़े संकट में गुजर रहे हैं। वैसे भी औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। हमारे इस राज्य की सारे देश की आबादी के परिमाण में ५ या १० प्रतिशत आबादी इन्डस्ट्रियल लेबर गिनी जा सकती है, जिसमें प्लान्टेशन का काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। वहाँ राजस्थान में ये आँकड़े एक परसेन्ट भी नहीं पहुँचते हैं। १०० से ज्यादा मजदूर जिन कारखानों में काम करते हैं उनकी अगर टोटल लगाई जाय तो हमारे देश में काम करने वाले मजदूरों में राजस्थान के मजदूरों की तादाद ६६ हजार से ज्यादा नहीं पहुँचेगी। इस पिछड़े हुए इलाके में हम क्या देखते हैं कि भीलवाड़े में

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सूती वस्त्र के दो कारखाने थे उनमें से एक काफी अरसे से बन्द पड़ा है। अलवर और दूसरे इलाके में तेल के कारखाने थे, छोटे-मोटे ओइल मिल्स थे; वे धड़ाधड़ बन्द होते जा रहे हैं।

एक कारखाना ग्लास का जोधपुर में था; वह भी आज बन्द पड़ा है। किशनगढ़ में जितने मजदूर काम करते थे वहाँ के मिल मालिक ने सरकार पर किसी प्रकार से दबाव डालकर, इजाजत लेकर वहां के मजदूरों की छंटनी कर दी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बेकारी की समस्या की तरफ हमारे राज्य की सरकार का दृष्टिकोण है। एक तो पहले से ही राजस्थान पिछड़ा हुआ इलाका है और दूसरी ओर इस पिछड़े हुए औद्योगिक इलाके में जो थोड़े बहुत उद्योग-धन्धे हैं वे भी आज बन्द हो रहे हैं। इससे यहाँ बेरोजगारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किन्तु केवल प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़ पर या अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाले उद्योगों की ऐसी ही हालत हो, ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार जो नीति बरत रही है अपने कारखानों में, अपने कार्यालयों में उसको देखकर मेरा यह दृष्टिकोण बना है कि हमारी सरकार बेकारी की समस्या हल करने के बजाय, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ पिछले दो-तीन वर्षों में हजारों की तादाद में लोगों को बेकार बनाने की नीति रही है, इसका साफ-साफ नतीजा हमारे सामने आया है।

पी. डब्ल्यू. डी. में जो काम करते थे, गैंग्ज़ के रूप में जो कार्य करते थे आज उसकी जगह पी. डब्ल्यू. डी. विभाग ने इसके लिए ठेका देने का काम अख्तयार कर लिया है। जो छोटी-छोटी रिपेयर्स होती थीं, जैसे किसी दरवाजे में कुछ टूट-फूट हो गई या और कुछ मामूली मरम्मत का काम हो गया तो वे विभागीय कारीगरों से कराये जाते थे। अब इसके लिए भी ठेका दिया जाता है। तीन-चार आदमियों को हजारों रुपये का ठेका दे दिया जाता है। नतीजा इसका यह हुआ कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जितने मजदूर काम करते थे उनको यह कह कर कि तुम तो वर्क चार्ज लोग हो, टेम्परेरी लोग हो, काम था तब तुम्हें रखा गया था; इस तरह से पिछले डेढ़-दो सालों में हर जगह जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के सिवाय और भी ऐसे इलाके हैं जहाँ हजारों की तादाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग में काम करने वाले लोग जैसे मिस्त्रियों, मेटों को अलग कर दिया गया। आज वे दर-दर मारे-मारे फिरते हैं, अपने रोजगार के लिये।

आप बिजली घर विभाग के आँकड़ों को ही लीजिये। सन् १९५० में राजस्थान में जितने बिजली घर थे उनमें करीब-करीब पाँच हजार लोग काम करते थे। सन् १९५२-५३ में कतई आदमियों की नियुक्ति नहीं की गई। आर्बिट्रेटर्स के जरिये वे आँकड़े २९६५ तक ले आये और उनमें से इस वर्ष घटाकर उनकी संख्या २७१२ कर दी गई।

करीब-करीब आधे लोग ऐसे हैं जिनको छाँट दिया गया है या कल उनको कहा जावेगा कि आप अपने घर का रास्ता नापो और यह सब किया है जाँच किये बगैर, कितना काम कौनसा आदमी करता है, इसकी जाँच किये बगैर। इतना ही नहीं लोग छुट्टी पर जावेंगे तो, मैडिकल विभाग में १० फी सदी रिज़र्व में नाम हैं; पर २४ घंटों और बारह महीने लगातार चलने वाले इस विभाग

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

के लोग अगर छुट्टी पर जावें तो उनके लिए कोई रिज़र्व नहीं है। पहले तो छुट्टी मिलनी ही बहुत कठिन है और अगर मिल भी जावे तो अव्यवस्था होती है और इसके साथ ही पार्टी के लोगों को और ज्यादा काम करना पड़ता है।

इसी तरह से दूसरे विभागों की अगर गिनती करें तो कुल जमा मिला कर पिछले १।। वर्ष में ६।। हजार आदमी अलग कर दिये गये और उन्हें बेरोजगारी की भट्टी में फैंक दिया गया है।

तो न सिर्फ आज इतने प्राइवेट उद्योग-धन्धे हैं, उनमें ये समस्याएं हैं बल्कि सरकारी विभागों में भी यह समस्या है और देहातों में भी यही चीज़ है। ये लोग हमारे सामने आँखें फाड़-फाड़ कर देखते हैं। तो, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हल सोच रही है सरकार इसका ?

न सिर्फ हमने पिछले डेढ़-दो वर्षों में इस बेकारी की समस्या का कोई हल ही रक्खा है, लेकिन इन गत तीन-चार वर्षों में जो रोजगारी की, पुराने जमाने की जगहें थीं वे भी इन परिस्थितियों में लोगों को उपलब्ध नहीं हैं। हम जानते हैं कि जो पुरानी रियासतें थीं उनमें क्या होता था, रोजगार के थोड़े बहुत तरीके उपलब्ध थे, रेलवे में लोग जाकर भरती हो जाते थे, बिजलीघर में जाकर लोग काम कर लेते थे अथवा कुछ थोड़े पढ़े-लिखे मेट्रिक ग्रेजुएट हो जाते थे तो वे सरकारी विभागों में नौकरी कर लेते थे। ये रास्ते उपलब्ध थे लोगों को उस समय। उस समय स्टेटें भी पिछड़ी हुई थीं और किसी प्रकार से ठीक-ठीक काम चल रहा था। अब हालत यह हुई कि ये सारे रोजगारी के रास्ते बन्द हो गये हैं। राजस्थान के बनने के बाद वे और बन्द हो गये हैं, इसलिए कि अब नई नीति बनाई जा रही है, बनाई गई है। उस नीति के अनुसार नये रोजगारों में लोगों को लेने के बजाय जो लोग अभी हैं उनकी भी छँटनी का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है।

ऐसी हालत में क्या भविष्य अब हम देते हैं उस इन्सान को जिसको कि काम चाहिये ? काम करना चाहता है वह, शरीर की शक्ति है उसमें, काम करने का इरादा है उसका और जिम्मेदारी है उस पर उसके परिवार की, बाल-बच्चों की। धीरे-धीरे घूमता है वह। कौन उसको रोजी देने वाला है ? मेरे इस प्रस्ताव का आधार यह है माननीय चैयरमैन, कि यह जिम्मेदारी सरकार की है। यह उत्तर राज को देना पड़ेगा। जो आदमी शारीरिक मेहनत करने को तैयार हैं, जो अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए लगातार आठ घंटे तक अपने पसीने से कमाई करने को तैयार हैं; पर अगर आज मौजूदा समाज की व्यवस्था की वजह से उसको रोजगार न मिले, अगर आज देश की आर्थिक हालत की वजह से उसको अपनी चार रोटी कमाने का मौका न मिले, चाहे वह शारीरिक मेहनत करने वाला हो, चाहे वह लिखने-पढ़ने की मेहनत करने वाला हो, पढ़ा-लिखा हो, कोई भी हो, टैक्निकल कार्य जानने वाला हो; यदि उसको रोजगार न मिले तो इस उसूल को सरकार को मानना पड़ेगा कि उस पर सारे समाज की जिम्मेदारी है कि वह उसे या तो रोजगारी दे और अगर न दे तो उन्हें अपने आपको जिन्दा रखने के लिए भत्ता दे। इस नीति, इस उसूल के आधार पर मैंने यह प्रस्ताव सरकार के सामने प्रस्तुत किया है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अब अगर हालत यह है तो क्या किया जावे ? मेरा खयाल है कि जहाँ तक हालतों का मैंने वर्णन किया है उसमें शायद ही दो रायें व्यक्त हों। लेकिन इसके बाद, क्या कदम उठाया जावे। इस हालत को सुधारने के लिए इसका प्रश्न आता है तो एक रट लगातार सुनाई देती है कि साधन नहीं हैं सरकार के पास, पैसा नहीं है सरकार के पास और कभी-कभी तो एक अलाप और बीच में से उठ जाता है और वह यह है कि यदि लोगों को बगैर काम के, उनको जिन्दा रखने के लिए भत्ता देने की नई प्रथा डालें तो लोग आलसी हो जावेंगे, देश का मोरल गिर जावेगा।

मेरा यह मानना है माननीय चेयरमैन, कि ये दोनों तर्क गलत हैं। साधन हैं और पैसा भी है हमारे पास, लेकिन उसे किस कार्य में लगाया जावे इस सिलसिले की नीति नहीं है।

आज हम यह मानते हैं कि राजस्थान राज्य एक गरीब राज्य है, लेकिन फिर भी इस राज्य के हैड्स ऑफ दी स्टेट पर-राजप्रमुख, उपराज प्रमुख और महाराज प्रमुख, न सिर्फ प्रिवीपर्स के लिए लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन लाखों रुपयों के भत्ते इनको दिए जा रहे हैं। उड़ीसा भी एक राज है, पर वहाँ के गवर्नर के ऊपर साल भर में केवल करीब-करीब २॥ लाख रुपया खर्च होता है। वैसे तो हिन्दुस्तान की हालत देखते हुए यह भी ज्यादा ही गिना जावेगा और गिना है लोगों ने लेकिन राजस्थान में २॥ लाख रुपयों के एवज में १३॥ लाख का तो महाराजप्रमुख, उपराजप्रमुख और महाराजप्रमुख का भत्ता ही है, और इसके बाद उनके ऑफिसों का खर्चा अलग है। पाँच लाख रुपया माहवार का दिया जाता है कि तुम दान-पुण्य करो इसके लिए। मकानों के अलावा हवाई जहाज के लिए भी इनको रुपया चाहिये। यह खर्चा वे ६॥ लाख रुपये में से क्यों नहीं दे सकते, प्रिवीपर्स में से क्यों नहीं दे सकते; पर इसका भी राजस्थान गवर्नमेंट ने पेमेन्ट किया है और इसके लिए करीब-करीब एक लाख रुपया सालाना देते हैं। इनको हवाई जहाज का खर्च चाहिए। इन्हें मकानों की रिपेअर का खर्चा चाहिए जिसके लिए करीब ८० हजार रुपया सालाना दिया जा रहा है, बिजली और पानी भी इन्हें मुफ्त दिया जाना चाहिए; ठीक तो नहीं मालूम, पर अन्दाजन जयपुर में ४० ऐसे मकान हैं, जोधपुर में २२ ऐसे मकान हैं जिनमें लगभग एक लाख गैलन पानी दिया जाता है, हजारों यूनिट बिजली का खर्चा होता है, पर इसके लिए उनकी तरफ से एक पैसा जमा नहीं हो रहा है। सब खर्च किया जा रहा है सरकार की ओर से।

यह क्यों किया जा रहा है ? क्यों न इस पर रोक लगाई जावे ? सामान्य तौर पर मैं इस सवाल पर नहीं जाऊँगा कि इस प्रकार का खर्च करना तैय किया या नहीं तय किया, ट्रीटी ठीक की या नहीं की, मेरी राय में तो गलत किया। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो यह कहें कि ठीक किया पर उनसे भी मेरा कहना है कि जाने दीजिये इस बात को। आज इमर्जेन्सी पैदा हुई है और हमारे राज्य में आज ऐसी हालत पैदा हुई है कि जब एक सामान्य आदमी, लाखों सामान्य आदमी दाने-दाने के लिए मोहताज होकर सड़कों और देहातों की गलियों में घूम रहे हैं तो आज क्या हमारे लिए यह मुमकिन नहीं कि यह इतना अनावश्यक खर्च जो राज्य आज इन पर कर रही है उसको बन्द करें।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कहा जाता है कि उनके साथ जो वायदा किया गया था ठीक बात है। लेकिन, उससे कहीं और ज्यादा काम का वायदा और कीमत का वायदा हमने सामान्य लोगों से किया था कि तुम अंग्रेजों को इस देश से निकाल दो; असह्य यातनाएँ, अपमान और कष्ट भी बर्दाश्त करके उनको यहाँ से भगाओ और जिम्मेदार हुकूमत लाओ, तुम्हें आराम मिलेगा, सुख-चैन की जिन्दगी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तुम्हारे बाल-बच्चों की शिक्षा और दवादारू की व्यवस्था होगी। तो, अगर चन्द दस-बीस राजे महाराजों के वायदे इतनी कीमत रखते हैं तो राजस्थान के १।। करोड़ लोगों से जो वायदे किए गए थे उनकी कोई कीमत नहीं है, उनके प्रति क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम यह लाखों रुपया जो उनके लिए खर्च हो रहे है, उस खर्चे को तो बन्द किया जावे और इस बचे हुए रुपये को काम में लाया जावे इस बेकारी की समस्या को हल करने में।

मेरी यह मान्यता है, माननीय चेयरमैन, कि आज शासन के ऊपर जितना खर्च हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जितना खर्च हो रहा है इसमें काफी कमी करने की गुंजाइश है। मैं केवल एक मिसाल छोटी-सी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हमारे इस राज्य में जो सरकार के अलग-अलग विभाग हैं उन विभागों के पास सरकारी मोटरें हैं उन पर एक वर्ष में करीब-करीब १० लाख रुपया खर्च होता है। सरकारी मोटरों के ऊपर अलग-अलग विभागों में एक वर्ष में दस लाख रुपया खर्च राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है पिछले कई सालों से, इस साल में भी हुआ है। और हुआ यह है कि जो अलग-अलग विभागों के पास मोटरें आई हैं वे कैसे आई हैं? हर एक राज्य का इस प्रकार का अपना विभाग था और शायद वहाँ एक मोटर रही होगी। इनका होना भी मुमकिन है, क्योंकि वह राजाशाही का जमाना था, गैरजिम्मेदार हुकूमत का जमाना था। लेकिन उस समय सारे के सारे राज्यों की मोटरें जमा हो गई हैं। एक राज्य में १० मोटरें गैराज के अन्दर थीं तो दूसरे में ५ थीं, तो तीसरे में १५ थीं: तो कुल मिलाकर सब राजस्थान के गैराज में ८०,९०,१०० मोटरें पहुँच गई हैं। ४ साल तक किसी ने गौर नहीं किया, किसी ने इसकी जाँच नहीं की कि क्या यह सब खर्च जो हो रहा है, वह कम किया जा सकता है या नहीं, किया जा सकता है और यदि किया जा सकता है तो इसका आधा क्यों नहीं किया जा सकता है और इसमें लाखों रुपये बच सकते हैं और इस प्रकार से हमारे इस राज्य में जो-जो अनावश्यक खर्च हो रहा है और ऐसे खर्च हो रहे हैं और जहाँ-जहाँ रोका जा सकता है रोका जाना चाहिए; तो उन खर्चों को कम किया जाय। इसमें से पैसा आगे बचेगा और उस पैसे का क्या किया जाय? उस पैसे का इस्तेमाल किया जाय बेकारी की समस्या को हल करने में।

पहले इसके कि मैं उन विशेष सुझावों पर आपका ध्यान आकर्षित करूँ जो कि मेरे इस प्रस्ताव के अन्त में दिये हैं (चुप्पी)

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

राजकीय दीर्घा के पदाधिकारियों से मुख्य मंत्री द्वारा वार्तालाप करने पर

(While the Leader of the House was having conversations with the Officers on the Official Gallery).

On a point of order, Sir, is it permissible for Hon'ble Minister to take across the galary.

(श्री मुख्य मन्त्री ने श्री व्यास को हाथ से भाषण जारी रखने का संकेत किया)

I am seeking a ruling from the Chair.

श्री सभापति—I do not know any rule which provides this thing.

श्री हरिकृष्ण व्यास—At least the rule of decency is there.

श्री जयनारायण व्यास—The rule of decency is that if any information is to be asked from the Officers the Ministers should ask them.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Very correct, but you can better go out.

श्री जयनारायण व्यास—The Officers are asked to sit for this purpose.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो मैं यह कह रहा था, माननीय चेयरमैन, कि पहला इसके ऊपर जो सुझाव मैंने दिया है उसकी तफसील मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ।

कहा यह जाता है कि यदि इस प्रकार बेकारी-भत्ता देने की प्रथा शुरू करेंगे तो लोगों में आलसीपन शुरू हो जायगा, मोरल देश का गिर जायगा। मेरा खयाल है कि कोई भी समझदार आदमी, जिम्मेवार आदमी इस दलील को गलत मानेगा और इसलिए गलत मानेगा कि यह आज तक सब जगह और सारे देश में भी मानते चले आये हैं। एक ओर कि जो शारीरिक मेहनत नहीं कर सकता है उसकी जिम्मेवारी समाज के ऊपर पड़नी चाहिए और दूसरी ओर जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है तो यह किसकी गलती है? गलती उस मनुष्य की नहीं, लेकिन देश के उस आर्थिक ढाँचे की है। देश का आर्थिक ढाँचा बनाता कौन है? कोई एक मनुष्य उसे नहीं बना सकता है, कोई एक कानून नहीं बना सकता है। देश में ऐसा आर्थिक ढांचा बनाने में सबसे बड़ी जिम्मेवारी है सरकार के ऊपर। अगर ऐसी सरकार है कि जिसमें इस गलत किस्म का आर्थिक ढांचा है कि जिसमें काम करने वालों को काम नहीं मिलता है तो उस आर्थिक ढांचे को सरकार दूर करे, तब्दील करे। जब तक सरकार इसमें तब्दीली नहीं करेगी तब तक कल के लिए क्या करना है? जिस सरकार ने ऐसा आर्थिक ढांचा बनाया है कि जिसमें हट्टे-कट्टे आदमियों को, अपनी आजीविका कमाने के लिए तैयार रहने वाले आदमियों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वह भूखों मर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जायगा। उसे गवर्नमेंट की ओर से उसके जिन्दा रहने के लिए भत्ता उपलब्ध किया जाना चाहिए। यह कोई निठल्लेपन का तरीका नहीं है, अन्याय का तरीका नहीं है, लेकिन इन्सानियत का तरीका और पुराने जमाने में जो हमारे धार्मिक विचारों के लोग थे उन्होंने भी इस बारे में कई बातें लिखी हैं कि अपना पड़ौसी भूखा सोये तो अफसोस मानना चाहिए; लेकिन इस राज्य की सरकार अपने देश के उन लाखों लोगों के लिये जो आज भूखों सो जाती है, जिनका भविष्य आज अन्धकारमय है, भूखों ही नहीं सोयें लेकिन उनके लिए बेकारी भत्ते की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है।

अब शुरूआत के लिए मेरा यह सुझाव है, माननीय चेयरमैन, कि कम से कम एक करोड़ रुपया इस फन्ड में राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष लगाया जाय और इस एक करोड़ रुपये की राशि को दो कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाय; एक तो यह है कि जो ऐसे उद्योग हैं जिनको कि प्रोत्साहन देने से नये-नये रोजगार खुलेंगे, उनको प्रोत्साहन देने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जाय, दूसरा बाकी का पैसा, जो बेकार है उन बेकारों को भत्ता देने के कार्य में इस्तेमाल किया जाय।

मैं जानता हूँ कि एक करोड़ रुपया इसका उनके लिए शायद काफी नहीं है, लेकिन मेरा प्रस्ताव रखने का आशय यह है, चेयरमैन साहब, कि इस उसूल को माने सरकार और पहला कदम उठाये, और यदि इस उसूल को उन्होंने मान लिया और पहला कदम उठा लिया तो उसके अनुभव से अगले ही वर्ष और ज्यादा ठीक और सही किस्म की योजना को लेकर आगे बढ़ पायेंगे।

अब मैं उस तफसील में जाऊँगा कि जिससे अभी से कुछ कदम उठाये जा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि यदि आपको बेकारों की समस्या को हल करना है तो पहला कार्य तो सरकार को यह करना पड़ेगा कि कानूनन पाबन्दी लगा देनी पड़ेगी कि पुराने-पुराने बेकारों की समस्या तो सरकार एक ओर हल करती जाय और दूसरी ओर नये बेकारों का निर्माण नहीं हो। चाहे सरकारी हों और चाहे खानगी उद्योग हों उसमें छंटनी के ऊपर पाबन्दी लगाना चाहिए। पहले छंटनी के ऊपर पाबन्दी लगाकर इसको हल नहीं करेंगे तो दूसरी ओर लाखों-हजारों की तादाद में, शायद करोड़ों की तादाद में और नये बेकार होते जायेंगे तो यह ठीक चीज नहीं होगी। इसलिए पाबन्दी लगाई जाय छंटनी के ऊपर।

उसके बाद राजस्थान की ओर हम नजर दौड़ायें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके उद्योगों को आसानी से यहां पनपाये जा सकते हैं। मैंने उसका विशेषकर प्रस्ताव के दूसरे हिस्से में जिक्र किया है; ऊन और चमड़े के उद्योग का। क्यों जिक्र किया है? न सिर्फ इसलिए कि हमारे राज्य में यह महत्वपूर्ण उद्योग की चीज हो सकती है बल्कि राजस्थान एक पाश्चर लेन्ड है, एक ऐसा इलाका है जिसमें मवेशियों की तादाद बहुत बड़ी है। कम से कम बड़ा हिस्सा राजस्थान का पाश्चर लेन्ड है और हिन्दुस्तान में जितने मवेशी हैं, आंकड़ों के अनुसार उसका १।५ केवल एक अकेले राजस्थान में है। तो इसलिए यह सच है कि उसका प्रभाव हमारे उद्योग पर पड़ना चाहिए, और इसी दृष्टि से मैंने

Page No.60

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

प्रस्ताव के अन्दर ऊन और चमड़े के उद्योग, इन दोनों चीजों की ओर ध्यान दिलाया है। लेकिन केवल इसलिए नहीं कि यह दोनों राजस्थान की अर्थनीति में विशेष स्थान रखते हैं बल्कि इसलिए कि इसमें अगर हम एक नीति अपनायें तो काफी बड़ा एश्योर्ड मार्केट मिल सकता है। राजस्थान में पुलिस विभाग है, आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी है, अस्पताल हैं तथा और तरह-तरह के विभाग हैं, जहां लोगों के लिए हमें कम्बल और दूसरे ऊन के बने हुए सामान की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार चमड़े से बने हुए सामान की आवश्यकता होती है। लेकिन लाखों रुपयों का सामान प्रत्येक वर्ष मंगाया जा रहा है, कहीं न कहीं से मंगाया तो जा ही रहा है, तो क्या सरकार इस प्रकार का कदम नहीं उठा सकती? हर मुल्क ने ऐसा कदम उठाया, हर इलाके ने ऐसा किया है कि अगर हमारे चार भाइयों को रोजगार मिलता हो तो फिर राजस्थान सरकार ऐसे आदेश जारी कर दे कि चाहे वह अस्पताल के लिए हो, चाहे पुलिस के लिए हो, चाहे वह आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी के लिये हो और चाहे किसी और चीज की आवश्यकता के लिए हो सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्थाएं, जैसी कि म्युनिसिपैलिटीज़ इत्यादि हैं; उनके लिए, सब जगह अगर ऊन का सामान खरीदना होगा तो वह हमारे राजस्थान के बने हुए उद्योगों से ही खरीदें। और क्या होगा इसका नतीजा? यदि इतना बड़ा मार्केट मिल गया और फिर थोड़ा सा सरकार का प्रोत्साहन और मिलने के साथ ही यह उद्योग पनप जायगा। छोटी-छोटी कोटेज इन्डस्ट्रीज़ के रूप में ही इसे क्यों न पनपाया जाय? अलग-अलग राज्यों ने ऐसा किया है। आज से चार महीने पहिले हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा था कि यू० पी० की कोटेज इन्डस्ट्रीज़ के आर्मी हेड-क्वार्टर (जी० एच० क्यू०,) फौजी हेड क्वार्टर्स ने ६० लाख रुपयों का ठेका दिया था। अगले तीन वर्षों में उन्हें कार्य पूरा करना था। यदि यू० पी० सरकार इस प्रकार का कदम उठाकर कामयाब हो सकती है तो कोई कारण नहीं है कि राजस्थान सरकार ऐसे कार्य में क्यों पीछे हटे।

(कुछ ठहर कर)

Nobody seems to be listening to the speech.

श्री सभापति—The House is there.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The speech is also addressed to the Treasury Benches.

श्री सभापति—There are so many members you can see.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I can appreciate those Members who are here; but would further appreciate if.. ....

श्री सभापति—Nobody can compel anybody to sit here in the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I will request you to...... — .

श्री सभापति—You can address the Members.

श्री हरिकृष्ण व्यास—To lay a certain standard.

श्री सभापति—They are listening to you. I am also listening.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am quite assured of that. But I shall request you to lay a normal standard here, on such occasions, for decency, for courtesy, for respect to the House, at least one Member from the Cabinet should be present.

श्री सभापति—No special importance can be attached to your speech. These 16 Membrrs are there. The quorum is present. This is all I can say.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I will appreciate that at least in connection with the affairs in which the Cabinet is interested, at least one Cabinet Member must be present to listen not only to me, but to whosoever's speech it may be.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The subject is so poor that probably the Ministers attach no importance.

श्री सभापति—Such remarks I cannot make. I can only say that the quorum is there. You can also see. I am trying to listen you very patiently and very attentively.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I thank you very much. I hope, if for no other reason, at least for this reason, the Members of the Treasury Benches will follow this example. I now proceed.

(भाषण जारी रखते हुए)—तो, मैं निवेदन कर रहा था माननीय चेयरमेन, कि इस प्रकार से ऊन और चमड़े के ऐसे एक-दो उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सकता है और शुरुआत हो सकती है। उसके बाद दूसरी तरह के और-और रोजगार भी हमारे राज्य के लोगों को मिल सकते हैं।

माइनिंग की हालत आज हमारे यहाँ सोचनीय है। माइनिंग की आज जो हालत है उसके लिये कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं है, यह अलग प्रश्न है, लेकिन माइनिंग की हालत बहुत बुरी है। जयपुर के नजदीक ही दौसा के इलाके में आयर्न ओर (iron ore) निकला लेकिन इसकी कोई विशेष परवाह नहीं की गई। इस उद्योग का शुरुआत ठीक ढङ्ग से किया जाय तो इससे कितना ही फायदा हो सकता है। मद्रास राज्य और दूसरे राज्यों ने, उनके यहाँ से जो सामान बाहर जाता है या

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बाहर से आता है उसके लिये फ्रेट के सम्बन्ध में रेलवे से कई सहूलियतें ले ली हैं और इससे उद्योग को काफी फायदा पहुँचा है, लेकिन राजस्थान सरकार को इसके लिये कहाँ वक्त है ? केबिनेट एक्सपेन्शन और कई दूसरे ऐसे प्रश्नों के सामने उनको कोई वक्त नहीं मिलता होगा। एक छोटी-सी बात जिसको सब राज्यों ने किया है, आप नहीं कर सके। करीब-करीब सभी पार्ट 'बी' स्टेट्स ने सेन्टर से कई सहूलियतें प्राप्त कर ली हैं, लेकिन आप नहीं कर सके। दूसरे इलाकों में १२) या १४) टन खर्च आता है लेकिन राजस्थान में इस पर २८) रुपये टन खर्च आता है और इस काकरण से यह उद्योग बन्द पड़ा है। इससे सैकड़ों लोगों को काम मिल सकता था लेकिन बन्द पड़ा रहने के कारण मिल नहीं पाया। भीलवाड़ा में विशेष प्रकार का संकट आया। उसका कारण यह है कि जो नीति माइनिंग विभाग द्वारा बरती जा रही है वह ऐसी नीति कही जा सकती है कि वह एक पत्थर जैसी नीति है जिसमें न कोई लचर है, न दलील। पुराने जमाने में लोगों ने मीलों तक ठेका ले लिया था। उस समय ठेका देने का कारण शायद यह था कि उस समय न तो इसका महत्त्व इतना अधिक था और न इसकी पोटेन्शियेलटाज़ (potentialities) के बारे में लोग जानते थे। लेकिन अब भी क्या हो रहा है ? अब भी जब राजस्थान सरकार को कुछ कदम उठाने का मौका आता है तब हम देखते हैं कि बड़े-बड़े ब्लोक्स मोनोपोली होल्डर्स को दिये जाते हैं। अभी दो-तीन महीनों पहले फूसालाल मानसिंका नाम की जो फर्म है उसको ४० ब्लोक दिये गये हैं और ५० ब्लोक्स के प्रोस्पेक्टिव लाइसेन्स के लिये उनकी अर्जी विभाग में चल रही है। मैंने जो मिसाल दी वह इसलिये दी कि वह सरकार की नीति की द्योतक है। वह बड़ा आदमी है, उसकी भारत सरकार तक पहुँच है। उन ४० ब्लोक्स में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। जहाँ हजारों-लाखों की तादाद में लोगों को रोजगार मिल सकता था, वहाँ केवल चन्द व्यक्तियों को ठेका देकर खुश करने के लिये छोटे-छोटे लोगों को काम नहीं मिल सका। जिनकी काम करने की आशा नहीं है और जिनकी पैसा होर्ड करने की इच्छा है उनको ठेका मिल रहा है और माइनिंग के लीज़ लगातार दिये जा रहे हैं। एक्च्युअल वर्क एक्सट्रेक्शन का नहीं हो रहा है। आँकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि १ या २ प्रतिशत से ज्यादा काम नहीं हो रहा है। फिर यहाँ का उद्योग कैसे बढ़ेगा ? इस नीति को बदलना पड़ेगा। मामूली पत्थर से लगाकर संगमरमर तक और लोहे से लगाकर सोडा और पोटेशियम तक काफी काम की चीजें हमारे इलाके में हैं। यदि इनको प्रोत्साहन दिया जाय और यदि ऐसी नीति बरती जाय जो उद्योगों को बढ़ाना चाहती हो तो, न केवल सामान ही पैदा होगा बल्कि हम उससे लोगों को रोजगार भी दे सकेंगे। जो लोग मोनोपोली पर बैठे हैं वे न केवल मोनोपोली पर बैठे हैं बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि वे राजस्थान सरकार के सिर पर बैठे हैं और नये-नये लोगों को जो रोजगार मिल सकता था उसके वे लोग बाधक हैं। माइनिंग को राजस्थान में काफी उन्नति पर ले जा सकते हैं; बशर्ते कि सरकार माइनिंग सम्बन्धी अपनी नीति बदले। अभी तो १ प्रतिशत से भी कम एक्सट्रेक्शन हो रहा है। यदि हमें उन्नति करनी है तो हमें दूसरी तरह से काम करना होगा। इतना सब करने के बाद भी कुछ कठिनाई आ सकती है और आई है। वह कठिनाई आती है यहाँ की कुछ विशेष चीजों पर, जैसे माइका। यह ऐसी चीज है जो कि हिन्दुस्तान में काम में नहीं आती, इसलिये इसे विदेशों में भेजना पड़ता है। लेकिन विदेशों में किसी चीज को भेजने में हर देश का दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि जहाँ से अच्छी से अच्छी टर्म्स मिल सकें वहीं हमें चीज़ें भेजनी चाहिये। लेकिन हुआ यह है कि हमने दुनिया के एक विशेष

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हिस्से को सिलेक्ट किया कि यदि भेजेंगे तो इन्हीं हिस्सों में भेजेंगे और वे हिस्से हैं इंग्लैंड और अमेरिका और वहाँ के लोगो ने यह निश्चय किया कि तुम हमारे चंगुल में आये हो तो हम तुम को पूरा ही फंसायेंगे और उन्होंने मोनोपोली अधिकार ले लिये और कहा कि इस बिना पर दो तो हम माल लें। यही कारण है कि आज माइका इंडस्ट्री पर संकट आया है।

दो साल पहले ऊन में संकट आया था। वह आज भी ज्यों का त्यों है। आज भी ऊन की स्थिति जैसी पहले थी वैसी नहीं। क्यों कि इन्टरनेशनल मोनोपोली (international monopoly) बन गई और अब ऊन बेचने के सिवा और कोई चारा नहीं। नतीजे में इतनी कम कीमतें हमें मिल रही है कि लोग लगातार काम बन्द करते जा रहे हैं और इसके फलस्वरूप आज केवल ३ पार्टीज़ इतने बड़े इलाके में रह गई हैं और हजारों की तादाद में जो लोग यह काम करते थे वे या तो घर चले गये हैं, या दूर-दूर भटकते फिर रहे हैं।

अब मैं अपने प्रस्ताव के आखिरी अंग पर कुछ कहूँगा। मेरे प्रस्ताव के आखिरी अंग में मैंने कहा है कि जिन देशों को जिस प्रकार के माल की आवश्यकता हो उन देशों को वह माल दिया जाय, जैसे रुमानियाँ में बिजली का सामान बनता है, (अश्रव्य) इन्सुलेटर्स उसमें माइका काम में आती है, उनके साथ क्यों नहीं हमको माइका देने का सौदा तय करना चाहिये। अखबारों में आई हुई सूचनाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अगर उन देशों के साथ हम इस चीज का सौदा करें तो हमें लगातार बहुत अच्छा प्रोफिट मिल सकता है।

राजनीति के प्रश्न को और दाँव-पेचों को ताक में रख कर और राजस्थान के लाखों बेकारों की बेकारी की ओर देख कर जहाँ से अच्छी से अच्छी कीमतें मिलती हों, लगातार के ऑर्डर मिलते हों, फिर वह चाहे पूर्व हो या पश्चिम हो, लाल हो या पीला हो, वहीं से हमें खरीद-फरोख्त का तरीका अख्त्यार करना चाहिये।

इस प्रकार का मेरे प्रस्ताव का आखिरी अङ्ग है। और भी कई तफसीलें हैं, उनका जिक्र करूँ तो ठीक और न करूँ तो आवश्यक भी नहीं।

इस प्रस्ताव के जरिये मैं राजस्थान सरकार के सामने यह प्रश्न उपस्थित करता हूँ कि वह क्या सोचती है? वह यह बतलाये कि राजस्थान में बेकारी की समस्या आज अति गंभीर हुई या नहीं, सामने आयें और जवाब दें। अगर गंभीर हुई है तो बेकारी से पीड़ित, दुखित लोगों को तुरन्त राहत देने के लिए वह क्या कर रही है और अभी तुरन्त क्या करने को तैयार है? और जब तक उन बेकार लोगों को, एबल बोडीड परसन्स (able bodied persons) को एम्प्लोयमेंट नहीं देगी तब तक उन बेकारों की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार उठाने को तैयार है या नहीं, उन्हें बेकारी भत्ता देने को तैयार है या नहीं? अगर राजस्थान सरकार इन तीन चीजों के लिए उसूलन तैयार है तो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सामने आये और जवाब दे। यदि इसके लिए पैसे की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी मार्ग है, जिसे अपनाये।

यह प्रस्ताव उपस्थित करके मैं आपके जरिये चेयरमेन साहब, राजस्थान के मन्त्रियों को, जिन्हें कि जवाब देना पड़ेगा, सम्बोधित करके दो शब्द कह देना चाहता हूँ।

आज सारा राज्य आँखें लगा लगा कर आप लोगों की तरफ देख रहा है; इसलिए नहीं कि आपमें कोई विशेषता है, बल्कि इसलिए कि राजस्थान का आर्थिक ढाँचा बदलने का काम सौभाग्य या दुर्भाग्य से आपके हाथों में आ पड़ा है।

याद रखिये यदि आपने लगातार यहाँ के नौजवानों के दिलों में, पढ़े-लिखे या शारीरिक मेहनत करने वाले लोगों के दिलों में यह विश्वास जमा दिया कि न उनके सामने रोजी कमाने के साधन हैं और न काम हैं, जैसा कि आज राजस्थान के लाखों लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, तो याद रखिये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऐसा समाज का ढाँचा, जो अपने समाज वालों को रोजगार नहीं दे सके, उनको जिन्दा न रख सके, वह तो ढाँचा चल नहीं सकेगा। मैं यदि यह कहूँ तो मुझे माफ करिये कि अगर इसी प्रकार का ढाँचा हमारे राज्य का, हमारे देश का रहा तो अवश्य इसे तब्दील होना पड़ेगा।

इतिहास सामने है। जिन लोगों ने इन प्रश्नों का हल नहीं किया, इमरजैंसी के मौकों पर तुरन्त कदम नहीं उठाया, जैसे कि नीरो ने रोम के जलने के वक्त सारंगी के तार गुनगुनाने की गैर-जिम्मेदारी का एक ज्वलन्त उदाहरण पेश किया था, ऐसी चीज को इतिहास ने उठाकर फेंक दिया है; वही मौका यहाँ नहीं आ जाय; इससे आगाह रहें।

लाखों लोगों की आवाज का असर होता है। इतने लोगों की, लाखों लोगों की आजीविका और जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाय। इस प्रकार के शब्द प्रस्तुत करके तथा आप सबसे यह प्रार्थना करते हुए कि आप इसे एक मत से पास करें, मैं अपना प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय चेयरमेन, मेरे मित्र एच. के. व्यासजी ने जो प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है उसका अनुमोदन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। यह हमारे राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि हमारे सारे देश के लिए एक बड़े महत्त्व का सवाल है। यह हमारे भाइयों के जीवन और मरण का सवाल है लेकिन अफसोस और दुख की बात है कि जिस प्रकार हमारी राजस्थान की सरकार बनी हुई है और जिस तरह का उसका जनहित के प्रति ख्याल है और जिस प्रकार ऐसे महत्त्व के सवाल के बारे में जिसका कि हमारे भाइयों के जीवन-मरण से ताल्लुक है, हमारी सरकार जिस प्रकार की दिलचस्पी ले रही है, वह इस सदन में प्रत्यक्ष है। हाँ, यदि खेल, तमाशा, नाच, गाना

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

हो तो मैं कह सकता हूँ, और यह बात प्रमाणित भी की जा सकती है कि हमारा मन्त्री मण्डल वहाँ हमेशा मौजूद रहेगा। परन्तु, कहीं जनहित की, देश के हित की कोई भी बात, जैसे कि लोक-तन्त्र के लिए बड़ी-बड़ी तस्वीरें, नकशे दिखाये गए थे, उनको पूरा करने का मौका आता है तो हमारे मन्त्री मण्डल को फुर्सत नहीं होती है। उसकी ओर तवज्जोह देकर विरोधी पक्ष की ओर से या दूसरी ओर से सुझाव दिये जायें, उन पर उन्हें सोचने की फुरसत नहीं है, यह माननीय चेयरमेन, बड़े दुख की बात है। यह विषय सदन के लिए है पर इस सदन के द्वार खुले हुए हैं। इस सदन की आवाज चाहरदिवारी में नहीं रह सकती है। यह आवाज इस सदन के बाहर जायगी। हमारे राजस्थान की जनता के पास यह आवाज जायगी और जनता सोचेगी कि हमारा मन्त्री-मण्डल जनहित के लिए क्या कर रहा है, जो वादे किये थे उनको पूरा करने के लिए वह क्या कर रहा है?

आज लोक-तन्त्रवाद हमारे देश में स्थापित हुए ५ वर्ष हुए हैं। मैं यह बतलाना चाहूँगा कि इस ५ साल के अर्से में हमारी सरकार ने क्या क्या कदम इस ओर उठाये। मुझे इतना लंबा-चौड़ा व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं, जैसा कि मेरे मित्र, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा, ने किया। मैं थोड़े से शब्दों में यह बताना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारी सरकार का सवाल है उसने सिवा अपने आपको और अपनी पार्टी को मजबूत करने के और कोई काम इस लम्बे अर्से में नहीं किया। हमारा तो यह विश्वास पक्का हो गया है और अब तो जनता भी यह महसूस करती है कि हमारी सरकार का जन-हित के कार्यों के प्रति कोई खयाल नहीं है। यह एक बहुत बड़े महत्त्व का विषय है और इस पर जितनी तवज्जोह और जोर दिया जावे उतना ही कम है। पिछले पाँच वर्षों में जब से हमारी राजस्थान सरकार की स्थापना हुई है तब से हजारों की तादाद में लोग, अपने पेशों से, अपने काम से, अपनी नौकरियों से बेकार हो गये हैं। राजस्थान के हजारों आदमी अपनी नौकरियां व अपने कामों से हटा दिये गये हैं।

सबसे पहले मैं माननीय चेयरमेन, आपके द्वारा सदन को बताऊंगा कि राजस्थान में जो पहले फौज थी उसमें कम से कम राजस्थान बनने के बाद में १८००० आदमी बेकार कर दिये गये और चीफ मिनिस्टर साहब, जो यहाँ हाउस में नहीं हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब को तो शायद इस हाउस में बैठने का कम शौक है, उनके और भी बहुत काम हैं, इसके अलावा इस समय सदन में गर्मी भी बहुत पड़ती है इसलिये भी उनको सदन में बैठना पसन्द नहीं हो, अगर वे हाउस में होते तो मैं उनसे पूछता कि जो मन्त्री इस सदन में मौजूद हैं वे असली माने में मन्त्री होते तो मैं उनको पूछता और बताता कि हमारे १८००० भाई जो तीन-चार साल पहले बेकार कर दिये गये हैं उनको वापिस नौकरी दिलाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है। वे या तो भूखों मरें, मांग कर खावें, चोरी करें या डाके डालें या और किसी तरह का ऐसा कार्य करें, जो उचित नहीं है; इसके अलावा उनके पास कोई और चारा ही नहीं। हमारी सरकार को जिस प्रकार इस विषय पर तवज्जोह देनी चाहिये, मैं कहूँगा, वह नहीं दी जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी तक सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम ऐसा नहीं उठाया है जिससे १८००० फौज के आदमी, जो नौकरियों से हटाये गए हैं उनको काम मिल सके। हाल ही में राजस्थान की आर्म्ड कोन्टेबलरी में हजारों आदमी भर्ती

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

किये गये, राजस्थान के निर्माण के बाद और मेरे जैसे इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति ने जितना और हममें था, हमने सरकार के सामने लगाया कि इन लोगों को नौकरी दी जावे मगर उन पर भी कोई गौर नहीं किया गया और राजस्थानियों को योग्य नहीं समझ कर नैपाल से गोरखों को, आर्म्डकोन्टेबुलरी में भर्ती किया गया, हमारे यहाँ के राजस्थानियों को भर्ती नहीं किया गया। यदि हमारे १८००० जवानों का वार रेकर्ड ऑफ सर्विसेज़ देखा जावे तो आपको मालूम होगा कि बड़े से बड़े अंग्रेज जनरल और हिन्दुस्तानी जनरल ने उनकी प्रशंसा की है। उनके रेकर्ड को देखा जावे तो आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ के राजस्थानी बहुत योग्य और काम करने वाले हैं। जब हमारी सरकार नहीं थी तब तो वे लोग काम करने के योग्य थे और हमारी सरकार बनने के बाद वे निकाले गये और उनको री एम्पलोयमेंट दिलाने के लिये सरकार द्वारा आज तक कोई एक भी कदम नहीं उठाया गया।

इसके अलावा राजस्थान के निर्माण के पहले जो कमठो और कारीगरी का काम चलता था जिससे हजारों की तादाद में कारीगर काम पर लगाये जाते थे, चित्रकारी या दस्तकारी का काम भी अधिक हुआ करता था; चित्रकारी और दस्तकारी के काम को देखने के लिये तो बाहर से लोग देखने के लिये आते थे। हिन्दुस्तान के ही लोग नहीं बल्कि तमाम दुनिया के विजीटर्स भी चित्रकारी और दस्तकारी को देखने के लिये आते और आश्चर्य प्रकट करते थे कि ये लोग वगैर सिस्टेमेटिक काम सीखे, ये, अनपढ़ लोग किस तरह से इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पत्थर और लकड़ी की कला के काम के सम्बन्ध में मैं बीकानेर का निजी अनुभव रखता हूँ और उसके आधार पर कह सकता हूँ कि लकड़ी और पत्थर की कला का काम जो बीकानेर में होता था उसको देख कर दुनिया में लोग ताजुब करते थे। इसको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है और इसकी वजह से यह हुनर हमारे यहाँ से सिर्फ गायब ही नहीं हो रहा है बल्कि इसके कारण हमारे देश में अनएम्लोयमेंट बढ़ रहा है और कला जो भारत का गौरव था वह करीब-करीब खतम हो रही है। हमें यह आशा थी कि जब विदेशी शासन खतम हो जावेगा और हमारी सरकार, जनता की सरकार बनेगी उस समय लोकतन्त्रीय सरकार लोक हुनर पर तवज्जो अवश्य देगी और उसको प्रोत्साहन देगी, मगर बीकानेर शहर और जिले में जहां लाखों की तादाद में हर साल लोग पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा व दूसरा काम करते थे और लाखों रुपया खर्च होता था और हजारों मजदूर हर साल काम करके अपना पेट पालते थे, आज बीकानेर शहर में यदि कोई माननीय मन्त्री वहाँ जावें और देखें, पहले तो उनको (माननीय मन्त्रीजी को) जाने में ही शंका होती है क्योंकि उनका वहाँ पर स्वागत उन्हीं के कार्यों से किस प्रकार होगा यह उनको भली भांति विदित है और वहां का वातावरण ऐसा बन गया है कि वे वहाँ पर जाने के लिये तैयार नहीं हैं, तो मालूम होगा कि एक-एक मजदूर उनको गालियें-"गालियें" शब्द तो बुरी भाषा समझी जावेगी, मगर उनके प्रति शुभ कामना तो प्रकट नहीं करेगा। क्योंकि पहले उनको खेती का समय समाप्त होते ही और वर्षा काल शुरू होने के पहले काल में लाखों आदमियों को काम दिया जाता था मगर अब उनके लिये ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है। एक तरफ हुनर हमारे यहाँ से जा रहा है दूसरी तरफ बेकारी की समस्या बढ़ रही है। कहीं भी, कोई भी हमारी सरकार की सराहना नहीं कर रहा है और न की जा सकती है। मैं ऐसी मिसालें भी दे सकता हूँ जहाँ पर ७ अप्रेल, १९४९

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

को जब राजस्थान का निर्माण हुआ था उस समय कई इमारतें, मैं प्राइवेट इमारतों की बात नहीं करता हूँ, सरकारी महकमों की बिल्डिंग्ज़ जो अधूरी बनी पड़ी है, उसी हालत में आज भी है। ६ अप्रेल, १९४९ को तो कारीगरों ने काम किया और वे लोग काम करके चले गये। एक स्कूल का कमरा बना, छत पड़नी बाकी थी उसका मसाला, पट्टियें वगैरह सब वहीं पर रखी थीं और उस बात को आज चार, पाँच साल का अर्सा हो गया हमारी सरकार ने उसी हालत में उस बिल्डिंग को पड़ा रखा है। वर्षा में वह बिल्डिंग खराब होकर गिरने की हालत में जब आई तो, हम लोगों ने कई दफा सरकार को कहा मगर हमारी सरकार हर वक्त यही बताती रही कि हमारे पास धन का अभाव है।

माननीय चेयरमेन, इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर बीकानेर में कुछ इन्डस्ट्रीज़ जो चलाई जाती थीं; जैसे ग्लास इन्डस्ट्री, इसमें ४००-५०० आदमी काम करते थे। राजस्थान का निर्माण होने के बाद कुछ ऐसा प्रतिबन्ध उस पर लगा कि वह भी बन्द हो गई। इसके अलावा एक मूँदड़ा मेटल कोर्पोरेशन नाम की बीकानेर में एक कम्पनी है जिसमें सैकड़ों आदमी काम कर रहे थे। उसको जमीन की सख्त जरूरत है। जमीन देने की मन्जूरी दे दी गई। मन्जूरी तो दे दी गई, मगर जब जमीन एलॉट करने का प्रश्न आया तो पार्टी पोलिटिक्स की वजह से उस पर कोई गौर नहीं किया गया। हम तो विरोधी पक्ष के हैं, हमारा न तो कोई कहना मानता है, न हमारी कोई बात सुनता है, न कोई ऑफिसर परवाह करता है और न हमारी पहुँच किसी मिनिस्टर के पास तक है; मगर दूसरी तरफ बैठने वालों की पहुँच है और वे सब कुछ कर सकते हैं, जमीन मन्जूर होने पर भी कारखानों के बनाने के लिए जमीन नहीं दी गई। वहाँ अगर इस व्यवसाय को जमीन देकर प्रोत्साहन दिया जाय तो ५००-६०० मजदूर काम कर सकते हैं। वहाँ पर, कारखाना के पास जमीन न होने की वजह से सिर्फ ५०-६० मजदूर ही काम कर रहे हैं। ऐसी बीसियों मिसालें दी जा सकती हैं। इससे यह प्रकट होगा कि बेकारी को हल करने के लिए सरकार कितनी दिलचस्पी रखती है? जब कभी उनको कहा जाता है कि यहाँ पर स्कूलें खोली जावें, होस्पिटल खोले जावें तो पैसे की कमी का सवाल सामने रख देते हैं। बीकानेर का होस्पिटल, जैसा पहले मैंने कहा है हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया के होस्पिटलों में गिना जाता था और एफ. आर. सी. एस. इम्तिहान के लिए हिन्दुस्तान में ४-५ होस्पिटलों में से एक था। अब तो राजस्थान बनाने के बाद उसकी यह हालत नहीं है, अब तो वह एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल के रूप में परिवर्तित हो रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ हजारों आदमियों को रोजगारी दी जाती थी वहाँ पर आजकल लोगों को रोजगारी मिलना मुश्किल हो गया है।

अभी बीकानेर के पॉवर हाउस के बारे में मेरे माननीय मित्र ने काफी रोशनी डाली है। मैं इस विषय पर सदन का समय लेना नहीं चाहता लेकिन राजस्थान की सरकार को दो शब्दो में, बीकानेर स्टेट रेलवे जो आजकल नोर्थर्नरेलवे का हिस्सा कहलाता है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वहाँ पर पहले हजारों मजदूर वर्कशॉप में काम करते थे। केन्द्र की सरकार द्वारा जिसके नीचे वह महकमा है यह तजवीज पेश की गई कि बीकानेर से रेलवे के डिवीजनल हैडक्वार्टर हटा दिये जाँय।

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

हमारी राजस्थान सरकार ने, मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि केन्द्रीय सरकार को जब यह नोर्दन रेलवे बनी थी और राजस्थान सरकार से माँगी गई थी, तो गुड विशेज़ (good wishes) भेज दीं कि नोर्दन रेलवे के निर्माण के वक्त राजस्थान सरकार की ओर से 'गुड विशेज़' भेजी जाती हैं। हमारे मुख्य मन्त्री और हमारी सरकार को दोष नहीं दे सकते क्योंकि बीकानेर को यदि नुक्सान पहुँचे तो उनके दिल में कहाँ तक उनको दुख हो सकता है, इस बात से प्रकट हो जाता है। इस जेनेरेशन में हमारी जो नेशनल स्पिरिट है उसके बदलने में समय लगेगा। इस जेनेरेशन में तो अमेरिका, इङ्गलैंड या दूसरी डेमोक्रेसीज़ में जो स्पिरिट है, जो नेशनल करेक्टर (national character) है वह नहीं बन सकता और उसको बनाने में समय लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि बीकानेर के कुछ दुख के विषय हैं, जो मन्त्री-मण्डल के ध्यान के बाहर हैं। यह तो एक मानव प्रकृति है, दोष भी नहीं दे सकते हैं। तो उस नोर्दन रेलवे के निर्माण के वक्त डिवीज़नल हैडक्वार्टर हटता और जिसका यह माने था कि तीन हजार मजदूर बेकार हो जाते उनको बाहर जाना पड़ता या बेकार रहना पड़ता उनके लिए कुछ न करके हमारी सरकार ने नोर्दन रेलवे के निर्माण के समय उनको "गुड विशेज़" का सन्देश भेज दिया। हम लोगों को तो अपने भाई-बन्द की बेरोजगारी की संभावना को देखकर दुख हुआ। हम लोगों को केन्द्रीय सरकार के पास भाग-दौड़ करनी पड़ी। हमारी कोशिशों का फल यह रहा कि डिवीज़नल हैडक्वार्टर बीकानेर में रह गया। मैं खुले आम कहना चाहता हूँ कि इसके लिए हम बीकानेरी केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देते हैं। डिवीज़नल हैडक्वार्टर वहाँ रखा गया। आज बीकानेर एक बड़ा हैडक्वार्टर बन गया और दो हजार मजदूरों को रोटी मिल गई। राजस्थान सरकार का इस विषय में सम्बन्ध था। उन्हें इस बात की खुशी हुई कि बीकानेर से डिवीजनल हैडक्वार्टर हट जाय; मजदूर बेकार हो जाँय तो कोई बात नहीं। यदि राजस्थान सरकार राजस्थान की बहबूदी के लिए यह बात चाहती है तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक दिन वह आयगा जब राजस्थान के टुकड़े होंगे तभी कुछ हिस्सों को खुशी होगी। बेरोजगारी की समस्या को हल करने की तजवीज या और विषयों पर किस तरह से जन-हित के कार्य करने की तजवीज या किस तरह से जनता को राहत दी जाय ऐसी तजवीज जब कभी सदन के सामने पेश की जाती है तो हमारे माननीय मित्र और हमारे मन्त्री हमेशा यही कहते रहते हैं कि धन का अभाव हैं, हम नहीं कर सकते। जन-हित के कार्यों के लिए हमेशा धन का अभाव सरकार के पास कुछ कार्यों के लिए, जिन पर कि मैं रोशनी डालना चाहता हूँ, क्या धन का अभाव नहीं है ?

सबसे पहले मेरे माननीय मित्र श्री एच. के. व्यास ने हमारे हैड आॅफ दी स्टेट के विषय पर रोशनी डाली। मैं इस सम्बन्ध में अपने बजट के भाषण के वक्त बहुत कुछ कह चुका हूँ जिसको कि दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस बात पर हमारे मित्र और हमारी सरकार जोर देती रहती है कि जो शर्त हमने कर रखी है, जो वादे हमने कर रखे हैं हम उनको निभावेंगे। एक ईमानदार सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अपने वादों को निभाये। मैं यह जानना चाहूँगा कि महाराजप्रमुख के सेक्रेटेरिएट के लिए करीब २० हजार रुपये सालाना खर्च होता उसके लिए क्या शर्त रखी गई थी। मैं चेलेन्ज करता हूँ, हालाँकि यहां सरकार के एक मन्त्री जरूर हैं, मैं उनका एक एडमायरर भी अपने आप को पाता हूँ क्योंकि वे अपने दिल से

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

काम करते हैं, उनका काम दूसरे विषय का है और उनको चेलेन्ज देने का विषय नहीं है और जब मैं यह बात कहता हूँ तो मेरा मतलब है मेरे मित्र पंड्याजी से, किन्तु अगर मुख्य मन्त्री या वित्त मन्त्री जिनसे कि इस विषय का सम्बन्ध है यदि मेरे चेलेन्ज को एक्सेप्ट (स्वीकार) करें तो मैं उनसे यह जानना चाहूँगा कि वह कौन-सी शर्त है और कौनसे कोवेनेन्ट में इसका इन्द्राज है, क्या कोई एग्रीमेंट महाराजप्रमुख के साथ या सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के साथ या राजस्थान सरकार और महाराजप्रमुख के बीच कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसके जरिये महाराजप्रमुख के सेक्रेटेरियेट को चलाया जा रहा है। मैं यह भी जानना चाहूँगा हमारी सरकार से कि महाराज प्रमुख के सेक्रेटेरियेट के पास कौनसा ऐसा काम है राजस्थान सरकार का कि जिसके लिए उनको सेक्रेटेरियेट की आवश्यकता है? न तो इस सम्बन्ध में कोई कोवेनेन्ट में इन्द्राज है और न कोई एग्रीमेन्ट है। जहाँ तक मुझे मालूम है; मगर किसी कारण से जिसको यहाँ बयान करने की जरूरत नहीं, इस सेक्रेटेरियेट को चलाया जा रहा है और मेरे इस चेलेन्ज को एक्सेप्ट करने की राजस्थान सरकार और मन्त्रीमण्डल की हिम्मत नहीं, और न पड़ सकती है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—Mr. Chairman, Sir, is all this strictly relevant to the matter under consideration.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—फिजूल खर्चों से मतलब है। रिलेवेन्ट इसलिए बन जाता है चेयरमेन साहब, कि २० हजार, २५ हजार रुपया सालाना बगैर किसी कारण के सिर्फ पर्सनल रीजन्स की वजह से राजस्थान सरकार खर्च कर सकती है; तो अगर यह रकम बेरोजगारी को मिटाने के लिए लगाई जाय तो इससे राजस्थान की जनता को मदद मिल सकती है। अतः यह रिलेवेन्ट है।

अब दूसरे हमारे राजप्रमुख साहब हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कौनसा एग्रीमेन्ट है, कौनसी शर्त है जिसके तावे उनको, पूरी तनख्वाह पर ४-६ महिने गैर हाजिर रहने पर रियायत दी जाती है। हालांकि जो ६॥ लाख रुपया उनको दिया जाता है वह ठीक है पर उनको ग्रीष्म ऋतु में हिन्दुस्तान में रहना पसन्द नहीं है और जो हर साल ४ महीने हिन्दुस्तान से बाहर अच्छी आबहवा में जाने के आदी हैं और इस साल भी हमेशा के रिवाज के माफिक तशरीफ ले गये हैं, यह कहाँ किस एग्रीमेन्ट में लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान से ४ महीने बाहर रहने पर भी, वैसे वे राजस्थान से तो आठ महीने बाहर रहते ही हैं, उनको पूरे ६॥ लाख रुपया राजप्रमुख का अलाउन्स मिलता रहेगा। हिन्दुस्तान के जितने गवर्नर्स हैं वे एक महीने से ज्यादा अगर बीमारी के कारण भी अपने प्रान्त से बाहर रहते हैं तो उनकी आधी तनख्वाह काटी जा सकती है, किन्तु राजप्रमुख साहब हमारे प्रान्त से ८ महीने बाहर रहते हैं और हिन्दुस्तान से ४ महीने बाहर रहते हुए भी ६॥ लाख रुपया सालाना अलाउन्स प्राप्त करते हैं। तो यह तो राजस्थान सरकार की कर्त्तव्यपरायणता है। गवर्नरों की तरह राजप्रमुख की तनख्वाह गैर-हाजिरी की कटनी चाहिए और इस बची हुई रकम से बेरोजगारी की समस्या को हल करने में बहुत कुछ मदद दी जा सकती है।

Page No.70

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

अभी हमारा जो मन्त्रीमंडल है उस पर भी जो फिजूल-खर्ची होती है और एक-एक मन्त्री पर एक-एक महीने में पाँच हजार रुपया खर्च पड़ता है उस पर भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह भी देखने की बात है कि पाँच हजार रुपया एक मन्त्री पर खर्च करते हुए काम भी कम हुआ है और उनकी आवश्यकता भी नहीं है। तो सिर्फ पार्टी-बंदी को मजबूत करने के लिए इतना खर्चा किया जाय इसके सिवाय और कोई कारण मालूम नहीं होता। इतने बड़े मन्त्रीमन्डल को रखने का कारण क्या है, सिवाय इसके कि इसमें पार्टी का हित है, प्रान्त का हित नहीं और न देश का ही इसमें कोई हित प्रतीत होता है।

श्री वेदपाल त्यागी—जब कि अनएम्प्लोयमेंट का सवाल हल करना है......

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अनएम्पलोयमेंट को हल करने के सवाल जब सामने है तो एक व्यक्ति पर पाँच हजार रुपया हर महीने खर्च किया जाय, यह तो नावाजिब है, जब कि इन्ही पाँच हजार रुपयों से पाँच सौ व्यक्तियों का गुजर हो सकता है। यदि काम का लिहाज है तो सदन को मालूम है कि कौन मन्त्री कितना काम करता है और कैसे करता है, इसको यहाँ कहने की जरूरत भी नहीं है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—Mr. Chairman Sir, is there any time limit fixed for the discussions ?

श्री अध्यक्ष—There is a time limit but it is within the discretion of the chair to grant more time,

(विरोधी पक्ष की ओर से 'हियर-हियार' की आवाज)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—इतना बड़ा मन्त्रीमन्डल है जिससे प्रान्त के हित की हानि होती है। इसके बजाय चार-पाँच मन्त्री होते तो देश का हित होता, प्रान्त का हित होता और काम भी सुचारू-रूप से चलता। लाखों की तादाद में फिजूल रुपया खर्च करने के बजाय यह जो अनएम्प्लोयमेंट फैल रहा है उसको हल करने की कोशिश की जाती तो ज्यादा अच्छा होता। गरीब भाइयों को जो, राजस्थान सरकार के पास नौकरी के लिए जाते हैं, इस जनतन्त्र की सरकार के सामने जाते हैं, तो नौकरी नहीं मिलती है, वे भूखे हैं और घर-घर माँगते फिरते हैं, चोरी करते हैं और डाके डालते हैं।

आज मैं यह कह सकता हूँ कि लाखों की तादाद में हमारी सरकार के पास रुपया है जिसको फिजूल खर्च करते हुए हमारी सरकार को एक मिनिट के लिये भी लज्जा का अनुभव नहीं होता, लेकिन जहाँ जनहित का कार्य हो, बेरोजगारी को हटाने का सवाल हो वहाँ हमारी सरकार का एक स्टेंडर्ड रिप्लाई बन गया है कि हमारे पास पैसा नहीं है। माननीय चेयरमेन, जिस पंचवर्षीय योजना

[कु॰ श्री जसवन्तसिंह]

के नीचे लाखों और करोड़ों रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जा रहा है वह रुपया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अनावश्यक कामों में पानी की तरह बहाया जा रहा है; वह रुपया गरीब आदमियों तक नहीं पहुँच पाता। मेरा यह कहना भी गलत नहीं होगा कि उन रुपयों का बहुत हद तक दुरुपयोग होता है। जहाँ पर इन रुपयों की जरूरत होती है, जहाँ पर बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रश्न है, जहाँ नौकरियों के देने की आवश्यकता है वहाँ इस रुपये का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि यह जो इस तरह का बगैर कमाई का रुपया, मुफ्त का रुपया है इसी प्रकार बरबाद करने के लिये हैं। यह मानव प्रकृति है कि अगर ऐसा नहीं होता तो यह जरूरी था कि इस बेरहमी के साथ इन रुपयों का दुरुपयोग हमें दिखाई नहीं देता और इनका सदुपयोग किया जाता बेरोजगारी की समस्या को हल करने में।

मुझे इस पर बहुत कुछ कहना है किन्तु कुछ और लोग भी इस पर बोलने को उत्सुक हैं। मैंने जो-जो अप्रिय सत्य बातें मेरे मित्रों के प्रति कहीं शायद उनसे उनको दुख हुआ होगा। मैं उसके लिये उनका क्षमा-प्रार्थी हूँ किन्तु हमारा यह लेजिस्लेचर है, हमारी यह विधान सभा है। यहाँ पर हमारा कर्तव्य होने की वजह से अपने मित्रों को, जिनमें से बहुत से मेरे परम मित्र भी हैं इस प्रकार के अप्रिय सत्य की बातें कहनी पड़ती हैं। जरा उनको भी इसके लिए थिन स्किन्ड होने की आवश्यकता है। डेमोक्रेसी में बहुत से दुर्गुण होते हुए भी एक गुण अवश्य है कि आपको अप्रिय बात सुनने के लिये भी तैयार रहना पड़ता है।

अब मैं एक विषय का जिक्र करूँगा जो अपरोक्ष रूप से बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए उपयुक्त हो सकता है। हमारे इस सदन द्वारा एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का निर्माण किया गया। पब्लिक अकाउन्टस कमेटी के चेयरमेन श्री कपिलदेवजी थे। उन्होंने अपनी कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने पेश कर दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हजारों और लाखों रुपयों की बरबादी सरकार द्वारा की गई है। उसी प्रकार हमारी एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट भी, जिसकी मीटिंग के लिये और रिपोर्ट तैयार करने के लिये ८-१० हजार रुपया खर्च हुआ है, आजतक उसकी रिपोर्ट सदन के सामने नहीं आ सकी है। आज उसकी जगह इस वर्ष के लिये दूसरी एस्टीमेट्स कमेटी का निर्माण हो चुका है किन्तु आजतक उस गत वर्ष की एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ सकी है मुमकिन है उस कमेटी में कुछ अप्रिय बातें लिखी गई हों। हमारी सरकार की माली हालत क्या है, किस प्रकार रुपयों की बरबादी की गई है। मुमकिन है रोशनी डाली गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन मैं आपके जरिये माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट को पेश न होने देने में जिसका हाथ है, क्या वे बताने के लिए तैयार हैं?

कु० श्री जसवन्तसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए)

मैं यह नहीं कह सकता कि किसका हाथ है और न मेरी यह ड्युटि है। किन्तु मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि वह रिपोर्ट सदन के सामने नहीं आई। उसका कारण मुझे केवल यही दिखाई देता है कि उसमें कुछ अप्रिय सत्य की बातें होंगी और डेमोक्रेसी नई होने की वजह से और हमारे माननीय मित्रों के थिक स्किन्ड न होने की वजह से यह शायद सदन के सम्मुख पेश नहीं की गई। अगर इस रिपोर्ट में, जिन-जिन बातों को तजवीज पेश को गई है, अगर उन पर अमल किया जाय तो मुमकीन है लाखों की तादाद में रुपयों की बचत हो सकती है और उन रुपयों से हमारे प्रान्त की बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। जैसा कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमेन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, किस प्रकार करोड़ों रुपयों का सरकार ने दुरुपयोग किया है और उन रुपयों का दुरुपयोग मिटाकर किस प्रकार उन्हीं रुपयों से बेरोजगारी की समस्या हल करने में उन रुपयों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी प्रकार सरकार यदि एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट को आने देती और उस पर गौर करती तो मेरा ख्याल है कि लाखों की तादाद में सरकार रुपयों की बचत कर सकती और उन रुपयों द्वारा बेरोजगारी की जो समस्या हमारे प्रान्त में है उसको काफी हद तक दूर कर सकती और इस समस्या को हल करने के बहुत कुछ साधन उससे मिल सकते। इतने शब्दों के साथ मेरे मित्र ने जो प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया उसका हार्दिक अनुमोदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारी सरकार, जो इस विषय में कितनी दिलचस्पी लेती है, यह तो इसी से पता चल सकता है कि सदन में कितने मंत्री-गण मौजूद हैं; फिर भी हमारी राजस्थान की जनता इस बात को देखेगी और ख्याल करेगी कि हमारी सरकार उनके लिए, उनके हित के लिए कितनी दिलचस्पी रखती है। मैं आशा रखता हूँ कि कम से कम इस प्रस्ताव को पास करने के लिये एक राय होकर, आवाज उठाकर हमारा साथ देंगे। हालाँकि मेरे माननीय साथी, जो मन्त्रीगण में से बैठे हैं मैं उनका बहुत अरसे तक साथी रहा हूँ, वे अवश्य मेरे साथी होने के नाते इस प्रस्ताव में मेरा हाथ बटायेंगे। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय चेयरमेन......

श्री सभापति—श्री गुलाबचन्द कासलीवाल।

(श्री भैरूँसिंह को संकेत करके।)

He has taken the mike first.

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय चेयरमेन महोदय, जिस विषय को लेकर आज इस सदन में चर्चा चल रही है उस विषय की गंभीरता के बारे में सिवाय इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों को, जिनको चुनाव के पश्चात् एक प्रकार से जनता के प्रतिनिधि होने के नाते कुछ काम धंधा मिल गया, उनके अलावा मैं समझता हूँ इसकी गंभीरता में शक करने वाला कोई

[श्री भैरूँसिंह]

व्यक्ति राजस्थान के अन्दर नहीं होगा। उन माननीय सदस्यों को काम-धन्धा करने ढाई साल गुजर चुके और ढाई साल अब और बाकी है। उसके बाद में अगर इसी प्रकार की बेकारी रही, इसी प्रकार की राजस्थान में भूखमरी रही और राजस्थान विधान सभा में बैठ कर इस सदन के जिम्मेदार सदस्य होने के नाते उन्होंने इस प्राकर की बेकारी के अभिशाप को दूर नहीं किया तो उस बेकारी के घेरे के अन्दर उनको भी आना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में मेरा उन मित्रों से निवेदन है कि अगर वे बेकारी इस बीमारी से बचना चाहते हैं खुद और जनता को भी बचाना चाहते हैं तो उनको चाहिये कि वे इस समस्या के हल के लिए तैयार रहें।

अभी मेरे माननीय मित्र ने जो प्रस्ताव रखा है उसका अनुमोदन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। इसमें मेरे एक दो संशोधन हैं पहले मैं यह चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थ मैं विचार व्यक्त करूँ।

आज हम राजस्थानियों को जब कभी दूसरे प्रान्त में जाने का मौका आता है उस वक्त जब किसी शहर में या किसी मिल में या किसी कारखाने में या किसी कम्पनी में या राज्य की सेवाओं में लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि अमुक व्यक्कि राजस्थान से आया हुआ है। मिल के अन्दर मजदूर राजस्थानी है, कारखाने के मजदूर ज्यादा तादाद में राजस्थानी हैं। सेठ-साहूकारों के नौकर ज्यादा राजस्थान से आये हुए दिखाई देते हैं किन्तु वहाँ दूसरी और जब हम राजस्थान में देखते हैं, सेक्रेटेरिएट में बड़े बड़े सेक्रेटरी, हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट, किसी विभाग के कमिश्नर या किसी महकमे के डाइरेक्टर को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वे बाहर से आये हुए हमें दिखाई देते हैं। इन सब बातों को देखने से पता चलता है कि राजस्थान में बेकारी के कारण, राजस्थान की जनता के पास किसी प्रकार भी अपने पेट पालने की समस्या का हल दिखाई जब नहीं देता है तो वह इस प्रान्त को छोड़ कर दूसरे प्रान्तों में जाता है और रोजगार की तलाश में सदा प्रयत्नशील रहता है।

आज राजस्थान में बेकारी सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर बाहर गांवों में भी हुआ है और वह बहुत ज्यादा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि बड़े-बड़े शहरों में आप जब स्टेशन पर कुलियों की संख्या को देखिये, शहर में रिक्शा चलाने वालों को देखिये और अन्य प्रकार की मजदूरी करने वालों को देखिये तो आपको पता चलेगा वे सब गांव के लोग हैं। इससे आप यह अन्दाज लगा सकते हैं कि शहर में जो बेकारी है उसकी अपेक्षा गांवों में बेकारी कहीं अधिक मात्रा में है। यह बेकारी इस प्रकार दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से बेकारी का जहर भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उस जहर को समाज को पीना पड़ेगा और आप अन्दाज लगाइये उस जहर के पीने के बाद समाज की व्यवस्था क्या होगी, वह कल्पनातीत है।

Page No.74

[श्री भैरूँ सिंह]

माननीय चेयरमैन, अभी पूर्व वक्ताओं ने राजस्थान सरकार के प्रशासकीय मामलों पर जो अपव्यय की बातें कहीं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आज यह कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार इन शासकीय मामलों पर इतना खर्च करने के बावजूद भी, इस एडमिनिस्ट्रेशन पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने के बाद भी, इस विषमता को दूर करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है।

आज जगह-जगह से इस प्रकार की आवाजें आ रही हैं। पंचवर्षीय योजना में इसका समाधान देखने को मिलता है, पर इसको दूर करने के लिए घरेलू उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा; लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब भारत सरकार ने ५३-५४ की इस सम्बन्धी अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की तो मालूम हुआ कि इस सारे काम के लिए भारत सरकार मदद दिया करती थी और सन् ५३-५४ के लिए छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए हर सरकार को कोई धन-राशि देने की योजना बनाई थी और वह थी तीन करोड़ रुपयों की।

पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस तीन करोड़ रुपयों की मदद का फायदा महज २२ प्रान्तों ने उठाया और जिन प्रान्तों ने नहीं उठाया उन अभागे प्रान्तों में हमारा राजस्थान प्रान्त भी रहा। इसमें से जितनी रकम राजस्थान सरकार को मिलती उससे मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी की यह समस्या एक हद तक सुलझती, पर हमारे माननीय मन्त्री-गण और सरकार के अधिकारीवर्ग आज आलस्य, आपसी वर्गभेद और आपसी भेद-भाव में जिस तरह से फंसे हुए हैं उसके कारण इस बात की उनको फुर्सत ही नहीं मिली कि इस काम की ओर ध्यान दें और राजस्थान में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने का प्रयत्न करें।

चेयरमैन महोदय, मैं एक राजस्थान के दैनिक पत्र के सम्पादकीय नोट का थोड़ा सा अवतरण पढ़ कर सुनाता हूँ जिसमें इस सरकार के लिये कहा गया है कि दुर्भाग्य से राजस्थान राज्य भी उन दो-तीन हतभागे राज्यों में से एक है जिसने अपने आलस्य, प्रमाद तथा असावधानी के कारण उचित समय पर उद्योग-धन्धों के लिए मिलने वाली सहायता की मांग न कर भारत सरकार से मिलने वाली धन-राशि को खो दिया और इसके फलस्वरूप जो लाभ हमारे प्रान्त के घरेलू उद्योग-धन्धों को मिलता उससे हमें सर्वथा वंचित रहना पड़ा।

माननीय चेयरमैन, यह पत्र कोई मामूली पत्र नहीं है। यह राष्ट्रदूत है जिस पर हमारी सरकार गौरव करती है और कहती है कि राष्ट्रदूत में छपी खबर सच्ची है। तो हमें निराशा के साथ मानना पड़ेगा कि हमारी सरकार आलस्य, प्रमाद और असावधानी की मुजरिम है और उसे इस मुजरिमियत को स्वीकार करना पड़ेगा।

माननीय चेयरमैन, महज इसको स्वीकार करने के बाद में माननीय मंत्री महोदय से अपील करूँगा कि वे आलस्य, प्रमाद और असावधानता को छोड़ दें, अपने आपस के भेद-भावों को छोड़

[श्री भैरूँ सिंह]

दें, असावधानी को न बरतें और आइन्दा सन् ५४-५५ में जो भारत सरकार ने इसके लिए चार करोड़ की धन-राशि निर्धारित की है उसके लिए अभी से ही प्रयत्नशील होकर बता दें कि राजस्थान में बेरोजगारी और प्रान्तों के मुकाबले में ज्यादा है और इसलिए अधिकांश हिस्सा उस राशि का राजस्थान सरकार को मिलना चाहिये। किन्तु यदि इसी प्रकार की दलगत भावनाओं में वे फंसे रहे, जैसा कि पिछला इतिहास उनका रहा है, तो मुझे भय है कि इसी प्रकार के प्रमाद, आलस्य एवं असावधानी के कारण हमें इस धन-राशि को फिर खो देने को मजबूर होना पड़ेगा।

माननीय चेयरमैन आज हम जिस वक्त इस बात को लेकर चलते हैं कि हमें छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहित करना है तो इसके साथ-साथ हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए इनके मार्केटिंग का भी प्रबन्ध करना चाहिए और इसके विस्तार को किस तरह से प्रोत्साहन मिले इस प्रकार की चीज भी सोचनी पड़ेगी। इसके लिए दूसरी जगहें तो तलाश करें सो ठीक है पर यह सोचना पड़ेगा कि राजस्थान में ऐसी चीजों को कैसे खपाया जाय। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार जो चीजें अपने काम में इस्तेमाल ले उनके लिए आज से यह प्रतिबन्ध लगा दे कि वह सारी चीजें राजस्थान में बनी हुई ही इस्तेमाल करेगी। मैं सरकार के सभी मन्त्रियों से और खास तौर से माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से अपील करूँगा कि वे आज से ही यह घोषणा कर दें कि राजस्थान में जितनी भी घरेलू उद्योग-धन्धों द्वारा जो उत्पादित चीजें हैं, उनकी चाहे कितनी ही ज्यादा कीमत क्यों न लगे, चाहे राजस्थान सरकार को कितना ही आर्थिक संकट का मुकाबला क्यों न करना पड़े, वे अपने कार्यों में और अपने द्वारा कराये गये कार्यों में, सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यों में उन्हीं का उपयोग करेंगे। अगर ऐसी चीज हुई तो आज कपड़े से लेकर चमड़ा, कागज आदि कितनी ही छोटी-छोटी चीजें हैं वे सब राजस्थान के कोने-कोने में पहुँच जावेंगी। इससे काम-धन्धा करने वालों को काम-धन्धा मिलेगा और बेरोजगारी का जो अभिशाप हम पर है उससे भी काफी हद तक हमें छुटकारा मिलेगा।

आज जब कभी भी वार्षिक बजट आता है तो हमें आश्वासन दिया जाता है कि राजस्थान में जितनी भी बेकारी उत्पन्न हुई है उसको हम एक हद तक कम करेंगे, पर हम देखते हैं कि बेकारी घटने के स्थान पर दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज किसी एक पोस्ट पर, जो मेट्रिकुलेट के लिए होती हैं, एप्लीकेशन्स मांगी जाती हैं तो उसके लिए दरख्वास्तें पहुँचती हैं Law graduates, Graduates एम. एस सी, बी. एस सी. और बी. कॉम. आदि पढ़े-लिखे सैकड़ों नवयुवकों की। अब इनके सामने एक मामूली इन्टर या मैट्रीकुलेट को तो कहीं पर भी जगह नहीं मिल सकेगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज इस विषमता से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अगर इससे इन्कार नहीं किया जा सकता तो इस समस्या को हमें हल करना ही होगा। इसके लिए मैं अपना सुझाव दूँगा कि आप इसके लिए एक ऐसी कमेटी नियुक्त करें जिसके अन्दर इस सारे सदन का विश्वास भी हो और उसके जरिये से राजस्थान भर के सारे घरेलू उद्योग-धन्धों की

[श्री भैरूँसिंह]

आप जांच करावें। वह कमेटी यह भी जांच करे कि राजस्थान सरकार के काम में आने वाली ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जिन्हें घरेलू उद्योग-धन्धों द्वारा यहीं तैयार कर सकें और उन्हें राजस्थान सरकार को आवश्यक मात्रा में सप्लाई कर सकते हैं। वह कमेटी इस प्रकार के सुझाव राजस्थान सरकार के पास रक्खे और उस दिन राजस्थान सरकार इस बात का साफ-साफ ऐलान करे कि जिन चीजों के लिए यह कमेटी सिफारिश करेगी वे चीजें राजस्थान सरकार बाहर से नहीं खरीदेगी, ये चीजें यहां के घरेलू उद्योग-धन्धों से तैयार करवाकर ही खरीदेगी, बाहर से खरीदना बन्द करेगी और सारी चीजें राजस्थान में बनी काम में लेगी। सम्भव है यहां की चीजें बाहर के मुकाबले में कुछ मंहगी पड़े या उतनी सुन्दर न बन सकें पर सरकार का ध्येय यह होना चाहिये कि इसके बावजूद भी सरकार इन्हें ही खरीदेगी और यहां की बनी चीजों की क्वालिटी को बढ़ाने का प्रयत्न करेगी।

मैं कह सकता हूँ कि आज भी ऐसी कई चीजें हैं जैसे यहां का कागज का व्यापार और छपाई-रंगाई का व्यापार। पर सरकार इसके प्रति कोई हमदर्दी नहीं दिखा रही है। कागज के लिए यह कह दिया जाता है कि यह अच्छा नहीं बनता। इसी जयपुर के पास सांगानेर एक कस्बा है, जहां कागज का उद्योग-धन्धा काफी अरसे से चला आ रहा है और मैं आपसे निवेदन करूँ कि जयपुर रियासत का तो सारा रिकार्ड ही इसी सांगानेरी कागज में ही है। आज २०० वर्षों से ऊपर के रिकार्ड भी देखने को मिलते हैं और वे ऐसे मालूम पड़ते हैं कि जैसे बिलकुल नये हों। पर उन कागजों के बनाने वालों को प्रोत्साहन दिया जावे, यह हमारी आज इच्छा नहीं है। हमें तो सफेद, मुलायम और खूबसूरत कागज चाहिये, हमारी विलासिता को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। सरकार आज यह जरूर चाहती है पर उन गरीब उद्योग-धन्धों में काम करने वालों को दो रोटी मिले यह नहीं चाहती। कहने को कहती है बेकारी दूर करना सरकार भी चाहती है पर इसे दूर करने के लिए कोई ठोस काम करना नहीं चाहती और इस तरह से आज सारा कागज सरकार बाहर से मंगाती है। आज सरकार इसके लिए तैयार नहीं कि राजस्थान में कोई चीज पनप सके।

आज मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से आचार्य विनोबा भावे ने भू-दान यज्ञ चलाया उसी प्रकार का कोई यज्ञ अगर यह सरकार चलाती, जिसके जरिये से लोगों के हृदयों में एक प्रकार की प्रेरणा पैदा हो सके कि वे राजस्थान में बनी चीजें ही अपने काम में लाएं तो बड़ा अच्छा हो। सरकार को यह करना चाहिये कि दूसरे प्रान्तों की चीजों को काम में न लें और खास कर भारत से बाहर की, इम्पोर्ट की हुई चीजों को तो यह कतई नहीं प्रयोग में ले। पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज यहां के जिम्मेदार कहाने वाले आदमी तक ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिनका इस्तेमाल करना भारत की बेरोजगारी की समस्या को ज्यादा अभिशापमय बनाना है, बनिस्पत इसके कि इसको दूर करना है।

आज कोई भी व्यक्ति लेक्चर करने के लिए बात कर सकता है, पर आचरण उसका भिन्न होता है। जब कि हम अपना पुराना इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि

[श्री भैरूँसिंह]

जितने भी राजा-महाराजा उस समय थे वे जैसा कहते थे वैसा करते थे और उनका एक ही कर्तव्य था कि वे स्वयं भी बेरोजगार नहीं रहते थे, कुछ न कुछ धन्धा स्वयं भी करते थे। कोई लिखकर, तो कोई कपड़ा सीकर और कोई रंगाई का काम करके अपना गुजारा करते थे। पर आज इस प्रकार की शिक्षा उनसे और उस इतिहास से लेने के लिए कोई तैयार नहीं। पहले के राजे-महाराजे स्वयं उदाहरण थे, जिनसे जनता शिक्षा लेती थी। पर आज जिससे शिक्षा ली जावे, ऐसा नहीं है। न मन्त्रियों से इस शिक्षा की उम्मीद की जा सकती है, न राजप्रमुख, उपराजप्रमुख या महाराजप्रमुख से ही हमें यह शिक्षा मिलती है। जितना जितना व्यवहार हम इनका देखते हैं तो बजाय ऐसी कोई शिक्षा मिले, हमें शिक्षा मिलती है इस बात की कि हमारी चाहे हैसियत हो नहीं इस बात की कि हम उसे निभा सकें पर हमें मोटरों में बैठना पड़ेगा। हमारी हैसियत चाहे ऐसी न हो पर मन्त्री होने के नाते हमें फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना पड़ेगा। जब इस प्रकार की नसीहतें हमें हमारे मन्त्रियों और राजप्रमुखों आदि से मिलेगी तो इस बेरोजगारी की भीषण समस्या का समाधान करने के लिए हम तैयार नहीं हो सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री भैरूँसिंह (वि० सं०)—माननीय चेयरमैन मुझे समय दिया जाय।

श्री चेयरमैन—१५ मिनिट आपको दे दिये हैं।

श्री भैरूँसिंह—५-७ मिनिट और दीजिये।

श्री चेयरमैन—जी नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा २ मिनिट और बोल सकते हैं।

श्री भैरूँसिंह—मेरे लिए ही यह पाबन्दी क्यों है, जब कि औरों को २५ मिनिट तक मिले हैं?

श्री चेयरमैन—यह सही है; लेकिन वे शुरू करने वाले थे।

श्री भैरूँसिंह—शुरू करने वालों के बाद दूसरे माननीय सदस्य थे उनको भी २५ मिनिट मिले हैं।

(माननीय सदस्य गण बोलते रहे, लेकिन बिजली बन्द होने के कारण उनके भाषण का प्रतिवेदन नहीं किया जा सका)

......हमारे विधान में भी सहूलियत रखी गयी है। हमारे विधान में इस तरह का प्रोवीजन है कि जिसमें भारत सरकार के जिम्मे रखा गया है कि जो बेकार हैं उन लोगों को धन्धा दे और धन्धा जब तक नहीं मिले तो इस प्रकार की सहायता दे, जिस सहायता के आधार पर वह अपने आपको जिन्दा रख सके। यह हमारे सामने चीज है। विधान ने जब इस बात के लिए

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

अनुमति दी है कि बेरोजगारी दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो ऐसी सूरत में राजस्थान सरकार द्वारा भी इसमें objection नहीं, सहयोग मिलना चाहिए। सरकार को अपने सारे फिजूल खर्च दूर करना चाहिए और जिस प्रकार से राजस्थान की बेकारी की समस्या दूर हो सके उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष......

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—मैंने २ एमेंडमेंट रखे हैं।

श्री सभापति—आपने स्वयं अब स्थान ग्रहण कर लिया है।

श्री भैरूँसिंह—समर्थन के बाद मेरे जो एमेंडमेंट्स इसमें हैं उनको......

श्री सभापति—अब कोई अवसर बाकी नहीं है।

श्री गोपीलाल यादव—प्रस्ताव के समर्थन करने के बाद एमेंडमेंट की कोई गुँजाइश नहीं है।

श्री शम्भुसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, माननीय एच० के व्यास द्वारा बेकारी के ऊपर किये हुए प्रस्ताव के समर्थन में मैं भी थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय सदस्य ने भारतवर्ष की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए आज जो बेकारी बढ़ गई है और जिस बेकारी के बारे में सरकार की इतनी उदासीनता है कि वह देश के लिए एक चिन्ता का विषय बन गई है; माननीय चेयरमेन, इस बेकारी को सुलझाने के बाबत में २-४ सुझाव निवेदन करना चाहता हूँ।

राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है कि जहाँ खनिज पदार्थ प्रचुरता में उपलब्ध होता है, परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ खनिज पदार्थ मेन्युफेक्चर नहीं करके क्रूड (crude) रूप में बाहर भेज दिये जाते हैं। उदाहरण के वास्ते सिंदड़ी में जो फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा कारखाना है वहाँ के वास्ते जो रॉ मेटीरियल आता है वह सारे का सारा रास्थान से भेजा जा रहा है। माननीय चेयरमेन, यदि हमारे यहाँ उपलब्ध होने वाले इस रॉ मेटीरियल को यानी एमोनियम सल्फेट को कारखाना खोलकर यहाँ मेन्यूफेक्चर कर लेते हैं तो इससे कितने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, यह केवल मैं आपको एक मिसाल निवेदन करता हूँ। इसी प्रकार और भी खनिज पदार्थ है जैसे जिन्क जो कि उदयपुर की जावर माइन्स में निकलता है। वहाँ से वह रॉ फार्म में बाहर ऐक्सपोर्ट होता है। जिन्क स्मेल्टिंग का वहाँ अभी तक कोई प्लान्ट लगा हुआ नहीं है। अगर जिन्क स्मेल्टिंग प्लान्ट वहाँ पर लगा दिया जाय तो कई बेकारों को धन्धा मिल सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत से खनिज पदार्थ हैं उनको मेन्युफेक्चर करने के वास्ते भी राजस्थान में स्वयं सरकार अपने सरकारी कारखाने खोल दे तो जो मुनाफा दूसरे लोगों को मिलता

[श्री शम्भूसिंह]

है, कारखाने के द्वारा वह मुनाफा भी सरकार को मिले और बहुत से लोगों को काम भी मिल जायगा।

माननीय चेयरमेन महोदय, राजस्थान में जो इन्डस्ट्रीज़ हैं उनकी यह मंशा है कि यहाँ के केपिटेलिस्ट जब तक उस इन्डस्ट्री में काफी मुनाफा उठाते रहते हैं तब तक तो चलाते रहते हैं, मगर ज्योंही वे देखते हैं कि उन इन्डस्ट्रीज़ के जरिये से काफी शोषण नहीं कर पाते हैं, या उनको ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता है या कोई ऐसा कारण उपस्थित हो जाता है तो वे इन्डस्ट्रीज़ में ताला लगा देते हैं, इन्डस्ट्रीज़ में लगे हुए बहुत से लोगों को बेकार कर देते हैं। इसके वास्ते मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान भर में बड़ी इन्डस्ट्रीज़ जो हैं उनको क्यों न सरकार नेशनलाइज़ करले ताकि यह रात-दिन तालेबन्दी का सवाल अपने आप समाप्त हो जाय और जिन लोगों को यह शिकायत रहती है कि काम नहीं मिलता है तो जब उनको काम लगा देते हैं तो यह शिकायत भी दूर हो सकती है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ की भी बहुत कमी है। राजस्थान में जो कुछ बड़ी कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ थीं इस बाहर के विदेशी माल के आने के कारण उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और यहाँ की स्थानीय इन्डस्ट्रीज़ को बहुत बड़ा धक्का लगा और यहाँ के बहुत से कारीगर और बहुत से काम करने वाले लोग बेकार हो गये। महात्मा गांधी भी यही कहा करते थे कि कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ को जरूर सहायता देनी चाहिए और कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ को देश में उभारना चाहिए। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में सरकार कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ की तरफ ध्यान दे तो यहाँ की जो बहुत सारी इन्डस्ट्रीज़ हैं वे फिर पुनर्जीवित हो सकती हैं और इससे बहुत से लोगों को काम मिल सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेकारी के बाबत केवल इन्डस्ट्रीज़ और दूसरे लोगों की ही जिम्मेवारी नहीं है। इसके लिए सरकार भी एक हद तक जिम्मेदार है। अभी मैंने एक अखबार में पढ़ा कि सरकार वन विभाग से १२०० कर्मचारियों को अलग कर रही है नोटिस देकर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विचारणीय विषय है। १२०० कर्मचारियों को एक-एक नोटिस देकर अलग करना यह कहाँ तक न्यायोचित होगा? यदि उनको अलग करना है तो अव्वल तो वे अलग ही नहीं किये जा सकते हैं। यदि उन्हें अलग करना था तो उनके लिए कोई दूसरा उचित प्रबन्ध करके उनको अलग किया जाता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सरकार के पी. डब्ल्यू. डी. विभाग में जो ठेकेदारी की प्रथा है इसमें सरकार पी. डब्ल्यू. डी. में काम में जो लगे हुए बहुत से लोगों को काम मिलता था वह अब नहीं मिलता है। सरकार के पी. डब्ल्यू. डी. विभाग में बहुत से लोग बेकार हो जाते हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान बनने से पहले विभिन्न रियासतों के पास निज की रेलवेज़ थीं जिनमें बहुत से लोगों को अपॉइन्टमेंटस मिलते थे, लेकिन रेलवेज़ के केन्द्र में चले जाने के बाद, मैं समझता हूँ कि राजस्थान के बहुत कम लोगों को अपोइन्टमेंटस मिलता है। इसी प्रकार पहले की

[श्री शम्भूसिंह]

स्टेट फोर्सेज़ में बहुत से लोग एम्प्लॉइड थे लेकिन स्टेट फोर्सेज़ के नहीं रहने से बहुत से लोग बेकार हो गये हैं। इधर सरकार ने जागीर रिज़म्पशन की जो नीति अपनाई है उसको देखते हुए मुझे भय है और संभव है कि भले ही यह किसी और को मुफीद हो सके, मगर मैं समझता हूँ कि जागीर में लगे हुए, इन्डाइरेक्टली और डाइरेक्टली, जो हजारों लोग हैं वे, यदि जागीर रिज़म्पशन हुआ तो, बेकार हो जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय घन्टी बजा रहे हैं, इसलिये मैं अपने भाषण को यहीं पर खत्म करता हुआ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और सरकार को निवेदन करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पास करे।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के बारे में, जो अभी सदन के समक्ष विचारणीय है, मैं भी अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि बेकारी के लिए प्रान्तीय सरकार या केन्द्रीय सरकार को ही जिम्मेवार ठहराना बिल्कुल सही नहीं होगा। बेकारी की समस्या पोस्टवार पीरियड (युद्धोपरान्त काल) की आम समस्या है, जो न केवल इस देश में बल्कि यूरोप, अमेरिका आदि सारे देशों में विद्यमान है। लड़ाई के दिनों में वार इन्डस्ट्रीज़ बहुत-सी खुलती हैं और हजारों-लाखों आदमियों को रोजगार मिलता है। लेकिन लड़ाई खत्म होते ही वे इन्डस्ट्रीज़ खत्म करनी पड़ती हैं और इससे भी हजारों-लाखों आदमी जो इन इन्डस्ट्रीज़ में रोजगार पाते थे बेरोजगार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त खाने-पीने की सामग्री की कमी होने से सप्लाइज़ का नया महकमा खुलता है जिसमें भी लाखों आदमियों को रोजगार मिलता है। लेकिन जब सामान्य स्थिति आ जाती है तब उन महकमों को जो युद्धकाल में जारी किये गए थे, जारी रखना संभव नहीं है और न ठीक ही प्रतीत होता है। इसलिए उनको धीरे-धीरे वाइन्ड अप (खत्म) करना पड़ता है। यही कारण है कि हजारों-लाखों आदमी जो पहले लगे रहते हैं, बेकार हो जाते हैं। प्रत्येक महायुद्ध के बाद में युद्धरत देशों में एक बेकारी का दौर आता है, यह सारी मानवता का तजुर्बा है। इसमें खास बात नहीं कि भारत सरकार या प्रान्तीय सरकार की इनएबिलिटी के कारण ही बेकारी की समस्या पैदा हो रही है, ऐसा कहना भूल है। यह उन इकोनोमिक फोर्सेज़ (economic forces) का, उन आर्थिक समस्याओं का स्वाभाविक नतीजा है जिस पर मनुष्य और सरकारों का पूरा नियंत्रण कभी नहीं हो सका। कुछ हद तक मनुष्य और सरकार रोक लगा सकती है पर पूरी तरह से कभी भी नहीं लगा पाती। यह एक नेचुरल कोर्स (natural Course) है जो अपना नतीजा हमेशा लाता है।

इसके बाद एक बात पर जरूर ध्यान देना चाहिये और वह यह है कि आज के दिन बेकारी बहुत हद तक शहरों में रहने वालों और कुछ शिक्षित लोगों में ज्यादा पाई जायेगी। यदि सदन के सदस्यों का यह विचार है कि इसका अनुपात देहात में अधिक है और सारे देश में लोग बेकार हैं तो वे अपने विश्वास को ठीक कर लें क्योंकि मुझे जितनी जानकारी ग्रामीण वर्ग की है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि गाँव के लोगों में, मजदूरों में या जो मेन्युअल लेबर करते हैं उनमें बेकारी का सवाल इतना अधिक पैदा नहीं हुआ है। लेकिन शहरों में रहने वाले जो विद्यार्थी मेट्रिक, इन्टर या बी. ए. पास करके स्कूलों या कॉलेजों से निकलते है, उन्हीं पढ़े-लिखे शहरी लोगों में ही यह बेकारी

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

अब तक सीमित है। एक बात ध्यान में रखने की यह है कि बहुत अरसे से हमारी आज की शिक्षा प्रणाली जो कई वर्षों से चली आ रही है और जो हमें विरासत के रूप में पहले वाली सरकार से प्राप्त हुई है वह ही इसके लिए जिम्मेदार है, शिक्षा में आत्म निर्भरता का जो सबसे अच्छा गुण होना चाहिये उसका सर्वथा अभाव है और आज की शिक्षा स्कूलों और कॉलेजों से निकलने वाले विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता नहीं सिखलाती, जीवन में वे अच्छा स्थान नहीं पा सकते, संकट के समय ठीक काम पर नहीं लग सकते और फलतः वे बेरोजगारी के शिकार बन जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि हमको स्वतन्त्र हुए ५-७ साल हो गए। क्यों नहीं हमने शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिये? शिक्षा प्रान्तीय विषय है। प्रान्तीय सरकारों को अधिकार है कि जैसा चाहें वैसा परिवर्तन वे इस क्षेत्र में कर सकती है लेकिन फिर भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि कोई प्रान्तीय सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहती है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अन्य प्रान्तीय सरकारों से और सारी विश्व विद्यालयों से बातचीत इस विषय में करे और यदि वर्तमान पद्धति को बिल्कुल छोड़कर नयी शिक्षण प्रणाली राजस्थान सरकार अपनाना चाहती है तो उसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि उन स्कूलों और कॉलेजों से निकलने वाले विद्यार्थियों को हिन्दुस्तान की दूसरे विश्वविद्यालय मान्यता देंगी या नहीं, उस सिस्टम ऑफ एज्युकेशन को रिकॉग्नाइज़ करेंगे या नहीं? यह सुधार ऑल इन्डिया बेसिस पर किया जा सकता है या नहीं, इसके लिए ऑल इन्डिया युनिवर्सिटी कमीशन कोशिश कर रहा है। जानकार लोग इसके लिए जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं और विशेषज्ञों की राय इस बारे में ली जा रही है। ऑल इन्डिया बेसिस पर इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार इससे भिन्न अपना नया निर्णय करती, ऐसी बात संभव नहीं थी। जितना प्रयत्न समस्या को सुलझाने का किया जाता वह उतना ही उलझन में पड़ जाता। जैसा कि मैंने आपसे कहा वास्तव में बदकिस्मती यह रही कि हमको इस प्रकार की मनोवृत्ति विरासत में मिली है कि प्रत्येक छात्र मेट्रिक, इन्टर या बी. ए. की डिग्री के बाद स्कूलों, कॉलेजों से निकलते ही अपना अधिकार मानता है कि सरकार को उसके लिए अच्छी-सी नौकरी तैयारी रखनी चाहिये। मैं निवेदन करूँगा कि दुनिया की कोई सरकार इस तरह के एक्सपेक्टेशन (expeotation) को पूरा नहीं कर सकती चाहे वह कितनी ही समृद्धिशाली सरकार क्यों न हो। विद्यार्थियों को शिक्षा मिलने के बाद इतना आत्म-निर्भर होना चाहिए कि वे देख सकें कि समाज के किस फील्ड ऑफ लाइफ में उनको उतरना चाहिये और उसके लिए उनको अपने आप साधन बनाने चाहिये। यह ठीक है कि सरकार को भी उन्हें सहायता देनी चाहिये और सरकार इसके लिए सदैव तैयार रहती है, लेकिन उनमें इन्सपिरेटिव स्पिरिट (inspirative spirit) न हो तब किसी सरकार के लिए यह मुमकिन नहीं हो सकता कि वह हजारों-लाखों विद्यार्थियों के लिए रिज़ल्ट निकलते ही नौकरी तैयार रखे और स्कूलों- कालेजों से निकलते ही उनको नौकरी की कुर्सी पर बैठा दे। यदि पढ़े-लिखे लोग वाइट कोलर जोब न चाह कर कुछ मेहनत, उद्यम करना चाहते हैं तो आज भी उनके लिए काम की कमी नहीं है। हजारों-लाखों बीघा जमीन हमारे यहाँ पड़ी है, यहाँ पर नये-नये बाँध बनाकर सिचाई के साधन उपलब्ध किये जा रहे हैं। यदि वे लोग चाहें तो २५-२५, ३०-३० बीघा जमीन लेकर खेती करना शुरू कर दें और नए तरीके से जमीन की तरक्की करना शुरू कर दें, तो उनके लिए कोई अभाव नहीं रहेगा।

[श्री विशम्भरनाथ जोशी]

अगर वे खेती करना चाहें तो उनको २५-३० बीघा जमीन दी जा सकती है, खेती करने के लिये उनको तकावी दी जा सकती है और अगर मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर करना चाहें तो उनको ट्रेक्टर वगैरह के लिये सरकार तकावी लोन्स देने को तैयार है। पर, उनका इस ओर कतई ध्यान ही नहीं जाता, उनकी इस ओर कतई दिलचस्पी नहीं है। वे तो सिर्फ ५०), ६०) रुपये की क्लर्की की ओर भागते हैं, सिर्फ सर्विसेज़ की ओर उनका ध्यान है, अन्य कामों में उनकी दिलचस्पी ही नहीं है। वे तो नौकरी लेना चाहते हैं। वे लोग सूरज की गर्मी को बर्दाश्त करना नहीं चाहते। सर्विसेज़ की बात यह है कि वे अनलिमिटेड नहीं हैं, लिमिटेड हैं। सवाल दरअसल अन-एम्प्लॉयमेंट का नहीं, बल्कि अनएम्प्लोयेबल्स (unemployables) का है। कॉलेजेज़ से और स्कूलों से बहुत बड़ी संख्या में हर साल लड़के निकलते हैं जो अनएम्प्लोयेबल हैं, क्योंकि वे लोग क्लर्की के सिवाय, नौकरी के सिवाय और कोई दूसरा काम करना ही नहीं चाहते। इस बात को तो हर एक समझदार व्यक्ति मानेगा कि इतने जो छात्र हर साल कॉलेजेज़ और स्कूलों से निकलते हैं उन सब को तो सर्विसेज़ में नहीं लिया जा सकता।

तो ऐसी हालत में यह कोई बहुत जल्दी में लिया जाने वाला निर्णय नहीं है। समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा पद्धति को बनाना, यह कोई अकेले राजस्थान की ही समस्या नहीं है, अपितु अखिल भारतीय समस्या है। हमारी केन्द्रीय सरकार इस समस्या का हल करने के लिये प्रान्तीय सरकारों के साथ, शिक्षा शास्त्रियों के साथ प्रयत्नशील है। उसी से ही इस समस्या का निराकरण हो सकेगा।

एक बात बहुत ही मजेदार कही गई है जो सस्ती लोक-प्रियता के लिहाज से तो बहुत ही एट्रेक्टिव है। पर अगर उसे रीज़न की कसौटी पर कसा जाय तो उसे कोई भी रीज़नेबल नहीं कह सकता। वह यह है कि इस प्रस्ताव के एक अंश में यह कहा गया है कि जितने भी गवर्नमेंट के या प्राइवेट कारखाने हैं, या कम्पनियां हैं उनमें रिट्रेंचमेंट बिल्कुल नहीं होने देना चाहिये। मान लीजिये किसी कारखाने या कम्पनी के उत्पादन में कमी आ गई या उत्पादन के लिये कच्चा माल नहीं मिल रहा है या मशीनरीज़ के पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी सूरत में कोई वजह नहीं है कि उसकी सारी दिक्कतों को बलाए ताक रख कर किसी प्रकार का रिट्रेन्चमेंट न करने पर जबर्दस्ती मजबूर किया जाय। आज का जो हमारा विधान है उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकारें किसी को मजबूर नहीं कर सकतीं कि यदि कारखाने या कम्पनी के किसी मालिक के पास रॉ मेटिरियल चाहे न भी हो या चाहे करघे और अन्य उत्पादन के साधन न हों तो भी उनको मजबूर किया जाय कि वे किसी भी प्रकार का रिट्रेन्चमेंट न करें।

यदि ऐसा किया गया तो लोग कहेंगे कि यह फ्रीडम ऑफ ट्रेड पर एन्क्रोचमेंट (encroachment on freedom of trade) है, कुठाराघात है, हमारे अधिकारों से हमें वंचित रखा जा रहा है और हमारे मित्र जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है वे खुद ऐसी सूरत में सस्ती लोक-प्रियता हासिल करने के लिये हाउस में स्थगन प्रस्ताव रखेंगे कि यह नागरिकता के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा

[श्री विशम्भरनाथ जोशी]

रहा है और फिर धीरे-धीरे इसी सदन में हमारी सरकार से भी यह जवाब तलब किया जायगा कि सरकार की फलां-फलां इन्डस्ट्रीज़ लोस में रन कर रही हैं, इसका क्या कारण है ?

तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि यह व्यवहार्य चीज नहीं है। किसी कारखाने में कोई कच्चा माल न हो, कोई काम न हो; फिर भी उस कारखाने का मालिक नौकरियों में रिट्रेन्चमेंट न कर सके, ऐसा ठीक नहीं है और न यह न्याय-संगत ही कहा जा सकता है। केवल सस्ती लोक-प्रियता हासिल करने के लिये कह देना और बात होती है।

एक बात माइनिंग इन्डस्ट्रीज़ के बारे में कही गई कि फलां आदमी को ११ माइन्स के ठेके दे दिये, फलां आदमी को ६ माइन्स के ठेके दे दिये गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष, मुझसे पहले बोलने वालों को बहुत समय दिया गया है, तो कम से कम २५ मिनट मुझको भी तो बोलने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—१५ मिनिट से ज्यादा समय दूसरों को न देने का रूल्स में प्रोविज़न है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—मेरे पूर्व वक्ता को ४५ मिनिट दिये गये थे।

श्री उपाध्यक्ष—मूवर को ज्यादा समय देने का प्रोविजन है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—(अपना भाषण जारी रखते हुए) यह कहा गया कि एक आदमी को लाखों-करोड़ों रुपये कमाने के साधन दे दिये जाते हैं और दूसरी ओर मजदूर बेकार हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हमारे उन माननीय सदस्य की दिलचस्पी सस्ती लोक-प्रियता हासिल करने के अलावा किसी रचनात्मक कार्य करने की ओर या किसी अन्य कार्य को क्रियात्मक रूप देने की ओर होती और वे यह कर पाते कि कहीं पर भी मजदूरों की कोऑपरेटिव सोसायटी बना लेते जो अपने पैरों पर खड़ी होकर सारी माइन्स के मेनेजमेंट को चला सकती; ऐसी जानदार संस्था अगर वे खड़ी कर पाते तो उनको ऐसा कहने का अधिकार था। परन्तु, उन्होंने ऐसा करने के बजाय केवल सस्ती लोक-प्रियता हासिल करने के लिए ऐसा कह दिया।

क्वेरीज (quarries) राजस्थान में बहुत पड़ी हुई हैं। आज एक भी ऐसी कोओपरेटिव सोसाइटी राजस्थान में नहीं है तो ऐसी हालत में क्या राजस्थान की माइन्स और क्वेरीज़ को पड़ा

[श्री विशम्भरनाथ जोशी]

रहने दिया जाय, जब कि मजदूर इस हालत में नहीं हैं कि अपने पैरों पर खड़े होकर उनको चला सकें। वे बेकार तो पड़ी नहीं रखा जा सकतीं, देना उन्हीं को पड़ेगा जिनके पास कि साधन हैं। तो, इसमें सरकार ने गुनाह क्या किया कि जो खानें पड़ी हुई थीं उनको चालू करवा दिया। तो ऐसी सूरत में यह कहना कि एक ही व्यक्ति को ११-११ और ६-६ ठेके दे दिये, सिवा सस्ती लोक-प्रियता हासिल करने के और कुछ नहीं कहा जा सकता है।

फिर एक बहुत मजेदार बात विरोधी दल के नेता की ओर से कही गई है कि १८००० पुरानी फौजों के सिपाहियों को रिट्रेंच कर दिया गया है। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि या तो उन्होंने यह वतीरा बना रखा है कि इस पृथ्वी पर होने वाली जितनी भी चीजे हैं उन सब की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर डाली जाय। यह काम राजस्थान सरकार का नहीं, केन्द्रीय सरकार का है और यह एक प्रगतिशील कदम है कि फौजों पर होने वाले खर्च को कम किया गया है। कल्याणकारी राज्य कहलाने वाली सरकार को फौजों पर कम खर्च करके विकास की योजनाओं पर ज्यादा खर्च करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार के लिए यह एक बड़े ही क्रेडिट की बात है कि जिस वक्त सारा संसार अपनी फौजों को बढ़ाने में लगा हुआ है उस समय भी अपने देश के लिए, अच्छे साधन जुटाने के लिए फौजों पर के खर्च को कम करके पंचवर्षीय योजना के लिए लगाया है; यह एक प्रगतिशील कदम है।

इसके बाद भी मैं यह कहूँगा कि १८००० आदमी जिनको कम कर दिया गया, एक वक्त वार में जरूरत थी तो राइट-लेफ्ट करना सिखा दिया और राईफल पिस्तौल भी चलाना सिखा दिया; तो क्या जरूरी है कि वे लोग सारी जिन्दगी सिवा दूसरों को शूट करने के और कोई दूसरा धंधा ही नहीं करें। आदमी को इतनी एबिलिटी रखनी चाहिये कि दूसरा काम भी कर सकें।

उन्होंने एक बात और कही कि बीकानेर की रेलवे नोर्दन रेलवे में शामिल हो गई, इससे बहुत से बड़े बड़े कारखाने चौपट हो गए। तो इसके लिए भी केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार थी, राजस्थान सरकार जिम्मेदार नहीं थी। फिर भी इसमें जो हुआ वह बेकार नहीं हुआ, स्थानान्तर होता तो सारे आदमी ट्रान्सफर हो जाते, कारखाने तो चालू ही रहते।

यह बात उन्होंने बिना सोचे समझे लोकल पेट्रोटिज्म के नाते की कि वे बीकानेर के हैं इसलिए बीकानेर के बारे में असेम्बली में कहते ही रहते हैं; इस इरादे से कहा है।

इसका विरोध मैं इसलिए करता हूँ कि माननीय सदस्य का जो डिक्टेशन है और उनकी जो लचर दलीलें हैं, जिसमें कभी वे कहते हैं कोम्युनिस्ट चाइना की बात और कभी कहते है रूस की बात। इस प्रकार की बातें करके वे सस्ती लोक-प्रियता और सस्ती राजनैतिक इम्पोर्टेन्स गेन करना

[श्री विशम्भरनाथ जोशी]

चाहते हैं। हमें उनके तरीको को काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकार अपने तरीकों से काम कर रही है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री श्रीदास गोयल— ऑपोज़िशन वाले कोई नहीं है। हमारे लीडर साहब कहेंगे कि वे जवाब किसको सुनावें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यही बात ऑपोजिशन को भी बुरी लगती थी, इसीलिए ऐसा किया गया है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं श्री एच० के० व्यास को उनके इस प्रस्ताव के लिये धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। इसलिये नहीं कि यह प्रस्ताव, जो उन्होंने रखा है अच्छा है या अच्छे ढंग से रखा गया है या अच्छे व्यक्ति से रखा गया है बल्कि इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह प्रस्ताव रख कर मुझे मौका दिया कि मैं थोड़े से शब्द कह कर जो स्थिति है उस पर प्रकाश डाल सकूँ।

प्रस्ताव रखते वक्त मेरा ऐसा खयाल है कि चार बातों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे प्रस्ताव में एक बात तो है परिस्थिति की सूचना देना, दूसरी बात है परिस्थिति को सुधारने के लिये सुझाव देना, तीसरी बात है थोड़ी टीका-टिप्पणी सरकार पर करने का मौका मिलता है उसको करना और चौथा यह कि उसको कन्डेम करना कि जिससे थोड़ा पोलिटिकल फायदा भी उठाया जा सके। मैं समझता हूँ कि प्रस्तावक महोदय ने अन्तिम बात पर ज्यादा जोर दिया है क्योंकि उनका यहाँ पर रहना खास तौर से एक राजनैतिक लाभ उठाने से है और उनको हर तरह का मौका मिलना चाहिये।

अब मैं थोड़ा-सा उन बातों पर प्रकाश डालूँगा जो श्री एच. के. व्यास और श्री जसवन्तसिंहजी और दूसरे साहबां ने हमारे सामने रखी हैं। मुझे खेद है कि कुँ० श्री जसवन्तसिंहजी की तरह मुझे भी बाहर थोड़ी देर के लिये जाना पड़ा लेकिन मैं कुछ खास काम से गया था, लोबीज़ में बातें करने के लिये नहीं गया था। मगर मैं यह कह देना चाहता हूँ कि उनके शब्द मेरे पास हैं, चाहे वे लिखित हों, चाहे बोले हुए हों। उनके लेक्चर को मैं सुन नहीं सका। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उनको इतनी दिलचस्पी सुनने की नहीं है जितनी कि सुनाने की है। मैंने पहले ही कहा है कि उनका उद्देश्य इस प्रस्ताव द्वारा कन्डेम करने का था ताकि इसका राजनैतिक लाभ उठा सकें।

अब मैं सदन की जानकारी के लिये, विरोधी पक्ष की जानकारी के लिये नहीं, मैं इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण करूँगा। श्री एच. के. व्यास ने कहा है कि यह समस्या गम्भीर है। इस बात को कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि बेकारी की समस्या गम्भीर नहीं है लेकिन यह बेकारी की समस्या राजस्थान सरकार ने पैदा की हो या राजस्थान सरकार बनने के बाद में पैदा हुई हो, ऐसी बात नहीं

[श्री जयनारायण व्यास]

है। इस बारे में जो सूचना दी गई है वह बिल्कुल गलत है और जो आँकड़े रखे गये है उनको तोड़-मरोड़ कर रखा गया है।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि यदि जमीन के हिसाब से देखा जावे तो पहले से ज्यादा जमीन पर खेती हो रही है और ज्यादा आदमी जमीन पर काम करने के लिए लगाए गए हैं। अगर नोकरों की तादाद की दृष्टि से देखें तो आपको मालूम होगा कि क्या मिनिस्टीरियल स्टाफ, क्या क्लेरीकल स्टाफ और दूसरी जगह के कर्मचारियों में वृद्धि ही हुई है और इससे बेकारी घटी ही है। आगे चल कर मैं इनको तफसील में बताऊँगा।

उन्होंने यह कहा कि सबको जिन्दा रखने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार बेशक अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस करती है और वह बराबर सब को जिन्दा रखेगी; किसी को मरने नहीं देगी, सबको जिन्दा रखेगी। पहले भी कई दुष्काल हुए हैं और लोगों को खाने-पीने के साधन नहीं मिले, उस समय सरकार ने किसी न किसी रूप में उन सब की मदद की। किसी का भी बाल बाँका नहीं होने दिया। इसलिए यह कहना कि लोग मरने की हालत में आ गये हैं सिवाय प्रोपेगेन्डा के कोई बात हो नहीं सकती है।

अब मैं, किस प्रकार बेकारी मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं शिक्षा विभाग को आपके सामने रखूँगा। शिक्षा विभाग में एक योजना है जिसके अनुसार नई प्राइमरी स्कूलें खोली जावेंगी और करीब ३ हजार अध्यापकों की नई भर्ती की जावेगी। इस साल नोन-रेकरिंग एक्सपेन्डीचर पर १६,८८,८००) रुपये खर्च होंगे और रेकरिंग एक्सपेन्डीचर के तौर पर १,८६,११७) रु० इस तरह कुल मिला कर २१,५४,६१७) रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ और भी है और वह है टेक्निकल ट्रेनिंग की खास तौर से व्यवस्था करना। इसमें कोई शक नहीं कि आर्ट कॉलेजों में बी. ए. और एम० ए० कराने से बेकारी का प्रश्न हल नहीं हो सकता। हमें इसमें परिवर्तन करना है। यह परिवर्तन जैसे अभी श्री बी० एन० जोशीजी ने कहा कि एक दम नहीं हो सकता है, यह सही है। यह धीरे-धीरे ही हो सकता है। जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं और चाहते हैं कि लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जावे ताकि लोग टेक्नीशियन्स हो जावें और बाबूगिरी के पीछे जो अभी लगे हुए हैं न लगे रहें। आप जानते हैं कि एक इन्जिनीयर भी मजदूर होता है, एक मेकेनिक और हथोड़ा चलाने वाला भी मजदूर ही होता है। इन्जिनीयर्स और मेकेनिक बनाने के लिए जोधपुर में टैकिनकल इन्स्टीटयूट की बात-चीत चल रही है और मेरा ऐसा ख्याल है कि हम लोग इसी साल इसमें कामयाब होंगे। इसमें प्राइवेट व्यक्तियों से मदद के लिए माँग की गई है और बाँगड़जी ने मेरे द्वारा लिखने पर एक लाख रुपया देना स्वीकार किया है और मेरा खयाल है कि वे दो लाख रुपया और दे देंगे और गवर्नमेंट भी चार लाख रुपया लगाएगी और ढाई लाख रुपया भारत सरकार से भी इसके लिए लेगी और इस तरह से टेक्निकल ट्रेनिंग का काम शुरू करेंगे और पढ़े-लिखे लोगों में जो बेकारी फैल रही है उसकी समस्या को हम हल कर सकेंगे। जो टेक्निकल ट्रेनिंग, ड्राफ्ट्समेन आदि में अभी इन्जीनियरिंग कॉलेज में भर्ती की जाती है उसमें ३३

[श्री जयनारायण व्यास]

के बजाय ७० कर लेंगे और इसी प्रकार इन्जीनीयरिंग ड्राफ्ट्समेन में १० जगह और बढ़ावेंगे। इस प्रकार माइनिंग में भी कुछ बढ़ा रहे हैं। कुल मिला कर ११७ टेक्नीशियन्स की वृद्धि हो जावेगी। मैं यह नहीं कहता कि इससे कोई ज्यादा बेकारी को दूर करने में फायदा होगा लेकिन मैं यह कहूँगा कि जब ११७ आदमी ट्रेन्ड हो जावेंगे तो उनके साथ-साथ बहुत काम भी हो जाते हैं और बेकारी को दूर करने में काफी मदद मिलती है। इसी तरह हैल्थ में भी बेकारी को मिटाने के लिये नर्सेज भी ट्रेन्ड की जायँगीं। ३५ नर्सेज, ६० मेल नर्सेज तथा ७५ मिड वाइव्ज आदि सालाना नई ट्रेन्ड की जावेंगी। इस तरह से कुल मिलाकर २७० होंगी। इसी दृष्टि से शिक्षा दी जायगी ताकि यह वृद्धि होकर हमारा जो हैल्थ डिपार्टमेंट है उसमें भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ लोक-सेवा भी होगी और कुछ लोग बेकार हैं उनकी बेकारी भी मिटेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जरा दुख इस बात का है कि अभी लोग इन धन्धों में नहीं आते है और कभी-कभी उनके भर्ती होने में देर लग जाती है तो इसमें सरकार का क्या दोष है। सरकार की ओर से तो मिडवाइव्ज बनने में, नर्सेज बनने में प्रोत्साहन दिया जायगा ही। खास तौर पर मि० एच० के० व्यास ने यह कहा कि अब समस्या बहुत गम्भीर हो रही है: उस गम्भीर समस्या के सिलसिले में उन्होंने एक जिक्र जो किया वह कमठे का है। कमठे पहले हुए हैं, 'कमठा' कहते हैं निर्माण कार्य को। वे कहते हैं कि अब कमठे नहीं होते हैं, पत्थरों का काम नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि पत्थरों के काम के सिलसिले में खास तौर पर वे जोधपुर के रेफरेन्स में कह रहे थे। मैं जोधपुर को थोड़ा बहुत जानता हूँ और वहाँ की खानों को भी जानता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि इधर-उधर करके कुछ लोगों ने खानों को बन्द करने की कोशिश की, लेकिन पत्थरों का एक-एक चप्पा लोगों को ठेके में दे दिया गया है और पत्थर खानों से निकाले जा रहे हैं। फिर भी थोड़ा बहुत पत्थरों का धन्धा वहाँ जरूर कम हुआ है और उसका कारण है। कारण यह है कि जो जोधपुर का पत्थर था वह ज्यादातर पाकिस्तान में जाता था। पाकिस्तान में जोधपुर के पत्थरों की बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, जैसे इम्पीरियल बैंक और बीच के अन्दर की जो बड़ी-बड़ी इमारतें हैं वे सारी की सारी रेड स्टोन से बनी हैं। पूरा मोहल्ला पाकिस्तान में जोधपुर के सिलावटों का था, उनमें से बहुत से वहाँ रह गये हैं, जिनमें इन्जीनियर्स भी हैं। पत्थरों का पाकिस्तान में आना-जाना उस हिसाब से तो हो नहीं सकता है। फिर भी राजस्थान की दृष्टि से कमठा का काम कम हुआ है, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, हम जयपुर में रहते हैं और आते-जाते जयपुर की 'बी' स्कीम और 'सी' स्कीम को देखते हैं तो यहाँ भी काफी मकानात बने हैं और बन रहे हैं। गाँधीनगर जाकर देखिये, जहाँ जाने में पहले लोग घबराते थे, अब यह कहते हैं कि वहाँ क्वार्टर्स ज्यादा बनने चाहिये। रिफ्यूजी और रिहेबीलिटेशन द्वारा भी मकानात बने हैं, दूकानें बनी हैं, फतहपुरा में मकानात बने हैं। इन सब को देखने से मालूम होता है कि मकानात के बनने में कमी नहीं आई है। जोधपुर में भी रिफ्यूजी रिहेबीलिटेशन की तरफ से दूकानें और मकान बने हैं। मेरे खयाल से चार हजार के करीब मकान बने हैं। इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के आधार पर भी लेबर के मकानात बनने जा रहे हैं। उसकी कान्फ्रेन्स अभी हाल ही में दिल्ली में हुई। १ हजार मकान चार स्थानों में बनेंगे। सिलसिला मकान बनाने का जारी है, किन्तु यह कह देना कि मकान बनते हैं और बन्द हो जाते हैं; कहना तो आसान

[श्री जयनारायण व्यास]

है लेकिन यह कहना ठीक नहीं है। ३ करोड़ ८० लाख रुपया योजना आयोग के अनुसार हमारे ओफिसेज़ और रेजिडेन्सेज़ के लिए मुकर्रर हुए हैं और ये तीन करोड़ ८० लाख, जिसको करीब चार करोड़ समझा जाय, बराबर खर्च होंगे और मकानात की जो कमी हो रही है वह बराबर पूरी होगी, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं मालूम होती है। जोधपुर का स्टेशन पहले था उससे कहीं अच्छा बना है, कई लाख रुपये उसमें लगे होंगे। जयपुर का स्टेशन भी बड़ा बनने जा रहा है। मकान नहीं बने हैं। मकान नहीं बन रहे हैं, मकानों या धन्धा कम हो गया है तो मैं समझता हूँ कि यह कह कर आप ज्यादती कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि इस सम्बन्ध में क्रिटिसाइज़ करना या कन्डेम करना ही एक लक्ष्य हो सकता है, दूसरा लक्ष्य मुझे प्रतीत नहीं होता।

माइका माइन्स के बारे में श्री एच० के० व्यास ने कहा कि माइका का धन्धा कम हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी चीज़ की कमी होती है तो इसकी बाजार में कीमत बढ़ जाती है और यदि वह चीज़ ज्यादा मिलने लग जाती है तो कीमत घट जाती है। राजस्थान बनने से पहले लड़ाई के जमाने में एक माइका मिशन बनाया गया था। अच्छा बनाया गया या बुरा बनाया गया, इस वक्त इसकी चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। उस मिशन में अमेरिका और इंगलैंड दोनों मुल्कों का हाथ था और ये मुल्क चूँकि एक तरफ थे, एक साथ थे, उनका आपस में सहयोग था। हिन्दुस्तान इंगलैंड के साथ सेटेलाइट की तरह से था, उसकी कोई आवाज़ नहीं थी। माइका मिशन ने जल्दी-जल्दी लड़ाई के जमाने को देखते हुये, ज्यादा से ज्यादा माइका आये और बिके, यह खयाल करके माइका इकट्ठा करवाया खास-खास स्पेसिफिकेशन्स से और आज भी इंगलैंड के अन्दर ५० लाख रुपयों की माइका पड़ी हुई है। जब सप्लाई बहुत होती है तो डिमान्ड कम हो जाती है। यह एक चीज़ है और इसलिये माइका की डिमान्ड में कमी हुई थी। यह कोई बुरी बात नहीं है, यह तो एक स्वाभाविक बात है। रूमानिया या रशिया की वकालत भाई एच० के० व्यास ने इस फ्लोर से करना पसन्द किया है कि उन देशों में इसकी कमी है और इस सम्बन्ध में कोई देखता नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में उनको कहूँगा कि उन देशों की ओर से माँग भी तो होनी चाहिये। वे भी तो हमको एक्स्प्लोइट करते हैं। वे जानते हैं कि इंगलैंड में माइका पड़ी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत दुनिया को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मिशन से इकट्ठा किया हुआ माल हम रखेंगे ताकि हमारी माइका का भाव बढ़े; वह इसलिए कि स्पेसिफिकेशन्स के चिप्स वहाँ पड़े हुए हैं, वे जानबूझ कर नहीं माँगे जा रहे हैं। कुछ स्पेसिफिकेशन्स की माइका सस्ती मिल सकती है। वहाँ ५० लाख की माइका हिन्दुस्तान भर की है और उसमें बिहार और राजस्थान का हिस्सा ज्यादा है; वह पड़ी रहेगी। जैसा स्पेसिफिकेशन आयगा हम उसी माफिक अपनी माइका बेचेंगे। उससे भाव तेज आयगा और माइका के सम्बन्ध में बाजार जो मंदा पड़ा हुआ है वह उठ जायगा। श्री एच० के० व्यास यह कहते हैं कि ये तो कैपिटेलिस्ट्स को देते हैं और उनको फेवर करते हैं। श्री मानसिंह का जिक्र किया कि उनको ४० ब्लॉक दे दिये हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि माइका का धन्धा बहुत लम्बा-चौड़ा है और हमारे पास इसकी बहुत खानें हैं। छोटी-छोटी खानों से बहुत फायदा नहीं उठाया जाता, इसलिए बड़े-बड़े ब्लॉक्स करने पड़े हैं। उन ४० ब्लॉकों के अलावा कई ४० ब्लॉक्स हमारे पास हैं जो दिये जा सकते हैं, छोटे ब्लॉक्स भी दिये जा सकते हैं। माइका से स्टेट फायदा नहीं उठा रही है।

[श्री जयनारायण व्यास]

मेजर और माइनर माइन्स का सवाल नहीं। आज माइका मेजर माइन्स में से है। मेजर माइन्स होने के नाते जो रोयल्टी पहले मिलती थी उससे अब पाँच पर्सेन्ट हम कम लेते हैं, उससे अधिक नहीं। माइका की वजह से लाभ उठाते हैं और दूसरों की उपेक्षा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वर्ल्ड सिचुएशन (world situation) और माँग की बात है, जो ध्यान में रखने की है।

इसी तरह बुनकर और चर्मकार बेकार हैं। ये बेकार हैं, केवल यह कह देना ठीक नहीं है। केवल कहने में क्या लगता है? मैं विश्वास के साथ कहता हूँ और मानता हूँ कि बुनकरों और चर्मकारों के धन्धे में और ज्यादा तरक्की और उनको काम देने की आवश्यकता है। लेकिन बुनकर और चर्मकार काम कर रहे हैं और खास तौर पर राजस्थान सरकार बुनकरों और चर्मकारों को प्रोत्साहन दे रही है। खादी बोर्ड से भी पैसा लेकर धन्धा करते हैं। इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट की ओर से बुनकरों को कार्य देने के लिए, सहायता देने के लिए भी कुछ लाख रुपये रखे गए हैं। उसी तरह से चर्मकारों की जो चीजें आज तक मार्केट में नहीं आयीं वे भी आ रही हैं; जैसे बटवे आदि। पुलिस के लिये भी, हालाँकि यह बात जरूर है कि लोगों के स्टेन्डर्ड से पुलिस का स्टेन्डर्ड दुगुना पड़ता है फिर भी उस स्टेन्डर्ड के अनुसार यदि वैसे जूते मिल सकते हैं तो जूते वैसे बनवाये जा रहे हैं।

बुनकरों से भी एक हजार दरियें बनवानी हैं और वे एक तरह की बनेंगी। यह कोशिश की जा रही है कि दरियों के स्थानीय उद्योग-धंधों के द्वारा सप्लाई करें। यह कहना कि हम उद्योग-धंधों पर ध्यान नहीं देते, गलत बात है।

इतना जरूर है कि सरकारी दफ्तरों में और अन्य सेवाओं में एक स्टेन्डर्ड मेन्टेन करना पड़ता है। पहले जितना सामान हमारे यहाँ बनता था उससे अधिक सामान यहाँ बनने लगा है। ज्यों-ज्यों सामान बनता जायगा, कारीगर अपनी चतुराई से उसके स्टेन्डर्ड को बढ़ाते जायेंगे, वैसे-वैसे तरक्की होती जायगी। कोई भी कार्य उद्योग-धंधों का एकदम स्विच switch) दबाते ही जिस प्रकार लाइट हो जाती है उस प्रकार तो हो नहीं सकता। आखिर हम उद्योग-धंधे बढ़ा रहे हैं। किस तरह से बढ़ावें इसका भी हमारे सामने आधार होना चाहिये। सिस्टेमेटिक कोई भी काम हो वह ज्यादा अच्छा होता है बनिस्पत अन-सिस्टेमेटिक काम के। किसी काम को हड़बड़ाकर करना, ठीक नहीं। आप हमारी जो योजनायें हैं उनको हड़बड़ा देना चाहते हैं, आप उसमें बाधक होना पसन्द करते हैं, किन्तु हमारा यह दृढ़ निश्चय है कि हम आपको हमारी योजनाओं में बाधक होना पसन्द नहीं करेंगे।

भीलवाड़ा में कारखाना बन्द है। एक मील कपड़े का बन्द था किन्तु मेरी जहाँ तक जानकारी आई है वह अब चालू हो गया है। इसी प्रकार कोटा में भी जो कारखाना है वह भी जल्दी ही चालू होने जा रहा है। राजस्थान सरकार ने, जो कुछ थोड़े बहुत कारखाने बन्द थे, उनको चालू करने का थोड़ा-सा काम किया है। ये मिलें बन्द करवाने का जितना सौभाग्य भाई हरिकृष्ण व्यास को या उनके साथियों को है, वे परिस्थितियाँ ऐसी पैदा कर देते हैं कि मजदूर-वर्ग में असन्तोष पैदा हो। उतना ही

[श्री जयनारायण व्यास]

सौभाग्य हम लोगों को उन मिलों को खुलवाने में प्राप्त हुआ है, बावजूद कई दूसरी तरह के प्रेशर के। जो कारखाने बन्द थे उनको चालू करवाया गया। यह बात ठीक है कि कुछ व्यापारी कन्सेशन लेने के लिये आये। लेकिन कन्सेशन मिल जाने पर क्या स्थिति होती है इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कोई एक बिस्कुट का कारखाना चलाना चाहते हैं, हम उसे मना नहीं करेंगे किन्तु उस फैक्टरी में बिस्कुट के लिये जो वेजीटेबिल घी मिलता है तो उससे क्या करते हैं कि वे बिस्कुट तो बनाते नहीं और वह घी मार्केट में आ जाता है। इसी प्रकार साबुन के कारखाने को ही लीजिये। साबुन का कारखाना खोलना चाहते हैं साबुन बनाने के लिए। उसके लिए भी वेजीटेबल तेल की आवश्यकता होती है। किन्तु वे भी उसे बाजार में बेचने के लिये उसे भेज देते हैं। इस प्रकार के उद्योग-धंधों को पनपाने का अर्थ यह होता है कि दूसरी तरह से लोग काला बाजार करने लगेंगे।

अब यह कहा जाता है कि सरकार की जो कुछ नीति बनती जा रही है वह बेकारी बढ़ाने की है। मैं समझता हूँ कि यह बात भी थोड़ी अच्छी नहीं है। सरकार की अगर नीति बेकारी बढ़ाने की होती तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि शिक्षा विभाग में इतनी नियुक्तियाँ हुई हैं, हैल्थ विभाग में इतनी नियुक्तियाँ हुई हैं, यह कभी नहीं किया जाता; स्थान बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। पानी के सिलसिले में पानी के नये कुए खुदवाने के लिये रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड की तरफ से इस योजना के लिए एक करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। इसके अलावा गिनी वर्म, नेहरू जो निकलते हैं उसका खास कारण है। कूओं में, बावड़ियों में जो पानी होता है उसको पीने से यह बीमारी पैदा होती है; उनको भी ठीक ठाक करने के लिए सर्वे किया जा रहा है, उस पर भी काफी रुपया खर्च करने वाले हैं। करीब ६ करोड़ रुपया हम इस गिनी वोर्म वगैरह की बीमारी पर खर्च करेंगे।

इस साल दो करोड़ रुपया शहर की सड़कों पर खर्च करने की भी योजना है। जब हम इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, कुए खुदवा रहे हैं तो क्या इससे बेकारी मिटेगी नहीं? क्या यह बेकारी मिटाने की ओर कदम नहीं है? यह सब होते हुए भी यदि आप कहें कि सरकार तो बेकारी बढ़ा रही है तो आपको कौन रोक सकता है?

कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी हमने ३॥। लाख रुपये पंचवर्षीय योजना में रखे हैं। एक ब्लॉक हमारे पास है; कुल मिलाकर के ५० एक्स्टेन्शन ब्लॉक खोलेंगे। उसमें ५० जगह एस० डी० ओ० के ग्रेड की ५० जगह एग्रीकलचर ऑफिसर की, और ५०० जगह विलेज वर्कर्स की रखी गई हैं और कुछ ट्रैक्टर्स के मजदूर होंगे। इस तरह से जो बहुत-सी जमीन फालतू पड़ी हुई है उनको हल के नीचे लिया जायगा। इससे भी बेकारी मिटने वाली है। ये सारी योजनायें बेकारी मिटाने की ही हैं। ये सब योजनायें बेकारी घटाने की ही हो रही हैं, बेकारी बढ़ाने की नहीं। इस पर भी जो यह बात कही गई है कि सरकार तो बेकारी बढ़ा रही है तो उनको इसके लिए धन्यवाद देने के सिवाय और क्या दे सकता हूँ?

[श्री जयनारायण व्यास]

मैं अब बैकवर्ड क्लासेज़ विभाग की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसमें भी मामूली टीचर्स की वृद्धि हुई है। एक तरफ जो अंग समाज से पिछड़ा हुआ था, जिसको दूसरा समाज काम करने नहीं देता था आज वे भी अपनी orthodoxy, अपना कट्टरपन छोड़कर काम करते जा रहे हैं। इसके अलावा भी हमने दूसरे कामों में इनको लगाने का प्रयास किया है और किया जा रहा है...

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपका ध्यान घड़ी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अब ६ बजने में कुछ ही मिनिट बाकी हैं। अब आप इनको और कितना समय देंगे?

श्री जयनारायण व्यास--(अपना भाषण जारी रखते हुए) मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप बैठक समाप्त कर सकते हैं। किन्तु जब मैं बेकारी जो मिटी है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाता हूँ तो आपको खुशी होनी चाहिए थी। इससे आपके दिमाग में जो भ्रम है वह दूर हो जायगा। मैं यूनेस्को कान्फ्रेन्स (UNESCO Confernce) द्वारा आयोजित प्रदर्शिनी में गया था। उसमें मुझे पता चला कि मनुष्य में शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श के अलावा भी एक चीज़ होती है और वह चीज़ जो अनुभव करते हैं, वह है भ्रम। वही भ्रम हमारे माननीय सदस्य में है, जिसको मैं दूर कर रहा हूँ और उनको अदर साइड ऑफ दी पिक्चर (चित्र का दूसरा पहलू) बताना चाहता हूँ। मुझे तो कोई ज्यादा बोलने की ख्वाहिश नहीं है।

बेकवर्ड क्लास की मैं बातें कर रहा था। उसमें हम ५० नये स्कूल खोल रहे हैं और एक्स क्रिमिनल क्लासेज़ हैं उनको सेटल करने के लिए ४ लाख रुपया खर्च होगा। उन एरियाज़ (रक्बों) में कुए बनवाये जायेंगे। उन पर करीब तीन लाख रुपया खर्च होगा, तालाब आदि बनवाने में एक लाख रुपया खर्च होगा, छोटे-छोटे नालों की मरम्मत के लिए १ लाख रुपया, हाउसिंग कन्स्ट्रक्शन के लिए ७० हजार रुपया; इस तरह से इस कार्य के लिये ७०-८० सोशल वर्कर्स लिये जायेंगे। इस तरह से बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास तो जरूर किया जा रहा है। इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम का भी जिक्र किया गया है, जिसमें १० हजार के करीब आदमी लगाए जायेंगे। ये सब बेकारी दूर होने की ही तो बातें हैं।

कई-कई जगह, जैसे भरतपुर को ही लीजिये। जैसा कि राजा मानसिंहजी के भाषण में था कि वहाँ पर बेकारी कैसे मिटे, तो इसके लिए पूर्णचन्द्रजी जैन, प्रिन्सिपल की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है जो हमें सजेशन देगी। पहले सजेशन आने चाहिये, फिर सजेशन्स पर क्रिटिसिज़्म की बातें जरूरी है। सजेशन्स के बारे में क्रिटिसिज़्म किया जा सकता है, किन्तु जब तक कमेटी कोई सजेशन्स नहीं दे देती, उसका परिणाम जब तक कुछ नहीं निकलता तब तक कोई बात कहना अच्छी बात नहीं है।

ट्रान्सपोर्ट के बारे में बहुत जिक्र किया गया कि ट्रान्सपोर्ट बढ़ाया नहीं गया। ट्रान्सपोर्ट के पहले से ज्यादा लाइसेन्स दिये गए हैं। दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में हमारे यहाँ थोड़े लाइसेन्सेज़ हों, यह बात नहीं।

[श्री जयनारायण व्यास]

यह बात ठीक है कि राजस्थान के सीमित साधन हैं, इसलिए यहाँ जितनी सड़कें चाहिये उतनी नहीं बना सकते। किन्तु फिर भी जितने साधन हमारे यहाँ उपलब्ध हैं उन सबसे हम बेकारी को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं और भी बातें आपको बेकारी मिटाने के सम्बन्ध में बतला सकता हूँ। मेरे पास बहुत बड़ी फहरिश्त है उन योजनाओं की, जिनके जरिये हम हमारे प्रान्त से बेकारी को मिटा सकते हैं। अगर वह फहरिश्त आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार का क्रिटिसिज़्म करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये चीजें बजट के मोके पर कही जा सकती हैं। चूँकि जैसा कि कहा गया कि सरकार की बेकारी मिटाने की नीति नहीं है, इसलिए इन चीजों का जिक्र करना आवश्यक हो गया है।

देहातों में भी बेकारी है और बिजलीघर में भी गड़बड़ है आदि; इन सब को छोड़कर मैं राजप्रमुख और उपराजप्रमुख के खर्चे के बारे में जो कहा गया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ।

मुझे बहुत खुशी होती अगर कानूनी तरीके से यह खर्चा हमारे ऊपर लदा हुआ नहीं होता और इससे भी ज्यादा खुशी होती अगर राजप्रमुख, उपराजप्रमुख और महाराजप्रमुख अपनी तरफ से खर्चा कम कर देते। लेकिन हम जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में सिवाय टीका-टिप्पणी करने के, मैं समझता हूँ, हमारे हाथ में कोई साधन नहीं हैं।

यह बात ठीक है कि आज जिस स्थिति में हम हैं, उसमें राजप्रमुख की स्थिति भी रहेगी, वह दूर हो नहीं सकती। तो जब यह स्थिति रहेगी तो उनके लिए खर्चा जरूर करना पड़ेगा और खर्चा करने के लिए कुछ देना भी पड़ेगा। इसमें अगर कमी हो जावे तो मुझे ऐतराज नहीं होगा, पर यह कमी करने का इस असेम्बली के हाथ में कोई साधन मुझे तो मालूम नहीं पड़ता।

मिनिस्टरों के बारे में तो कहने का धर्म है ही। मोटरों पर बड़ा खर्च होता है। पर, मुझे आज कहते हुए सन्तोष है कि हमारी सारी की सारी मोटरें पुल अप, एकत्रित कर दी गईं, दे दी गईं और बहुत सी तो बेच दी गई हैं। कुछ विभागों को मोटरें देना जरूरी है और राजस्थान इस तरह का बना है कि जितनी मोटरें आज हैं उनकी चार-पाँच गुना भी हों तो मैं पसन्द करूँगा।

आप एक जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट को ही लीजिये। वहाँ कलेक्टर के पास एक मोटर है। १५ हजार वर्ग मील का इसका एरिया है, जिसके मुकाबले में सारे कोटा डिवीजन का होगा १० हजार मील ही, १३ हजार जयपुर का होगा। तो, एक डिस्ट्रिक्ट जो इतना बड़ा है। जयपुर डिवीजन का क्षेत्रफल ज्यादा हो सकता है, उसमें एक मोटर कलेक्टर के पास हो और शिक्षा विभाग के पास नहीं रक्खें तो काम नहीं चल सकता। उनको भी सारी स्कूलों के इन्सपेक्शन के लिए मोटर चाहिये ही। अब ये कलेक्टर की मोटर में उसके साथ जावें या कलेक्टर डी. एस. पी. के साथ जावें या

[श्री जयनारायण व्यास]

डी. एस. पी. कलेक्टर के साथ जावें, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पर लम्बाई-चौड़ाई ज्यादा है क्षेत्र की और दूसरी जगह जाना जरूरी मालूम पड़ता है तो वहाँ सिवाय कार के और कोई साधन नहीं हो सकता। आप असेम्बली के प्रश्नों के उत्तर का ही काम ले लीजिये। हमसे पूछ लिया जाता है कि लाट गाँव में स्कूल में कितने लड़के हैं, कितने स्कूल मास्टर हैं कोई छुट्टी गया हुआ है या नहीं; तो इसके लिए उस लाट गाँव में न तो टेलीफोन है और न तार घर या पोस्ट ऑफिस ही। पर हमें सूचना लेनी है इस बात की वहाँ से। टेलीग्राम करना पड़ेगा जोधपुर को या चिट्ठी डालनी है तो वह भी डालनी पड़ेगी जोधपुर को। एस. डी. एम. को या डी. एस. पी. को जिसका, जैसा भी काम हुआ, उसके अनुसार उनको तार लेकर भेजना पड़ेगा और तब जाकर पता लगेगा। तो इसके लिए मोटर का प्रबन्ध जरूरी है।

जैसलमेर तहसील अकेली ११ हजार वर्गमील में है, पर वहाँ तहसीलदार के पास मोटर नहीं है। मैं पसन्द करूँगा कि वहाँ तहसीलदार को मोटर मिले ताकि वह एक-एक गाँव को सम्भाल सके। यह तहसील वैसे पाकिस्तान की बोर्डर पर भी है। तो यह तो ऐसे लोगों की ओब्जेक्टिव कन्डीशन्स की समझ की बात है, इसलिए मैं इनको बहुत गम्भीरता से नहीं लेता। मैं इनके प्रोग्राम को भी देखता हूँ और समझता हूँ कि किसी तरह से किसी बात का हौव्वा पैदा करना, बगावत पैदा करना और अव्यवस्था पैदा करना और उससे फायदा उठाना उनका काम है। मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा-लिखा आदमी हूँ और किताबें भी पढ़ लिया करता हूँ। यह भी इनके प्रोग्राम का अंग है। इसलिए करना चाहिये। मुझे ज्यादा जिक्र तो इस समय इस बारे में नहीं करना है पर जो कह रहा हूँ वह यह है कि कन्डेमेशन (Condemnation) का जो प्रोग्राम ये ला रहे हैं वह गलत प्रकार का ला रहे हैं। जो अच्छी चीजें हैं उनको कम से कम अच्छी निगाहों से देखने की कोशिश उनको करनी चाहिये और जो यह प्रस्ताव लाया गया है उसके बारे में मैं यह आश्वासन दे सकता हूँ कि हमने इस बारे में काफी काम किया है और आगे भी हमारा ध्यान इस ओर है, इसलिए वे इसे वापिस ले लें।

आपको एक बात और बता दूँ कि बेकारी बढ़ने का कारण और भी है। शिक्षा की दूषित प्रणाली तो कारण है ही, लेकिन स्वतन्त्रता हमें मिल गई है उससे पहले से भी कुछ अधिक आबादी को बढ़ाने की स्वतन्त्रता भी आपकी बढ़ गई है। इतनी अधिक आबादी हो रही है जिससे कभी बेकारी हो भी जाती है। पर, योजना के अनुसार काम हो रहा है।

कुछ हमारा स्टेन्डर्ड भी बढ़ गया है। अभी हरिकृष्णजी को कहा जावे कि आप खादी पहन लो तो पसन्द नहीं करेंगे। मर्सराइज्ड लेवेंगे कहीं से। तो यह भी मुश्किल है।

(जोर से हँसी)

तो, आबादी बढ़ जाना, यह भी एक बेकारी का कारण है। लोगों का मेन्टल स्टेन्डर्ड और लिविंग स्टेन्डर्ड बढ़ गया है। वे लोकल चीजों को पसन्द नहीं

[श्री जयनारायण व्यास]

करते स्वयं के लिए तो। पुलिस के लिए तो कहेंगे कि लोकल बना हुआ कम्बल दें पर खुद कम्बल ओढ़ेंगे दूसरी तरह का।

एक माननीय सदस्य—इंगलैण्ड का।

नहीं रशिया का, इंग्लैंड का नहीं। तो हमारा स्टेन्डर्ड बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है। इन सब चीजों को देखते हुए हमें बेकारी को रोकना है। तो हमें पूरी स्थिति का अध्ययन करना चाहिये।

और एक-दम सहायता देने की बात अच्छी है। हम तो दस करोड़ लेंगे पर ऑक्ट्रोय ड्युटी की बात मत करो, कस्टम हटाकर इधर तो सरकार की आमदनी कम कर दो और ऑक्ट्रोय भी नहीं दो और इधर सहायता भी दो। यह समझ में आने की बात नहीं है। गरीब बाप का लड़का गरीबी के साथ रहेगा। अब मां-बाप राज के लोग हैं। वे गरीब हैं, राज गरीब है तो आपको भी गरीबी से रहना पड़ेगा: जिस तरह से रशिया में लोग ब्लैक टी और ब्राउन ब्रैड पर गुजारा करते रहे एक समय। वहां भी एक समय बेकारी काफी से ज्यादा रही, उन्होंने उसे धैर्य और हिम्मत से बरदाश्त किया, पर लोगों ने कोई शिकायत नहीं की। वही बात जो रशिया वालों ने रशिया के लिए की, हिन्दुस्तान के लिए हिन्दुस्तान वालों को करनी चाहिये, हमें हिन्दुस्तान को अपनी मातृभूमि समझना चाहिये, उसे ही अपनी सेवा का क्षेत्र समझना चाहिये, उसकी ही फिक्र करनी चाहिये, न कि वे रूमानिया की फिक्र करें। (करतल-ध्वनि)

मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय उपाध्यक्ष, मैं जब माननीय मुख्य मंत्रीजी की बात सुन रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके ख्याल में यह बात आ गई कि राजा मानसिंहजी बोलने वालों में से थे हालां कि वे थे नहीं। उसी तरह से शायद......

श्री जयनारायण व्यास—बोलने वालों में से हैं, इसलिए भरतपुर के बारे में जिक्र किया।

राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए बेकारी का हल करने के बारे में भी ऐसा ही ख्याल हो गया हो कमरे में बातें सुनते-सुनते।

कुछ आंकड़े भी दिये गये और तभी मुझे सन् १९४८ के एक अंग्रेज मन्त्री की बात याद आ गई। उन्होंने भी आंकड़े दिये। कहा कि हिन्दुस्तान की एअर फोर्स में तरक्की हो गई ३०० पर्सेन्ट। पीछे मालूम हुआ कि १० हवाई जहाज पहले थे उनकी तरक्की हो गई और वे ३० हो गये, २० और बढ़ा दिये और कह दिया तरक्की थ्री हन्ड्रेड प्रतिशत हो गई।

[श्री जयनारायण व्यास]

इसी तरह से आपने अपने आंकड़ों में बताया कि कहीं सौ, कहीं एक सौ सत्रह और कहीं २३० आदमियों को रोजगारी मिल गई। जरूर मिली होगी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम्पेरेटिवली कितने ऐसे लोग हैं जिनको रोजगारी नहीं मिल रही है। अगर इसकी तुलना में आपने विचार किया होता तो शायद जितने जोश और खरोश से बात कही गई उतनी वह नहीं कहते। मानसिंहजी के बारे में भ्रम हो गया। उसी तरह इन्डस्ट्रियल हाउसिंग के बारे में भी माननीय मुख्य मन्त्रीजी को भ्रम हो गया और इसीलिए यह कहने के बजाय कि पिछले तीन साल से भारत सरकार इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के लिए तैयार बैठी है, लेकिन राजस्थान की काबिल सरकार ने एक पैसा तक इस साल तक उसमें से नहीं लिया, एक मकान नहीं बना। यह कहने के बजाय हमें कह दिया गया कि हमने बहुत अच्छी स्कीम बनाई है। यह बताइये कि तीन साल तक आपने क्यों नहीं उसमें से रकम ली ?

यहां तक कि आँकड़ों का जहां तक ताल्लुक है वे ज्यादा सरकार के विज्ञापनों से ऐलान किये हुए आंकड़े हैं, उनको चबा गये। ६॥ हजार आदमी छांटे गये इसको दरगुजर किया गया, चबा गये। बिजली घर के सम्बन्ध में जो रेट्स की बातें थीं वह चबा गये, पी० डब्लू० डी० के बारे में जो बात थी वह चबा गये।

अब उसके बाद पंचवर्षीय योजना को फिर भी यहाँ दोहराया है और यह कहा कि सब किया जा रहा है, इतना काफी है। २७० दाई, ११७ टेक्निकल आदमी और ३ हजार नये अध्यापक और कुछ आँकड़े ३ करोड़ ८८ लाख रु० के जो मकानों में खर्च होने वाला है, अभी तक तो हुआ नहीं, अब शुरू होगा। खैर, लेकिन अपने कार्य के बारे में कुछ कहने के बजाय ज्यादा समय उनका इस बात में गया कि मैं किस नियत से बोलता हूँ, मैं किस वजह से क्या बात कहता हूँ। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से यह कहना चाहता हूँ कि आप मान लीजिये कि मैं कैसा भी नालायक किस्म का आदमी हूँ और खूब बदनियती से बोलता हूँ, लेकिन आप क्या कहते हैं ? इतिहास में एक मापदन्ड है। मैं कहूँ आपकी नियत यह है, आप यह कहें कि मेरी यह नियत है, यह तो कहने-सुनने की बात हो गई, लेकिन इतिहास का मापदन्ड जो है वह तो ऑब्जेक्टिव होता है। हकीकत क्या है ? हो क्या रहा है ? क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान के हर घर के अन्दर आज एक या दो आदमी ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता। आप लोग कहते हैं कि उनको मजदूर बनना चाहिए और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल बनना चाहिए; लेकिन लोग कहते हैं कि हमको मजदूरी मिलनी चाहिए। उसका कौन जवाब दे ? मजदूर बनने के लिए तैयार नये लोगों के होने से पहले, जो पहले से मजदूर हैं वे बेकार हो रहे हैं। उनका क्या इन्तजाम है ? छंटनी पर रोक लगाई जाय, सरकारी विभागों में और प्राइवेट कन्सर्नों में छंटनी पर रोक लगाई जाय। एक शब्द भी उसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने नहीं कहा। राजप्रमुख के सिवाय बाकी कोई महत्व की चीज नहीं। मैं समझ नहीं पाया कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी इतनी बड़ी बात कह सकते हैं। राजप्रमुख और महाराजाओं के खर्च

[श्री जयनारायण व्यास]

में वैसे कमी की जाय इसका कानूनी तरीका उनको मालूम नहीं। मुझे अफसोस हुआ यह सुनकर कि वे मजाक कर रहे हैं या जिम्मेवरी से बात कर रहे हैं। आपने बजट पेश किया उसमें महाराजप्रमुख के लिए ५ लाख भत्ते का प्रोवीजन था जो कि चार्ज्ड नहीं था वोटेड आइटम था; बिल्कुल आसान कानूनी तरीका मैं बता दूँ। अगली बार जब हमारे सामने बजट आये तब आप अपना ह्विप दे दीजिये कि जो उसका विरोध करना चाहें विरोध करें और जिन लोगों को विरोध करना है वे करेंगे तो अपने आप वह बन्द हो जायगा दूसरे दिन। यह बहुत ही आसान कानूनी तरीका है।......

कुँ० **श्री जसवन्तसिंह**—लेकिन है कठिन।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह वे जानें कि कठिन है या नहीं।

श्री जयनारायण व्यास—कम से कम शब्दों की कीमत होती है, जो शब्द कि भारत सरकार ने दिये थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(अपना पूर्व भाषण जारी रखते हुए) तो राजप्रमुख के खर्च में भी कमी करने के लिए इतना ही आसान कानूनी तरीका है। लेकिन असली चीज यह है, जो उन्होंने बात अभी कह दी कि शब्दों की कीमत होती है; तो मेरा झगड़ा इसी वास्ते है और वह इसलिए है कि ५ आदमियों को आपने शब्द दिये उसकी तो इतनी कीमत होती है लेकिन डेढ़ करोड़ आदमियों को शब्द दिये उसकी क्या कीमत है?

श्री जयनारायण व्यास—पंचवर्षीय योजना।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपकी पंचवर्षीय योजना की हालत तो यह है कि राजस्थान में बैठे हुए पंचवर्षीय योजना का ढिंढोरा पीटने वाले शायद उस सिचुएशन को नहीं पहचानते हैं, लेकिन पंचवर्षीय योजना के लोग खुद कहते हैं कि ५ साल में से ३ साल पूरे होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई खामी रह गई है। बेकारी कम होने के बजाय बढ़ गई है, इसलिए पंचवर्षीय योजना में रद्दोबदल करने की आवश्यकता महसूस हुई।

पंचवर्षीय-योजना बनाने वालों के दिमाग में उस बेन्कप्सी की बात थी, उसका थोड़ा पहले ही उभार आने लगा। यह बात जरूर है कि इस हकीकत की सूचना माननीय मुख्य मन्त्रीजी के पास सेकन्ड स्टेज में आई। माननीय मुख्य मन्त्रीजी के पास यह सूचना पहुँच जायगी स्टेट्स मिनिस्ट्री के द्वारा कि उनको पंचवर्षीय योजना के बारे में किस तरह का जवाब देना चाहिये। आपके एम्प्लैयमेंट एक्स्चेन्ज के आँकड़े क्या हैं? वह क्या बताते हैं? इस पर कभी गौर किया आपने? एक तो मुमकिन नहीं कि लोग आते हों, अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए; लेकिन जितने भी आते हैं नाम रजिस्टर कराने के लिए उसके कितने पर्सेन्टेज को एम्प्लायमेंट दिलाया है? इस पर गौर किया है

[श्री जयनारायण व्यास]

आपने ? आपका श्रम विभाग करता क्या है ? उसने एक पुस्तिका छापी है और उस छपी हुई पुस्तिका में जो आँकड़े बताये हैं तो उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग रजिस्टर किये गये हैं उनमें से एक या दो पर्सेन्ट को भी वह रोजगार नहीं दिला सका है । फिर भी आप कहेंगे कि बेकारी हल हो रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि उन्नति हो रही है। तो, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ एक घटना हुई बटन दबाने से......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष—जल्दी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--थोड़ा सा समय मुझे और मिले; १५ मिनट तो कम से कम ?

श्री उपाध्यक्ष—आप ५ मिनिट में समाप्त कीजिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हाँ, तो मैं यह कह रहा था माननीय उपाध्यक्ष, कि बिजली के बटन दबाकर बिजली की बत्ती जैसा कोई काम नहीं हो सकता है । राजस्थान में भी दिखाई देता है कि तुरन्त बिजली का बटन दबाकर बिजली लगाई तो रोशनी हो गई, ऐसा काम नहीं हो सकता । लेकिन उसके लिए जरूर हो सकता है जैसा कि अभी विधान सभा में हुआ और अगर यही बात है तो फिर झगड़ा इसी ढङ्ग का है कि जहाँ फिजूल खर्ची करनी है वहाँ तो बिजली या बटन दबाकर तुरन्त फिजूल खर्च करने की मन्जूरी होती है, लेकिन जनता के लिए अन्धेरा होता है । जहाँ काम पर खर्चा करना हो तो योजना उसकी होती है, कमेटी बनती हैं और ३ साल लग जाते हैं, फिर भी कह सकते हैं कि उन्नति हो रही है उस पर ३ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा ।

मानसिंह के बारे में कहा । लोगों को को देना पड़ता है चूँकि उसकी वजह से उद्योग पनपेंगे । पैसे वालों को देना है तो दीजिये, लेकिन ऐसे लोगों को क्यों देते हैं जो उसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं ? राज्य से लेते हैं और दूसरों को देते हैं । ऐसे लोगों को मोटरों के ट्रान्सपोर्ट के परमिट इशु हुए हैं, उसके बाद दूसरे लोगों को दिये हैं । भीलवाड़े के अन्दर आज भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने परमिट लिए हैं और फिर निगोशियेशन करते फिरते हैं । एक बार एक आदमी से बात करते हैं और दूसरी बार दूसरे आदमी से बात करते हैं । तो, उससे रोजगार नहीं बढ़ता है, इन्डस्ट्री नहीं बढ़ती है ।

श्री पूसालाल मानसिंह को ४० ब्लॉक दिए हैं, लेकिन ४० ब्लॉक में काम कितना हो रहा है, इसका अन्दाजा किया है कभी आपने ? मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ भी एक्स्ट्रेक्शन (extraction) नहीं हो रहा है । ऐसा हो रहा है क्यों ? इसलिए कि हमारी नीति गलत है । लड़ाई में माइका की जरूरत थी, अब जरूरत नहीं रही । लन्दन के अन्दर हमारा माल पड़ा हुआ है और स्पेसिफिकेशन का जिक्र नहीं । उस पर यदि कोई यह सुझाव रखे कि अपने देश से अगर प्रेम है तो फिर किसी के

[श्री उपाध्यक्ष]

पीछे पड़कर चलने की जरूरत नहीं। दुनिया के किसी हिस्से में अच्छे दाम हों तो ले लें। कोई भी मुल्क हो जो कि हमारे माल की अच्छी कीमत देता हो, ज्यादा से ज्यादा कीमत दे सके, सबसे ज्यादा एश्योर्ड मारकेट हो उसको देना चाहिये। अमेरिका नाराज हो तो उसको डाँटकर कहना चाहिये कि हमारे देश में दखल करने वाला तू कौन ? इस चीज को लाने में क्यों छिपाया जाय, जो कुछ यह चीज हकीकत में हो रही है उसको क्यों छिपाया जाय। मैं कोई रुमानिया या चीन की दलील करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—चीन की एजेन्सी वाले हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—गलत बात है। एजेन्सी लेने का काम जिनका है वह लेकर माल मारते हैं।

(पूर्व भाषण जारी रखते हुए) मैं एक बात जानता हूँ कि हमारे यहाँ की जनता को, हिन्दुस्तान को अगर कोई मुल्क ज्यादा कीमत देता है तो देना चाहिये और आजादी का मतलब यही है कि एक दूसरे के कहने की वजह से हमारे देश का हित नहीं छोड़ेंगे तो जवाब मिलता है कि ऑफर्स नहीं आये। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि इधर से दिमाग को हटायें और उधर कोशिश की जाय। कोशिश ही आप नहीं करेंगे तो फिर उसके अन्दर प्रगति और उन्नति होने का कोई सवाल नहीं है।

अन्त में एक लेक्चर दिया गया है, दुरुस्त लेक्चर दिया गया है कि देश के लोगों को देश से प्रेम करना चाहिए और अगर गरीबी है, अगर वे परेशान हैं तो उन परेशानों को, गरीबों को उपदेश दें कि कुछ दिन तक गरीबी को बर्दाश्त करना चाहिए; जैसे रूस के अन्दर १६१७ के बाद में वहाँ के लोग गरीब और परेशान हो रहे थे, लेकिन वे कामों में जुट गये और उन्होंने अपने देश की उन्नति की। क्या वैसे ही हिन्दुस्तान के लिए हिन्दुस्तान के लोगों को करना है ? बिल्कुल सही बात है कि वे हमारे देश के लिए हर प्रकार की कुरबानी करने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन जो कार्य और जो मेहनत वे करें उससे अपने देश का निर्माण हो, देश की उन्नति हो और अपनी मेहनत का फायदा उनको मिले। किसान को कहेंगे कि मेहनत करो, हम भी मदद करेंगे लेकिन आपकी सारी मदद बड़े-बड़े जागीरदारों को, बड़े-बड़े जमींदारों को मुआवजा देने के लिए जायगी, चपरासी को कहेंगे २४ घन्टे में से १४ घंटे काम करो चाहे कम तनख्वाह मिले पर राजप्रमुख पर लाखों रुपया खर्च करेंगे। जैसी आगे नीति आप अपनायेंगे, जिसके अन्दर जो काम करेंगे उसका वह भागीदार होगा तो देश का एक-एक आदमी आयेगा। यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है। हर पार्टी उसका समर्थन करेगी लेकिन स्वार्थ कुछ चन्द लोगों का होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्षजी एक शब्द मैं यह कहूँगा जिसका मेरे एक मित्र ने बड़े जोश के साथ विरोध किया। मुझे अफसोस होता है और इसलिए अफसोस होता है कि शायद यह पहला मौका

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है कि जब एक जिम्मेदार पार्टी के सदस्य, मुख्य मन्त्रीजी इस बात को चबा गये, बेकारी को हल करने के लिए तुरन्त प्रबन्ध किया जाय, इस प्रकार के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। जो सदस्य यहाँ पर बैठे है उनसे मैं यह कहूँगा कि वे गंभीरता से मत दें। यदि उनको यह कहना है कि हमारी सरकार अमुक अमुक प्रयत्न कर रही है तो उसको और प्रयत्न करना चाहिये, इसके बारे में राय पूछी जा रही है। राजस्थान राज्य के लिए क्या उनकी यह मन्शा है कि यहाँ बढ़ती रहे बेकारी? इस सिलसिले में तुरन्त कदम उठाने की माँग की जा रही है। क्या आप यह चाहते है कि वह कदम नहीं उठाया जाय? यदि आपको सही माने में आपके मित्रों का, जिनकी सहायता से आप यहाँ चुन कर आये है, उनके हित का ख्याल है तो आपको इस प्रस्ताव के हक में वोट देना चाहिए। मैं माननीय उपाध्यक्षजी, आपसे निवेदन करूँगा कि इस प्रस्ताव के खिलाफ जो वोट आवें उनको रेकर्ड किया जाय जिससे आज नहीं तो भविष्य में आने वाले लोगों को इस बात का पता लगे कि यहाँ ऐसे लोग भी थे जो बेकारी जैसे प्रस्ताव का भी विरोध कर रहे हैं; आज देश जल रहा है, तब भी उन्होंने राहत दिलाना ठीक नहीं समझा।

एक माननीय सदस्य—This is mere Canvassing.

श्री उपाध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि जो रिज़ोल्युशन श्री एच. के. व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय या नहीं? जो इसके पक्ष में हों वे हाँ कहें और जो इसके विपक्ष में हों वे ना कहें।

(मत-दान के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—ना पक्ष जीता।

एक माननीय सदस्य—Noes have it, Sir.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Ayes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—क्या आप एक्च्युअल डिवीज़न चाहते हैं?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह बात रेकार्ड पर आनी चाहिये कि "न" पक्ष में किस-किस ने वोट दिये।

श्री जयनारायण व्यास—जो ना पक्ष वाले हैं वे खड़े हो जावें और आप गिनती करवालें।

श्री उपाध्यक्ष—हाउस में खड़े होकर वोट गिन लिये जाँय। सेक्रेटरी साहब गिनती करलें।

(गणना करने पर 'हाँ' पक्ष में ६ वोट आये)

श्री जयनारायण व्यास—The rest are all against the Resolution.

कु० श्री जसवन्तसिंह—No, we want to know how many stand. Some may be neutral.

श्री उपाध्यक्ष—अब ना पक्ष वाले खड़े हो जाँय।

(गणना करने पर 'ना' पक्ष में ३५ वोट आये)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Let the figure be announced.

श्री उपाध्यक्ष—'ना' पक्ष जीता। संकल्प अस्वीकार हुआ। अब सदन की बैठक कल ५ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही ६ बजकर २० मिनट रात्रि को दिनाँक २१ मई, १९५४ के ५ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२० मई, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थित के कारण जो सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशन की सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की अनुमति है ।)

प्रश्न

७६८. (२०१/सी. एम.) —श्री भैरूँसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १६—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि तारीख २०-८-५३ को थाना खाटू जिला सीकर में एक मुकदमा धारा ४०६ व ४२० ताजिरात हिन्द के अन्तर्गत कायम हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो इस मुकदमें के पूरे हालत बताये जायें और अब इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(क) हाँ।

(ख) मुकदमे के पूरे हालात इस प्रकार हैं :—

गोर्धनपुरा के कानाराम और बोदूराम दो जाटों ने कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट सीकर को मार्च १६५१ में तकावी ऋण के लिये प्रार्थना पत्र दिये थे। कलेक्टर ने उन दोनों में से हरेक के लिये ३००० रुपये स्वीकार किये थे और उसमें से १००० रुपये को पहली किशत कलेक्टर सीकर द्वारा २८ मार्च, १६५२ को उन्हें दे दी गई थी। श्री लादूराम, सदस्य विधान सभा, ने उनकी शिनाक्त की तस्दीक की थी। दूसरी किशत उन्हें तहसीलदार दाँता रामगढ़ की मार्फत ३१-३-५३ को दी गई थी और इस बार श्री लादूराम, सदस्य, विधान सभा, के पुत्र श्री चन्दनसिंह ने उनकी शिनाक्त की तस्दीक की।

कुछ समय के बाद कानाराम और बोदूराम दोनों ने कलेक्टर सीकर को पत्र प्रस्तुत किया कि ऋण की बाकी बची रकम भी उन्हें दे दी जाय। सीकर के कलक्टर ने दाँता रामगढ़ के तहसीलदार से इस बात की रिपोर्ट माँगी कि क्या प्रार्थियों को दी गई रकम तकावी को शर्तों के मुताबिक काम में ली गई थी या नहीं और काम किस हद तक पूरा हो गया था। तहसीलदार ने इस मामले के सम्बन्ध में प्रार्थियों से पूछ ताछ की। दोनों ही प्रार्थियों ने तकावी के सम्बन्ध में कोई रुपया पाने से इन्कार किया। तहसीलदार ने इस बात की रिपोर्ट कलेक्टर सीकर को प्रस्तुत कर दी और कलेक्टर ने आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिये कागजात सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सीकर के पास भेज दिये।

इसके परिणाम-स्वरूप खाटू के पुलिस थाने में भारतीय दन्ड संहिताकी धारा ४०६/४२० के अन्तर्गत एक मुकदमा एफ. आई. आर. नं० ३७ दर्ज किया गया जिसकी तपशीश अभी चल रही है। अब उन लोगों ने तकाबी ऋण पा लेने की हाँ भर ली है और ध्यान दिया है कि पहले उन्होंने तहसीलदार दांता रामगढ़ के सामने इन्कारी कालूराम के कहने से कर दी थी। इस बारे में हाथ की लिखाई के विशेषज्ञों की राय माँगी गयी है, उसके प्राप्त हो जाने पर आगे कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न

७६६, (८४/एफ. एम.) **श्री धर्मचन्द, डिविजन नम्बर ३६**—क्या निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) कालीसिल बाँध में जो रकबा इसमें आवेगा उसमें किसानों के घर व कुए कितने हैं?

(आ) ऐसे प्रत्येक किसान को घर का तथा कुए का क्या मावजा दिया जावेगा और वह कब तक?

(इ) इसी बाँध की पाल तथा नहरों में किसानों की प्रत्येक गाँव के बाहर कितनी-कितनी बीघा जमीन खुदी हुई है?

(ई) क्या उन्हें मावजा देने का सरकार विचार कर रही है?

(उ) यदि हाँ, तो फी बीघा उन्हें कितनी रकम मिलेगी और कब तक?

उत्तर

(अ) कालीसील बाँध में लगभग १,०५२ बीघा रकबा डूब में आवेगा, उसमें किसानों के घर तथा कुओं की डूब की संख्या, एक विवरण-पत्र तैयार हो रहा है उसमें बताई जावेगी।

(अ) प्रत्येक किसान को घर तथा कुए का मुआवजा शीघ्र ही दिया जावेगा, विवरण-पत्र तय्यार हो रहा है।

(इ) इस विषय में विवरण-पत्र तैयार हो रहा है

(ई) मुआवजा दिए जाने का एक लाख रुपए का तखमीना रखा गया है।

(उ) विवरण-पत्र तैयार हो रहा है, शीघ्र ही मुआवजा वितरित कर दिया जायगा।

प्रश्न

७६४. (१८६/एफ. एम.) श्री गुरुदयालसिंह, एम. एल. ए., डिवजन नम्बर ४६—क्या सिंचाई विभाग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) गंगानगर जिले के नहरी क्षेत्र में सिंचाई की दरों की बढ़ोतरी करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया है ?

(ख) इससे पहिले सिंचाई की दरों में बढ़ोतरी किस वर्ष हुई थी ?

उत्तर

(क) गंगानगर जिले के नहरी क्षेत्र में सिंचाई की दर में वृद्धि करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रक्खा गया था :

(१) उपज की कीमत और (२) आजकल सिंचाई के कामों की मरम्मत और चलाने का व्यय।

(ख) इससे पूर्व सिंचाई की दरों में वृद्धि नहीं हुई।

प्रश्न

७६५. (१८७/एफ. एम.) श्री गुरुदयालसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ४६—क्या सिचाई विभाग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) १६५२-५३ में गंगानगर में कितने दिन नहर की बन्दी रही ? सिंचाई कितने प्रतिशत हुई ? यह सिचाई पहिले वर्षों से अधिक हुई या कम ?

(ख) यदि कम हुई तो क्यों ? क्या सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए कोई प्रयत्न कर रही है ?

(ग) अगर कर रही है तो क्या ?

उत्तर

(क) साल ५२-५३ में ३६ दिन तक नहर से सिंचाई का काम बन्द रहा। सिंचाई ८५%हुई। यह सिंचाई पहले सालों से अधिक हुई

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रश्न

७६८. (१८८/एफ. ए. एम) गुरुदयालसिंह, डिविजन नम्बर ४६—क्या सिंचाई विभाग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(अ) गंगानगर के नहरी क्षेत्र में आज तक कितनी पुलियाँ बनाई गईं और कितनी अभी बनानी बाकी हैं ?

(ब) बाकी पुलिया कब तक बना दी जायंगी ?

(स) अगर बाकी पुलिया नहीं बनाई जायंगी तो उन पुलियों के लिए जो रकम सरकार ने वसूल की है वह कब तक वापिस कर दी जायँगी ?

(द) अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

गंगानगर के नहरी क्षेत्र में सरकार ने आज तक १,४४२ पुलियाँ बनाई हैं और अभी २,६६६ पुलियाँ बनाना बाकी है। इनके बनाए जाने का विषय सरकार के विचाराधीन है।

जो रकमें इन पुलियाओं के बनाने के लिए इस जमीन से वसूल हुई थीं वे लगभग सभी खर्च हो चुकी हैं; अतः लौटाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रश्न

808. (213/F. M.) Shri Raghuraj Singh, M. L. A., Div. No. 121—Will the Minister for Irrigation be pleased to state :—

(a) How many minor irrigation works were sanctioned by the Government in Kishengarh and Shahbad Tehsils of Kotah District in 1953-54 ?

(b) How many, out of the above have been completed and how many works are still in progress ?

(c) Will the Minister-in-charge please place a list of such works on the table of the House stating the amounts sanctioned for each work and the area that is expected to be irrigated by each scheme ?

उत्तर

(a) (1) Kishanganj 6

(2) Shahabad 2

(b) 5 in Kishanganj and 1 in Shahabad have been completed. One in Kishanganj and one in Shahabad are in progress.

(c) The list is as under :—

(c) Minor Irrigation works (Loan).

	Name of Scheme	Tehsil	Estimated cost	Area	
1.	Raising and enlarging of Umed Sagar Bund.	Kishanganj	1,60,300	1835	In progress
2.	Restoration of Nahargarh Bund.	,,	30,660	685	Completed
3.	Restoration of Badipura tank.	,,	4,300	290	,,
4.	Restoration of Sirsipura tank.	Shahabad	30,000	560	In progress
	PLANNING COMMISSION WORKS.				
5.	Simi phatak tank.	Shahadad	0.08	100	Completed
6.	Formation level of Umed Sagar.	Kishangaj	0.1I	90	Completed
7.	Providing pucca wall Ramgarh Canal.	,,	0.10	80	Completed
8,	Formation level of AKURRA Sagar.	,,	0.09	40	Completed

प्रश्न

816. (221/F.M.) Shri Raghuraj Singh, M. L. A., Div. No. 121 – Will the Minister for Irrigation be pleased to state :—

(a) In what years were the Irrigation Schemes for constructing dams across rivers Kali Sind, Parwana, Alnia and Ujar (Bhim Sagar Dam) investigated by the former Kotah State ?

(b) How much amount was estimated to be spent on each scheme and how much area was estimated to be irrigated by each ?

(c) Why did the Rajasthan Government carry out fresh investigations for these very schemes ?

(d) How much Government money has been spent on fresh investigation ?

(e) What steps does the Government propose to take to check such waste in future ?

उत्तर

Following Schemes were investigated by the former Kotah Government: –

(1)	Kali Sindh :	in year 1942-43.
(2)	Parwana :	not investigated.
(3)	Alnia :	in year 1942-43.
(4)	Ujar : (Bhim	in year 1940-41.
	Sagar Dam)	in year 1941-42.

1. **KaliSindh.**

Cost of Dam : Rs. 56,00,000/- Area to be—irrigated : 24000 acres.

2. **Parwana** : Not investigated.

3. **Alnia** :

Cost of Dam : 17.35 lacs. Area to be—irrigated. 8,000 acres.

4. **Ujar : (Bhim-Sagar Dam)**

Cost of Dam : Rs. 32.95,000/- Area to be irrigated. 40,000 acres.

Former schemes were for multipurposes; namely, electricity and irrigation-combined. Now investigations were carried for irrigation only.

The expenditure incurred is not known as records are not available. The officers only carried out the instuctions of the Government of the time and there can be no question of any wastage of funds.

Please see reply to (4) above.

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ७७७ का उत्तर देखिये)

जिला चूरू :

१. पटवार, लोकलरेट ३ भूंगा

जिला बीकानेर

१. पटवार, २ चन्दाकुन्ड, ३ डी. बी. सेस

District Ganganagar.

1 Mela.
2 Mandir.
3 Chaudhar fees.
4 Pichotra.
5 Patwar Cess.
6 Local Rates.
7 Talab.
8 Alam Khana.
9 Patta Babi.

Kotah Division.

No lag bag.

Jaipur Division.

1 Counting of Chaile.
2 Udak Mangli, Bhaint Fozdari.
3 Holi Dashahara.
4 Upeja Peshkas.
5 Chant Fozdari.
6 Beerar Cheepyan.
7 Doova Dansi.
8 Padat Khal.
9 Baniwarks.
10 Malba.
11 Pina.
12 Batta.
13 Patwar Fund.
14 Cess.
15 Countation.
16 Kheri.
17 Chopaya.
18 Wool Cutting.
19 Fort presents.
20 Government ptrdrants.
21 Tehsil Presents.
22 Manure Lag.
23 Taluka.
24 Malba Jins.
25 Malba Japti.
26 Sega.
27 Hali Batta.
28 Kani Malba.
29 Ganj Bhada.
30 Tusan ki Chugir.
31 Peshcus.
32 Government present.
33 Re-present.
34 Dhul Kheda.
35 Dak Chank.
36 Khadber.
37 Sahengi.
38 Maya.
39 Jori Awagi.
40 Khas.
41 Rogina.
42 Kamlar ki Kasar.
43 Batotra.
44 Duwadatji.

Page No.108

45 Khedaki.
46 Ghaniki.
47 Oriki.
48 Gharpatiki.
49 Chana ki mori.
50 Extra Revenue.
51 Ikotra.
52 Tap Bhari.
53 Siro Pao,
54 Talab.
55 Hawalgi.
56 Adhori.
57 Kamar Kasai.
58 Dafa.
59 Kam Kari ka.
60 Jev Daya.
61 Jhoti.
62 Dori Teni.
63 Pescus.
64 Zapti amount.
65 On Latai Jins.
66 On Government Latai share.
67 On Jins.
68 Jama Kaimi lag.
69 General
70 On latai villages.
71 Permanent.
72 Pay of Sehna.
73 Permanent.
74 Chamars.
75 Wool cutting.
76 Chopaya.
77 Fozdari.
78 Karch.
79 Udai.
80 Kharch Istemrar.
81 Sega.
82 Ori Ghugri.
83 Bab Charsi.
84 Kulri.
85 Chani Khoont.
86 Jori Ahni.
87 Chena Lakri.
88 Akhwan.
89 Bhent Zakhira.
90 Kholdi.
91 Pesh Kash.
92 Cheli Girthi.
93 Nazar.
94 Bhent Shri Gopinathji.
95 Amal Bhent.
96 Gauri Bapoti.
97 Dewani Bhent.
98 Awav Rakana.
99 Kabaj
100 Bhanda.
101 Tankha Tehsalia.
102 Mawaja Namak.
103 Damo Mafidaran.
104 Kaminan.
105 Wat Chapi.
106 Bag Chapi.
107 Nazrana Muafi.

Jodhpur Division.

1 Dej.
2 Pancharai.
3 Desdan.
4 Dashhera.
5 Ut-kiraya.
6 Chithi-Dasturi.
7 Komodi
8 Gharganti Tax.
9 Choki Tax.
10 Gher-ki-Legat.
11 Mithi-Haq.
12 Jamin Kiraya.
13 House Kiraya.
14 Ghas Nilam,

15 Singoda Tax.
16 Sira-Lagat.
17 Rayan, Piloo, Am Lagats.
18 Rasal.
19 Ghani Lagat.
20 Pesha Lagat.
21 Metras-gras.
22 Badhkaji Tax
23 Karni.
24 Warad.
25 Sukhadi.
26 Nila Bhara.
27 Jawaria.
28 Kulaipaj and Gungari.
29 Am (Mango) Lagat.
30 Kudia Lagat.
31 Nal
32 Dushera,
33 Gowal.
34 Than.
35 Bansola.
36 Dhun.
37 Jumpi.
38 Kambal.
39 Bhogolia.
40 Chimpalia.
41 Bhet.
42 Sui (Neddle).
43 Adodhi (Or leather tax)
44 Barsot.
45 Rakhri.
46 Mata
47 Bholava
48 Sari
49 Macha
50 Bhat
51 Bharbunja
52 Dai and Koli
53 Nyaria

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ८०२ का उत्तर देखिये)

'अ'

तारीख ३१ मई व १ जून १९५२ को सवाई मानसिंह टाउनहॉल में राजस्थान की पंचवर्षीय योजना की वृद्धि करने के हेतु बनाई गई योजनाओं पर विचार करने के लिये बुलाई गई कॉन्फ्रेन्स में निमन्त्रित सज्जनों की सूची :

१. श्री श्रीदास गोयल, एम. एल. ए. ।
२. श्री ऋद्धिचन्द, एम. एल. ए. ।
३. श्री गोपीलाल यादव एम. एल. ए. ।
४. श्री मंगलसिंह, एम.एल. ए. ।
५. श्री जोशी नरोत्तमलाल, एम. एल ए. ।
६. श्री ठा० रघुवीरसिंह, एम. एल. ए.
७. श्री कपिलदेव, एम. एल. ए. ।
८. श्री रामरतन, एम. एल. ए. ।
९. श्री राव राजा सरदारसिंह, एम. एल. ए. ।
१०. श्री दामोदरलाल, एम. एल. ए. ।
११. श्री शाह अलीमुद्दीन, एम. एल. ए. ।
१२. श्री गुलाबचन्द कासलीवाल- एम. एल. ए. ।
१३. श्री नारायण चतुर्वेदी, एम. एल. ए. ।
१४. श्री हजारीलाल शर्मा, एम. एल. ए. ।
१५. श्री महारावल संग्रामसिंह, एम. एल. ए. ।
१६. श्री अरजनसिंह, एम. एल. ए. ।
१७. श्री मोहनसिंह, एम. एल. ए. ।
१८. श्री माधोसिंह, एम. एल. ए.
१९. श्री इन्दरनाथ मोदी, एम. एल. ए. ।
२०. श्री नाहरसिंह कछावा, एम. एल. ए. ।
२१. श्री मथुरादास माथुर, एम. एल. ए.
२२. श्री हरिदेव, एम. एल. ए. ।
२३. श्री राजाधिराज अमरसिंह, एम. एल. ए. ।

Page No.111

२४. श्री तेजमल, एम. एल. ए.।

२५. श्री लक्ष्मण भील, एम. एल. ए.।

२६. श्री वेदपाल त्यागी, एम. एल. ए.

२७. श्री हिम्मतसिंह, एम. एल. ए.।

२८. श्री लाल बहादुर, एम. एल. ए.।

२९. श्री जसवन्तसिंह, एम. एल. ए.।

३०. श्री चौधरी कुम्भाराम, एम. एल. ए.।

३१. श्रीधरमपाल, एम. एल. ए.।

३२. श्री शोभाराम, एम. पी.।

३३. श्री मुरारका राधेश्याम रामकुमार, एम. पी.।

३४. श्री ठा॰ भवानीसिंह, एम. पी.।

३५. श्री दौलतमल भंडारी, एम. पी.।

३६. श्री पन्नालाल कौशिक, एम. पी.।

३७. श्री बलवन्तसिंह, एम. पी.।

३८. श्री भीकाभाई, एम. पी.।

३९. श्री नेमीचन्द कासलीवाल, एम. पी.।

४०. प्रतिनिधि राजस्थान चेम्बर ऑफ कामर्स।

४१. जयपुर चेम्बर ऑफ कामर्स।

४२. श्री डी. एल. गुप्ता, राजस्थान बैंक।

४३. मैनेजर हिन्द बैंक।

४४. मैनेजर युनाइटेड कामर्शियल बैंक।

४५. मैनेजर जयपुर बैंक लिमिटेड।

४६. श्री एल. एन बिरला, ८ रॉयल एक्सचेन्ज पैलेस, कलकत्ता।

४७. श्री भागचन्द सोनी, अजमेर।

४८. श्री चन्दनमल राजगढ़िया, माइका फेक्ट्री ओनर्स एसोसियेशन, गिरिफ, बीकानेर।

४९. श्री रघुनाथसिंह मानसिंह का, माइका माइन ओनर, भीलवाड़ा।

५०. श्री श्री गोपाल महता, मनोहरभावा, उदयपुर।

५१. श्री रामकंवर अग्रवाल, ठि॰ एसोशियेटेड माइनिंग इन्डस्ट्रीज़, पोस्ट बाक्स नम्बर ७,२७४ लायन्स रेंज कलकत्ता।

Page No.112

५२. श्री हरिदास गोपालदास, एसोशियेटेड सीमेंट कम्पनी, क्वीन्स रोड, बॉम्बे।

५३. श्री ए. सी. दत्ता, डाइरेक्टर, मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, १० सिविल रोड, कलकत्ता।

५४. श्री एच. एस. हुसैनबख्श फिजेल जी, मकराना।

५५. श्री एन. फतेल्ली, एक्सपोर्टर एन्ड इम्पोर्टर, १६ बैंक स्ट्रीट, फोर्ट बॉम्बे।

५६. श्री आनन्दसिंह, ठि० आनन्द थियेटर, जोधपुर।

५७. श्री रामलाल कछावा, फुलर्स अर्थ, कन्ट्राक्टर बाड़मेर।

५८. श्री अमृतलाल वैद, उदयपुर।

५९. श्री मोतीलाल सिंघी, वेस्टर्न इन्डियन स्टेट मोटर्स, जोधपुर।

६०. श्री रामनारायणसिंह, ठि० राजस्थान मजदूर कॉंग्रेस, भीलवाड़ा।

६१. श्री रमेशचन्द्र व्यास, प्रेसीडेंट, इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस भीलवाड़ा।

६२. श्री शिवरतन मोहता।

६३. श्री स्वरूप नारायण पुरोहित।

६४. श्री मानमल मुकीम, दरीबा पान, जयपुर।

६५. श्री एम. वी. माथुर।

६६. श्री सिद्धराज ढड्ढा, लोकवाणी प्रेस, जयपुर।

६७. श्री जी. डी. सोमानी।

६८. श्री रामजी भाई कमानी।

६९. श्री रघुनाथदास अँगड़।

७०. श्री विनयचन्द दुर्लभजी।

७१. श्री चिरंजीलाल अग्रवाल।

७२. श्री आर. डी पेरीवाल।

७३. श्री सुन्दरलाल ठोलिया।

७४. श्री डाक्टर जी. एस. महाजनी।

७५. दामोदरदास खन्डेलवाल।

७६. श्री राजमल सुराना।

७७. श्री सी. बी. गुप्ता, राज ट्रेडर्स।

७८. श्री आदितेन्द्र ठि० प्रोविन्शियल कॉंग्रेस कमेटी।
७६. श्री जवाहर लाल जैन, ठि० लोकवाणी प्रेस।
८०. श्री छीतरमल गोयल, ठि० लोकवाणी प्रेस।
८१. मिसेज़ शारदा भार्गव।
८२. श्री सोहनलाल दूगड़।
८३. श्री गोरधनलाल काबरा जोधपुर।
८४. श्री मदनगोपाल काबरा, बॉम्बे।
८५. श्री प्रेमनारायण माथुर, उदयपुर।
८६. श्री रामनाथ पौद्दार।
८७. डा० के. एन. किरेरी, सरदार शहरपुर, राजस्थान।
८८. श्री पी. जी. मेंहता ऑफ जयपुर मेटल इन्डस्ट्रीज़।

उपर्युक्त सज्जनों के अलावा सब मन्त्रियों, सलाहकारों, सचिव और विभागाध्यक्षों को भी निमन्त्रित किया गया था।

'ब'

सभा के समय उपस्थित व्यक्तियों की सूची।

१. श्री इन्द्रनाथ मोदी।
२. श्री एम०बी० माथुर।
३. श्री विनयचन्द दुर्लभजी।
४. श्री गोपीललाल यादव।
५. श्री हरिदेव जोशी।
६. श्री गुलाबचन्द कासलीवाल।
७. श्री भीमसिंह आफ खेजरेला।
८. श्री बी० एन० कॉक।
९. श्री मदनसिंह ऑफ नवलगढ़।
१०. श्री चिरंजीलाल अग्रवाल।
११. श्री आर० डी० पेरीवाल।
१२ श्री जवाहरलाल जैन।
१३. श्री सी० पी० गुप्ता।
१४. श्री एच० सी महेश्वरी।
१५. श्री जी० डी० सोमानी।
१६. श्री अम्बालाल शर्मा।
१७. श्री रघुनाथदास बाँगड।
१८. श्री श्रीदास गोयल।
१९. श्री रमेशचन्द्र व्यास।
२०. श्री पन्नालाल कौशिक।

२१. श्री रामजी हंसनी कमानी ।
२२. श्री अमरसिंह ऑफ बलेरा ।
२३. श्री डी० के० दत्ता ।
२४. श्री नारायणलाल व्यास ।
२५. श्री द्वारकादास ।
२६. श्री मोतीलाल सुराना ।
२७. श्री जय किशन ।
२८. श्री रामनिवास माठुर ।
२९. श्री गुलाबचन्द पालीवाल, चेयरमैन, एम० बो० गंगापुर ।
३०. श्री मदनलाल गुप्ता, व्यापारमण्डल, गंगापुर ।
३१. श्री ऋद्धिचन्द्र, एम. एल ए० ।
३२ श्री लाल बहादुर ए. एल. ए. बारां ।
३३. श्री नारायणचन्द्र मोदी ।
३४. श्री भगवानसिंह एम. एल. ए. ।
३५. श्री रामरतन टिक्कीवाल ।
३६. श्री हजारीलाल शर्मा ।
३७. श्री गोपीकिशन तोतला ।
३८. श्री घनशामदास बॉगड़ ।
३९. श्री जीवनमल पुरोहित ऑफ मारवाड़ चेम्बर ऑफ कामर्स, जोधपुर ।
४०. श्री मदनमोहनप्रशाद तिवाड़ी ।
४१. श्री रामनाथ ।
४२. श्री धरमपाल ।
४३. श्री मानमल मुकीम ।
४४. श्री बख्तावरलाल ।
४५. श्री दामोदरदास खन्डेलवाल ।
४६. श्री श्यामबिहारीलाल भार्गव ।
४७. श्री पी० जी० मेहता ।
४८. श्री शौकतअली ।
४९. श्री हुसैनबख्श फैजअली ।
५०. श्री शिखरचन्द जैन ।
५१. श्री सत्य नारायण ।
५२. श्री पी० सी० दावे ।
५३. श्री एम० एम० दावे ।
५४. श्री एन० के० जैन (बूनू वाला एण्ड को.)
५५. श्री डी० सी० चोपरा ।
५६. श्री रामयश गोयल ।

५७. श्री ए० एल० शर्मा।

५८. श्री सोहनमल गोलेछा

५६. श्री बसन्तिमल मुकीम।

६०. श्री रोशनलाल शर्मा।

६१. श्री माधोसिंह।

६२. श्री भैरूँसिंह।

६३. श्री भंवरलाल।

६४. श्री गंगासिंह।

६५. श्री विजयसिंह।

६६. श्री छीतरमल गोयल।

नोट—ऊपर दी गई सूची में मन्त्रियों व अफसरों के नाम सम्मिलित नहीं हैं।

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ८०३ का उत्तर देखिये)

Divisionwise statement of institution and disposal of cases in the Board of Revesnue for Rajasthae, Jaipur from the month of April, 1952 to March 1953.

Name of Division.	Previous years' balance,	Institutions during the year.	Total.	Disposed of	No. of Pending cases.
Jaipur	283	1303	1586	843	743
Jodhpur	115	371	486	238	248
Kotah	47	129	176	95	81
Bikaner	106	248	354	179	175
Udaipur		140	210	118	92
Total	621	2191	2812	1473	1339